



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
राज्य वित्त पर प्रतिवेदन  
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए



छत्तीसगढ़ शासन  
वर्ष 2018 प्रतिवेदन संख्या 01

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
का  
राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन  
वर्ष 2018 का प्रतिवेदन क्रमांक 01

## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन	—	v
कार्यपालिक सारांश	—	vii
<b>प्रथम अध्याय— राज्य शासन के वित्त</b>		
छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य	1.1	1
2016-17 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1.1	1
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुभाग तथा वास्तविकतायें	1.1.3	5
जेंडर बजट	1.1.4	6
राज्य के संसाधन	1.2	7
राज्य के वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	7
राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि हस्तांतरण	1.2.2	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	8
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	9
कर के संग्रहण की लागत	1.3.2	11
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.3.3	11
केंद्रीय कर हस्तांतरण	1.3.4	12
त्यक्त राजस्व	1.3.5	12
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	13
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	1.4.1	14
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	14
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1.4.3	15
लोक लेखे की शेष राशि	1.5	15
संसाधनों का उपयोग	1.6	16
पूँजीगत व्यय	1.6.1	16
राजस्व व्यय	1.6.2	16
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	17
व्यय की गुणवत्ता	1.7	19
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	19
व्यय के उपयोग की कुशलता	1.7.2	20
चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय	1.7.3	20
शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	21
सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम	1.8.1	21
अपूर्ण परियोजनाएं	1.8.2	21
निवेश एवं प्रतिफल	1.8.3	22
राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम	1.8.4	23
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	24
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	26
परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक	1.9.1	26
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	26
आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन	1.9.3	27
राज्य आपदा राहत निधि	1.9.4	28
संचित निक्षेप निधि	1.9.5	28
अधोसंरचना विकास निधि	1.9.6	29

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व	1.9.7	29
ऋण प्रबंधन	1.10	30
ऋण प्रारूप	1.10.1	30
ऋण धारणीयता	1.10.2	31
<b>द्वितीय अध्याय- वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण</b>		
विनियोग लेखे का सारांश	2.1	33
वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन	2.2	34
पिछले वर्षों (2000-01 से 2016-17) से सम्बंधित प्रावधानों में अतिरेक व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता है	2.2.1	34
सतत् अतिरेक व्यय	2.2.2	34
योजनाओं के तहत अतिरेक व्यय	2.2.3	35
बचत	2.2.4	35
सतत बचत	2.2.5	36
उप शीर्षों के तहत सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग ही नहीं किया गया	2.2.6	36
अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान	2.2.7	36
उप शीर्षों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान	2.2.8	36
निधियों का अतिरेक/आवश्यक/अप्रयोजित पुनर्विनियोजन	2.2.9	37
वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	2.2.10	37
पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना	2.2.11	37
व्यय का अतिवेग	2.2.12	38
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.3	38
<b>तृतीय अध्याय- वित्तीय प्रतिवेदन</b>		
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	3.1	39
वित्त आयोग अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र	3.1.2	39'
सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.2	40
सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों द्वारा लाभांश का घोषित न होना	3.2.1	41
संक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक	3.3	41
संक्षिप्त आकस्मिक देयको से आहरित योजना व्यय	3.3.1	42
संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर त्रुटिपूर्ण लेखन	3.3.2	42
समर्थक प्रमाणकों के बिना विस्तृत आकस्मिक देयक तैयार करना	3.3.3	43
विस्तृत आकस्मिक देयको के विलम्ब से समर्पण	3.3.4	43
संक्षिप्त/विस्तृत आकस्मिक देयक पंजी का संधारण न होना	3.3.5	44
हानि तथा गबन के प्रकरणों का प्रतिवेदन	3.4	44
राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का वर्गीकरण	3.5	45
उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का प्रारंभ किया जाना	3.6	45
लघु शीर्ष- 800 में समायोजन	3.7	46
स्थानीय लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष	3.8	46
शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना	3.8.1	46
अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन	3.8.2	47
रोकड़ बही का अनियमित संधारण	3.8.3	47
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	3.9	48
श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग	3.9.1	48
प्राप्ति एवं व्यय का मिलान	3.10	49
राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन	3.11	49
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	3.12	49
राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.13	49

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ
परिशिष्ट 1.1 भाग अ	छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा	53
परिशिष्ट 1.1 भाग ब	शासकीय लेखों की संरचना एवं प्रपत्र	54
परिशिष्ट 1.1 भाग स	वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है।	54
परिशिष्ट 1.2	वित्तीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली विधि राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि	55
परिशिष्ट 1.3 भाग अ	वर्ष 2016-17 के प्राप्ति एवं भुगतान का सार	57
परिशिष्ट 1.3 भाग ब	छत्तीसगढ़ शासन की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	60
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2016-17 के लिये बजट प्रावधान	61
परिशिष्ट 1.5	वर्ष 2016-17 के दौरान महिलाओं के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय	63
परिशिष्ट 1.6	राज्य सरकार के वित्तीय समय श्रृंखला डाटा विश्लेषण	64
परिशिष्ट 1.7	दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना के ऋण और ब्याज के साथ किश्त की वसूली के विवरण	67
परिशिष्ट 1.8	रिजर्व बैंक में जमा कुल विसंगतियों का सारांश	68
परिशिष्ट 1.9	अधोसंरचना विकास उपकर, अधोसंरचना विकास निधि एवं आरक्षित निधि में स्थानांतरण का वर्षवार संग्रह	69
परिशिष्ट 1.10	अधोसंरचना विकास निधि की गैर उपयोगिता	69
परिशिष्ट 2.1	अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अतिरेक व्यय	70
परिशिष्ट 2.2	योजनाएँ जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक अतिरेक व्यय हुए	71
परिशिष्ट 2.3	कुल प्रावधान से प्रत्येक प्रावधान में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की बचत	72
परिशिष्ट 2.4	वर्ष के दौरान ₹ 20 करोड़ तथा उससे अधिक के विशेष बचत का अनुदान-वार विवरण	74
परिशिष्ट 2.5	वर्ष के दौरान योजना-वार ₹ 20 करोड़ तथा उससे अधिक के विशेष बचत का विवरण	75
परिशिष्ट 2.6	अनुदानों के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान सतत बचत की सूची	76
परिशिष्ट 2.7	योजनाएँ जिनमें ₹ 10 करोड़ तथा उससे अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	79
परिशिष्ट 2.8	प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान, जो अनुदान के अंतर्गत अनावश्यक सिद्ध हुए	81
परिशिष्ट 2.9	अनुदानों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान	82
परिशिष्ट 2.10	उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	83
परिशिष्ट 2.11	अनुदानों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान	85
परिशिष्ट 2.12	उप शीर्ष के अंतर्गत अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान	87

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ
परिशिष्ट 2.13	अत्याधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुर्नविनियोजन (जहाँ आधिक्य/बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक हो)	88
परिशिष्ट 2.14	वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	90
परिशिष्ट 2.15	बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) धटित हुई परन्तु राशि समर्पण का हिस्सा नहीं है	91
परिशिष्ट 2.16	समर्पण नहीं किये गये ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक का बचत	92
परिशिष्ट 2.17	वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय की अतिवेग	93
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2017 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	95
परिशिष्ट 3.2	वित्त आयोग के अनुपयोगी अनुदान का डी.डी.ओ. वार सूची की स्थिति	96
परिशिष्ट 3.3	31 मार्च 2017 की स्थिति में बकाया वि.आ. देयक की सूची	97
परिशिष्ट 3.4	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को विलम्ब से प्रस्तुति	97
परिशिष्ट 3.5	चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण	98
परिशिष्ट 3.6	31 मार्च 2017 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरणों	99
परिशिष्ट 3.7	वर्ष 2016-17 के दौरान सूचित किये गये हानि प्रकरणों में वसूली	101
परिशिष्ट 3.8	पूँजीगत के तहत बजट राजस्व प्रकृति के व्यय का विवरण	102
परिशिष्ट 3.9	अनियमित स्वीकृति का विवरण	103
परिशिष्ट 3.10	2016-17 के दौरान लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्ति में दर्ज का विवरण	108
परिशिष्ट 3.11	वर्ष 2016-17 में लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत अन्य व्यय के तहत आरक्षित विवरण	109
परिशिष्ट 3.12	31 मार्च 2017 को सरकारी खाता से बाहर निधि की पार्किंग की स्थिति	109
परिशिष्ट 3.13	विभागवार और वार्षिक अस्थाई अग्रिम की स्थिति	110
परिशिष्ट 3.14	राशि ₹ 79.44 करोड़ की रोकड़बही के अनुचित रखरखाव को दिखते हुए विवरण	112
परिशिष्ट 3.15	रोकड़ पुस्तिका का अनियमित संधारण	114

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार (छ.ग.) के वित्त पर प्रस्तुत इस प्रतिवेदन का प्रयोजन 2016-17 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने और राज्य विधान सभा को वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित जानकारी प्रदान करता है। यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (संशोधित), 2017 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, चौदहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन तथा वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों के विरुद्ध वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करने का प्रयास है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

**आध्याय-1** वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2017 को छत्तीसगढ़ सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी एवं ऋणों के पुर्नभुगतान पर व्यय और लिये गये उधार के स्वरूप की प्रवृत्तियों की अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

**आध्याय-2** विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों एवं रीति, जिसमें आबंटित संसाधनों का सेवा प्रदाता विभाग द्वारा प्रबंधन किया गया, का अनुदानवार व्याख्या प्रस्तुत करता है।

**आध्याय-3** विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमावलियों के छत्तीसगढ़ सरकार के अनुपालन की सूची है।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

इस प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का एक सारांश मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य और सामाजिक क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में एक अलग अध्याय के रूप में भी शामिल किया गया है।

# कार्यपालिक सारांश



## कार्यपालिक सारांश

### राज्य की राजकोषीय स्थिति

मुद्रास्फीत को लेखांकित करने के पश्चात् भी वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.), राजस्व व्यय (रा.व्य.) और पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) में वृद्धि हुई है। यद्यपि वर्ष 2015-16 में समायोजित रा.व्य., स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के संदर्भ में घटा था। वैसे ही वर्ष 2013-14 में समायोजित रा.प्रा. एवं पूँ.व्य., स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के संदर्भ में घटा था।

#### कड़िका 1.1.1

राज्य ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम तथा चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटा और स.रा.घ.उ. से बकाया ऋण के अनुपात, बजट अनुमान 2016-17 के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

#### कड़िका 1.1.2

छत्तीसगढ़ शासन का प्राथमिक घाटा वर्ष 2012-17 के दौरान ₹ 1,361 करोड़ और ₹ 6,281 करोड़ के बीच रहा, जो इंगित करता है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

#### कड़िका 1.1.2.2

### संसाधन गतिशीलता

राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 53,685 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 46,068 करोड़) से ₹ 7,617 करोड़ (16.53 प्रतिशत) बढ़ी जो बजट अनुमानों (₹ 61,427 करोड़) से कम था।

राजस्व व्यय (₹ 48,165 करोड़) 2015-16 से ₹ 4,464 करोड़ (10.21 प्रतिशत) तक बढ़ा जो बजट अनुमान (₹ 56,390 करोड़) से कम था।

पूँजीगत व्यय (₹ 9,471 करोड़) 2015-16 से ₹ 1,526 करोड़ (19.21 प्रतिशत) तक बढ़ा जो बजट अनुमान (₹ 13,004 करोड़) से कम था।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को बजट तैयार करने के प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच लगातार अन्तर कम हो।

#### कड़िका 1.1.3, 1.2.1, 1.6.1 एवं 1.6.2

### महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा और अनुशंसाओं का सारांश:

#### जेंडर बजट

महिलाओं के केंद्रित कार्यों के लिए विशेष रूप से 25 योजनाओं के लिए ₹ 1,455.87 करोड़ रुपये के बजट प्रावधानों में से केवल ₹ 883.38 करोड़ (60.68 प्रतिशत) खर्च किए गए थे।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करके समय-समय पर सभी जेंडर बजट योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि महिलाओं से संबंधित कार्यों हेतु प्रावधान का पूर्णतः उपयोग किया जा सकें।

#### कड़िका 1.1.4

### नवीन पेंशन योजना

दिसम्बर 2004 से फरवरी 2006 के लिए योगदान के बकाया के साथ मार्च 2006 से कर्मचारियों से नवीन पेंशन योजना के योगदान की कटौती की शुरुआत हुई। वर्ष 2006-17 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान ₹ 1,318.68 करोड़ के सापेक्ष राज्य शासन ने ₹ 1,294.70 करोड़ बकाया जमा किया जो ₹ 23.98 करोड़ कम था। राज्य शासन ने

एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को निधि के देरी हस्तांतरण पर ग्राहकों को देय ब्याज की देयता की गणना नहीं की।

31 मार्च 2017 की स्थिति में ₹ 29.27 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342-117, से एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित के लिए बकाया थे। ₹ 23.98 करोड़ का संक्षिप्त योगदान और ₹ 29.27 करोड़ गैर हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 53.25 करोड़ की देयता की अनावश्यक सृजन हुई

आगे, लोक लेखे में से देय ₹ 29.27 करोड़ 31 मार्च 2017 तक एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित होने हेतु लंबित था, लेकिन 30 जून 2017 तक ₹ 3.47 करोड़ लंबित रहा।

**अनुशंसा:** राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ता के हिस्से के साथ कर्मचारियों को योगदान तुरंत एन.एस.डी.एल. में स्थानांतरित कर दिया जाए। विभागीय अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जो समय पर नवीन पेंशन योजना के तहत योगदान स्थानांतरित करने में नाकाम रहते हैं।

**कड़िका 1.6.3**

### लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2016-17 के दौरान सकल व्यय से विकास व्यय, आर्थिक व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से ज्यादा था। यद्यपि पूँजीगत व्यय का सकल व्यय से अनुपात, सामान्य श्रेणी राज्यों से कम था।

**कड़िका 1.7.1**

### सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

हालांकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश के विपरीत कोई सिंचाई योजना वाणिज्यिक घोषित नहीं की गई फिर भी लागत वसूली में अन्तर (-88 प्रतिशत) पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश (-49 प्रतिशत) झारखण्ड (आठ प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (20 प्रतिशत) से अच्छा रहा।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार लागत वसूली का आकलन हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक के रूप में घोषित करने के माध्यमों का उपयोग कर सकती है।

**कड़िका 1.8.1**

### अपूर्ण परियोजनायें

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में 145 अपूर्ण परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 5,847.17 करोड़) में से आज तक, 48 परियोजनाओं में ₹ 2,435.03 करोड़ लागत से अधिक थे (जहाँ लागत को संशोधित किया गया ) चूँकि राज्य शासन ने 97 अपूर्ण परियोजनाओं में लागत मूल्यांकन नहीं किया है, राज्य शासन द्वारा किये जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका।

**अनुशंसा:** लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग सभी अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और परियोजनाओं को समय पर पूरा होने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकते हैं।

**कड़िका 1.8.2**

### निवेश, ऋण व अग्रिमों पर प्रतिफल

वर्ष 2012–17 के दौरान राज्य शासन ने सरकार के लिए गये उधार लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अन्तर के कारण ₹ 1,163.34 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया।

यह भी कि, विगत पाँच वर्षों में राज्य शासन ने सरकार के लिए गये उधार और दिये गये ऋण के बीच के अन्तर के कारण ₹ 130.43 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार को उन कंपनियों/निगमों/बैंक में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए जिनके वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधारी लागत को भी पूरा नहीं करते हैं। इसी तरह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों के बराबर या उससे अधिक ब्याज दरों पर ऋण विभिन्न संस्थाओं के लिए उचित हो, जो कि सरकार उधार निधियों पर भुगतान करती है।

कड़िका 1.8.3 एवं 1.8.4

### राज्य आपदा राहत निधि (रा.आ.रा.नि.)

मार्च 2017 तक रा.आ.रा.नि. में ₹ 693.20 करोड़ का अंतिम शेष था जो मार्गदर्शिका के अनुसार निवेश नहीं हुआ। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओवरड्राफ्ट ब्याज दरों के आधार पर दिशानिर्देशों के विपरीत, यह अनुमान लगाया गया था कि अनुमानित ब्याज पर राज्य शासन की देयता 2010 से ₹ 225.87 करोड़ और केवल वर्ष 2016–17 में ₹ 31.43 करोड़ थी, जो राजस्व आधिक्य को बढ़ा तथा राजकोषीय घाटे को संबंधित वर्षों तक कम किया।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा राहत निधि के तहत शेष का निवेश करना चाहिए।

कड़िका 1.9.4

### अधोसंरचना विकास निधि (अ.वि.नि.)

वर्ष 2005–06 से 2016–17 के दौरान, सरकार ने अधोसंरचना विकास उपकर (अ.वि.उ.) के तहत ₹ 727.63 करोड़ एकत्र किए, जिनमें से केवल ₹ 423.39 करोड़ (58 प्रतिशत) अ.वि.नि. में स्थानांतरित कर दिए गए थे। अ.वि.नि. में स्थानांतरित शेष राशि 31 मार्च 2017 तक उपयोग नहीं की गई थी। ₹ 304.24 करोड़ के गैर हस्तांतरण ने राज्य शासन की देयता में वृद्धि की है और राजस्व आधिक्य बढ़ा दिया है और संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटा को कम किया है।

**अनुशंसा:** राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधारभूत संरचना विकास उपकर अधोसंरचना विकास निधि में नियमित रूप से स्थानांतरित एवं अधिनियम के प्रावधानुसार उपयोग हो।

कड़िका 1.9.6

### प्रत्याभूतियों की स्थिति—आकस्मिक दायित्व

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूतियों के 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान के साथ प्रत्याभूति विमोचन निधि (प्र.वि.नि.) गठित करना था। तदनुसार, राज्य शासन को प्र.वि.नि. गठन करने और वर्ष 2005–06 से 2016–17 तक निधि में ₹ 112.60 करोड़ स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, जिनमें से ₹ 9.94 करोड़ केवल वर्ष 2016–17 से संबंधित थे। परन्तु राज्य

सरकार ने प्र.वि.नि. का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप राज्य शासन की देयता ₹ 112.60 करोड़ बढ़ी और राजस्व आधिक्य को बढ़ा दिया और संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटा को कम किया है।

**अनुशंसा:** बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार राज्य शासन को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन एवं संचालन करना चाहिए।

### कड़िका 1.9.7

#### वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर समर्पण

वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बचत ₹ 19,743.88 करोड़ (कुल अनुदान/विनियोग का 24.62 प्रतिशत) रहा, जिसमें से ₹ 3,827.93 करोड़ (कुल बचत का 19.39 प्रतिशत) कालातीत हो गया। 31 मार्च 2017 को शेष बचत ₹ 15,715.95 करोड़ में से ₹ 15,894.65 करोड़ समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग का कोई संभावना नहीं रह गया।

**अनुशंसा:** सभी पूर्वानुमानित बचतों को समर्पण समय पर किया जाना चाहिए ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

### कड़िका 2.1

#### अतिरिक्त व्यय को नियमित करने की आवश्यकता

वर्ष 2000-01 से 2016-17 के लिए प्रावधानों पर ₹ 3,257.55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय को, जैसे कि भारत के संविधान के अनुसार जरूरत है, राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल द्वारा नियमित कराने में विफल रहा है।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय के सभी मौजूदा मामलों को अति शीघ्र नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में अत्यन्त एवं चरम आपात स्थिति के मामले, जिसका व्यय केवल आकस्मिक निधि से पूरा किया जा सके को छोड़कर इस तरह के व्यय को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। जो विभागीय अधिकारी विधान मंडल के अनुमति से ज्यादा खर्च करते हैं उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

### कड़िका 2.2.1

#### बचत

कुल बचत ₹ 19,743.88 करोड़ के विरुद्ध 29 अनुदानों और एक विनियोग के तहत 37 प्रकरणों में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक तथा कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक ₹ 17,337.73 करोड़ (कुल बचत का 87.81 प्रतिशत) का बचत हुआ।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 41 अनुदानों एवं एक विनियोग के अंतर्गत 52 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की सतत् बचत थी। आठ प्रकरणों के प्रत्येक प्रावधान में 30 प्रतिशत से अधिक की सतत् बचत हुई थी।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को मासिक व्यय की ज्यादा कारगर समीक्षा करनी चाहिए ताकि सभी अनुमानित बचत का समर्पण समय पर हो सके।

### कड़िका 2.2.4 एवं 2.2.5

#### व्यय की अतिवेग

वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही के दौरान 39 मुख्य शीर्षों में ₹ 5,569.91 करोड़ का व्यय हुआ, जो कि इन शीर्षों के तहत कुल व्यय ₹ 8,756.54 करोड़ का 64 प्रतिशत है।

इसका कुल व्यय ₹ 2776.67 करोड़ (कुल व्यय का 32 प्रतिशत) वर्ष 2017 के मार्च माह में हुआ जो कि बजट मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत है।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय के अतिव्यय को नियंत्रित करना चाहिए।

**कॉडिका 2.2.12**

### आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य सरकार द्वारा जून 2016 में आकस्मिकता निधि से ₹ 2.09 करोड़ पर्यटन विभाग के व्यय को पूरा करने हेतु आहरित किया, जो कि न ही अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति की थी।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय को पूरा करने के अलावा आकस्मिक निधि से कोई भी अग्रिम आहरित न की जाये, जैसा कि भारत के संविधान में निहित है।

**कॉडिका 2.3**

### लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

31 मार्च 2017 की स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा आहरित अनुदान देयकों के विरुद्ध राशि ₹ 5,016.79 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प) लंबित थे।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को एक समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अन्दर प्रशासनिक विभाग, जिन्होंने अनुदान जारी किया है, अनुदान आदेश में तय समयसीमा से परे लंबित सभी उ.प्र.प. प्राप्त करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि के दौरान प्रशासनिक विभाग कोई अन्य दोषी अनुदानग्राही को जारी न करें। सरकार को वैसे अधिकारी जो समय के अन्दर उ.प्र.प. जमा नहीं करते हैं, के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

**कॉडिका 3.1**

### सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

तेरह कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखे एक से पाँच वर्षों तक लंबित थे। इसके बावजूद, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 तक आठ कार्यशील सा.क्षे. उ. को ₹ 7,707.17 करोड़ का बजटीय समर्थन [इक्विटी: ₹ 490 करोड़ (एक सा.क्षे.उ.), प्रत्याभूति: ₹ 3,401.30 करोड़ (तीन सा.क्षे.उ.), अनुदान: ₹ 570.82 करोड़ (तीन सा.क्षे.उ.) तथा अन्य सब्सिडी एवं राजस्व अनुदान: ₹ 3,236.05 करोड़ (छ: सा.क्षे.उ.)] प्रदान किया गया।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.उ. के प्रकरणों में जहाँ लेखे बकाया है की समीक्षा करनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक तर्कसंगत अवधि के भीतर लेखें अद्यतन और उन सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन को अवरुद्ध करना चाहिए जहाँ लेखे लगातार बकाया है।

**कॉडिका 3.2**

### सा.क्षे.उ. द्वारा लाभांश का घोषित ना होना

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को सरकार द्वारा अंशदानीत प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। उनके नवीनतम लेखे अनुसार ₹ 6,146.97 करोड़ की सरकारी इक्विटी

वाले ₹ 74.43 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया। वर्ष 2016–17 के दौरान केवल एक सा.क्षे.उ. छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने लाभांश ₹ 0.87 करोड़ प्रस्तावित किया जो कि लाभ ₹ 8.75 करोड़ का 9.94 प्रतिशत है।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार को शेयर पूँजी निवेश पर प्राप्त वापसी के लिए नीति तैयार करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि लाभांश पाने वाले सा.क्षे. उपक्रमों नीति के अधीन लाभांश घोषित करें।

### कड़िका 3.2.1

#### लंबित विस्तृत देयक

संक्षिप्त आकास्मिक देयको के विरुद्ध विस्तृत आकास्मिक देयक राशि ₹ 25.19 करोड़ मार्च 2017 के अन्त तक लंबित थे।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि में संक्षिप्त आकास्मिक देयकों का समायोजन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस निर्देश को अनुपालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करें।

### कड़िका 3.3

#### उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का प्रारंभ किया जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 का उल्लंघन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2016–17 के बजट में महालेखाकार के परामर्श के बिना राजस्व तथा पूंजीगत शीर्षों के अधीन 57 नवीन उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष प्रारंभ किया।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को लघु शीर्ष के अंतर्गत नवीन उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष महालेखाकार के परामर्श उपरांत प्रारंभ करना चाहिए।

### कड़िका 3.6

#### लघु शीर्ष- 800 में दर्ज किया जाना

छत्तीसगढ़ शासन ने दुर्लभ संचालित लघु शीर्ष-800 की नियमित रूप से संचालन किया। वर्ष 2016–17 के दौरान लघु शीर्ष में ₹ 2,290.09 करोड़ का प्राप्ति दर्ज हुआ फलस्वरूप लेनेदनों की अस्पष्टता प्रदर्शित हुई।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार विमर्श करके लघु शीर्ष-800 में प्रदर्शित होने वाले सभी का विस्तृत अवलोकन करें एवं यह सुनिश्चित करें कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय भविष्य में उपर्युक्त लेखा शीर्ष में दर्ज हों।

### कड़िका 3.7

#### शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना

वर्ष 2011–16 के दौरान, कोषालय से आहरित कर अनियमित रूप से ₹ 36.00 करोड़ को शासकीय लेखे बाहर रखा गया।

**अनुशंसा:** शासन को शासकीय खाते से बाहर धनराशि को रखने से रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए तथा शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

### कड़िका 3.8.1

### राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन

नवंबर 2000 में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशक बाद अनुवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच लोक लेखा शीर्षों के अंतर्गत राशि ₹ 669.75 करोड़, पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत ₹ 5,755.20 करोड़ तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत ₹ 2,176 करोड़ राशि का संविभाजन किया जाना शेष है।

**अनुशंसा:** दोनों अनुवर्ती राज्यों के बीच लोक लेखा, पूंजीगत लेखा जमा एवं अग्रिम की शेष राशि के संविभाजन की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए राज्य शासन को मध्य प्रदेश के साथ संपर्क करना चाहिए।

**कड़िका 3.11**

### राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वित्त लेखे में व्यय एवं राजस्व के त्रुटिपूर्ण अंकन/लेखन के फलस्वरूप राजस्व आधिक्य में राशि ₹ 1,509.67 करोड़ अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में राशि ₹ 30.79 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

प्रतिवेदन के विभिन्न स्थानों में चर्चानुसार, लेखापरीक्षा द्वारा परिगणित, व्यय तथा राजस्व का त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि/लेखांकन के कारण राजस्व आधिक्य में ₹ 1,656.47 करोड़ का अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 46.01 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है। राज्य का दायित्व में भी ₹ 2,650.96 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

**कड़िका 3.13**

प्रथम अध्याय  
राज्य शासन के वित्त



## प्रथम अध्याय

### राज्य शासन के वित्त

#### छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

यह अध्याय वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2015-16 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय संचय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

विश्लेषण छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे में निहित विवरणों पर आधारित है। राज्य की प्रोफाइल **परिशिष्ट 1.1 (भाग-अ)** में दी गई है।

#### 1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)<sup>1</sup>

वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति **तालिका 1.1** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1- भारत का सकल घरेलू उत्पाद तथा राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्तमान मूल्यों पर भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
वर्तमान मूल्यों पर भारत का स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.82	12.97	10.79	9.94	10.98
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,77,511	2,06,690	2,34,982	2,60,776	2,90,140
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.30	16.44	13.69	10.98	11.26
स्थिर मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,65,937	1,82,229	1,96,023	2,09,012	2,23,932
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.97	9.82	7.57	6.63	7.13

(स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट)

सरकारी लेखाओं के संरचना की व्याख्या **परिशिष्ट 1.1 के भाग-ब** में तथा वित्त लेखाओं का अभिन्यास **भाग ग** में चित्रित किया गया है।

#### 1.1.1 वर्ष 2016-17 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

राज्य की वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति **परिशिष्ट 1.2** में दी गई है।

**तालिका 1.2** वर्ष 2015-16 के सम्मुख 2016-17 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों को तुलानात्मक सारांश प्रस्तुत करता है।

**परिशिष्ट 1.3 (भाग अ और ब)** वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्तियों और संवितरण के साथ-साथ समग्र वित्तीय स्थिति का एक सार प्रदान करता है।

<sup>1</sup> स.घ.उ. एवं स.रा.घ.उ. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर एक तय समय में उत्पादित सभी अधिकृत मान्यता प्राप्त तैयार पूर्ण सामग्रियों एवं सेवाओं के बाजार मूल्य है और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक है।

तालिका 1.2: वर्ष 2016-17 के राजकोषीय प्रचालन का सारांश  
(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
अनुभाग अ- राजस्व	2015-16	2016-17	अनुभाग अ- राजस्व	2015-16	2016-17		
					अयोजनेत्तर	आयोजना	कुल
राजस्व प्राप्तियाँ	46,067.71	53,685.25	राजस्व व्यय	43,701.06	23,911.70	24,252.90	48,164.60
स्वयं के कर राजस्व	17,074.86	18,945.21	सामान्य सेवायें	10,408.76	11,416.51	79.72	11,496.23
कर भिन्न राजस्व	5,214.79	5,669.25	समाजिक सुरक्षा	16,339.35	6,404.92	14,936.69	21,341.61
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	15,716.47	18,809.16	आर्थिक सेवायें	16,052.54	4,939.72	9,236.49	14,176.21
भारत सरकार का अनुदान	8,061.59	10,261.63	सहायता अनुदान/ अंशदान	900.41	1,150.55	00.00	1,150.55
<b>भाग-ब- पूँजीगत एवं अन्य</b>							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.84	2.37	पूँजीगत व्यय	7,945.01	38.71	9,431.80	9,470.51
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	296.39	172.99	संवितरित ऋण तथा आग्रिम	164.73	0.00	272.71	272.71
अंतर्राज्यीय समायोजन	0.52	0.38	अंतर्राज्यीय समायोजन	0.49	..	..	0.44
लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,251.15	5,479.93	लोक ऋण की अदायगी	1,250.18	..	..	1,152.63
आकस्मिकता निधि	0.00	60.00	आकस्मिकता निधि का विनियम	0.00	..	..	60.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	55,059.09	62,693.95	लोक लेखा संवितरण	54,000.89	..	..	61,148.85
प्रारंभिक रोकड़ शेष	1,218.38	2,833.72	अंतिम रोकड़ शेष	2,833.72	..	..	4,658.85
<b>योग</b>	<b>1,09,896.08</b>	<b>1,24,928.59</b>	<b>योग</b>	<b>1,09,896.08</b>			<b>1,24,928.59</b>

(स्रोत: राज्य शासन के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे)

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)/राजस्व व्यय (रा.व्य.)/पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.3 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पूँ.व्य. की प्रवृत्तियाँ

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	औसत
1	2	3	4	5	6	7
<b>स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ</b>						
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	29,578	32,050	37,988	46,068	53,685	
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा.की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.35	8.36	18.53	21.27	16.53	15.81
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	27,649	28,257	31,690	36,924	41,434	
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर	6.89	2.20	12.15	16.52	12.21	9.99
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	16.66	15.51	16.17	17.67	18.50	16.90
<b>स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व व्यय</b>						
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	26,972	32,859	39,561	43,701	48,165	
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.20	21.83	20.40	10.46	10.21	16.42
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	25,213	28,970	33,002	35,026	37,174	

1	2	3	4	5	6	7
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर	11.43	14.90	13.92	6.13	6.13	10.50
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	15.19	15.90	16.84	16.76	16.60	16.26
<b>स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय</b>						
वर्तमान मूल्यों पर पूँव्य. (₹ करोड़ में)	4,919	4,574	6,544	7,945	9,471	
वर्तमान मूल्यों पर पूँव्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.28	-7.01	43.07	21.41	19.21	19.59
स्थिर मूल्यों पर पूँव्य. (₹ करोड़ में)	4,598	4,033	5,459	6,368	7,310	
स्थिर मूल्यों पर पूँव्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.37	-12.30	35.37	16.65	14.79	13.58
पूँव्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	2.77	2.21	2.78	3.05	3.26	2.82

जैसा की उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक रा.प्रा., रा.व्य. तथा पूँव्य. में वृद्धि हुई है। यद्यपि वर्ष 2015-16 में समायोजित रा.व्य., स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के संदर्भ में घटा था। वैसे ही वर्ष 2013-14 में समायोजित रा.प्रा. एवं पूँव्य., स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के संदर्भ में घटा था।

हालांकि, राज्य का स.रा.घ.उ. के अनुपात में पूँजीगत व्यय (3.26 प्रतिशत) पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेश (5.47 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (4.26 प्रतिशत) और झारखंड (4.28 प्रतिशत) से कम है।

### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की अनुशंसा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधानसभा में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति (म.रा.नी.) विवरणी के आधार पर बजट में उपबंधित लक्षित मुख्य अवयवों के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.4 में दिया गया है। उज्ज्वल डिस्कॉम एसोरेंस योजना (उदय) के लागू किये जाने पर वर्ष 2015-16 के दौरान उर्जा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के ऋण के अधिग्रहण के कारण सरकार पर हुए अतिरिक्त भार की चर्चा कण्डिका 1.4.2.1 में की गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी (छ.रा.वि.वि.क) से संबद्ध कुल ₹ 1,740.24 करोड़ के बकाया दायित्व<sup>2</sup> में छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2015-16 में उदय बॉण्ड पर ₹ 870.12 करोड़ बाजार से उधार लिया। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार के निर्देशानुसार रिस्ट्रक्चर्ड एक्सीलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एवं रिफॉर्म प्रोग्राम (आर.ए.पी.डी.आर.पी.) के तहत उठाए गए ऋण, उदय ऋण में शामिल नहीं करना है, तथा कुल ऋण ₹ 1,740.24 करोड़ से ₹ 1,153.60 करोड़ हो गए। इस प्रकार राज्य सरकार की जिम्मेदारी उदय के तहत ₹ 865.20 करोड़ कर दी और इसके परिणामस्वरूप 2016-17 में कोई और उदय बॉण्ड जारी नहीं किया गया।

वर्ष 2016-17 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान, जैसा कि राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित है तालिका 1.4 में प्रस्तुत किया गया है।

<sup>2</sup> कुल दायित्व ₹ 1,740.24 करोड़ (- कम) ₹ 586.64 करोड़ आर-ए.पी.डी.आर.पी. के तहत लिया गया ऋण = ₹ 1,153.60 करोड़

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव

राजकोषीय अवयव	2016-17			
	14 <sup>व</sup> वि.आ. का लक्ष्य	एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक
राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+)	राजस्व आधिक्य	आधिक्य ₹ 5,037.14 करोड़	आधिक्य ₹ 5,037.14 करोड़	आधिक्य ₹ 5,520.65 करोड़
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना ₹ 8,111.32 करोड़	₹ 8,111.32 करोड़	₹ 4,047.27 करोड़ (1.39 प्रतिशत स.रा.घ.उ.)
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	15.50	15.45	16.31	14.97

बजट अनुमान (₹ 8,111.32 करोड़) के की तुलना में राजकोषीय घाटा (₹ 4,047.27 करोड़) रहा जो कि मुख्य रूप से राजस्व आधिक्य (₹ 484 करोड़) तथा पूँजीगत व्यय (₹ 3,533 करोड़) में कमी के कारण हुआ।

#### 1.1.2.1 राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण स्वरूप का संयोजन

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:-

तालिका 1.5:-राजकोषीय घाटे के अवयव एवं वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6
<b>राजस्व घाटे की संरचना</b>					
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य	2,606.25	(-)809.31	(-)1,573.28	2,366.65	5,520.65
शुद्ध पूँजीगत व्यय	(-)4,916.94	(-)4,566.55	(-)6,541.22	(-)7,942.17	(-)9,468.14
शुद्ध ऋण तथा आग्रिम <sup>3</sup>	(-)344.45	318.58	106.23	131.69	(-)99.78
उदय से संबंधित व्यय छोड़कर <sup>4</sup>				870.12	
<b>कुल</b>	<b>(-)2,655.14</b>	<b>(-)5,057.28</b>	<b>(-)8,008.27</b>	<b>(-)4,573.71</b>	<b>(-)4,047.27</b>
<b>राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप*</b>					
बाजार से लिए गए उधार	1,036.47	2,843.99	3,807.65	4,666.75	3,897.68
भारत सरकार से ऋण	(-)152.37	(-)134.50	(-)148.49	(-)18.79	211.57
एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	15.00	1.42	414.18	389.09	(-)420.53
वित्तीय संस्थाओं से ऋण (नाबार्ड)	119.34	531.33	645.80	525.92	638.58
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00	383.80	(-)383.80	0.00
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	293.47	265.40	443.83	514.30	426.96
जमा तथा अग्रिम	521.18	1,818.98	466.62	(-)69.54	550.66
उंचत तथा विविध	(-)1,107.52	(-)1,243.93	1,449.74	(-)1,823.27	(-)629.98
प्रेषण	(-)264.11	(-)98.03	193.52	11.94	49.14

<sup>3</sup> अन्तर्राज्यीय परिशोधन सम्मिलित।

<sup>4</sup> उदय की मार्गदर्शिका के अनुसार, वर्ष 2015-16 और 2016-17 में राज्य द्वारा लिया गया कर्ज राजकोषीय घाटे में सम्मिलित नहीं किया जाना।

1	2	3	4	5	6
अन्य <sup>5</sup>	332.15	305.16	264.02	389.93	639.80
<b>कुल</b>	<b>793.61</b>	<b>4,289.82</b>	<b>7,920.67</b>	<b>4,202.53</b>	<b>5,363.90</b>
कुल अधिक्त्य (+)/ घाटा(-)	(-) 1,861.53	(-) 767.46	(-) 87.60	(-)371.18	(-)1,316.63
<b>योग</b>	<b>2,655.14</b>	<b>5,057.28</b>	<b>8,008.27</b>	<b>4,573.71</b>	<b>4,047.27</b>

\*सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बहाव हैं।  
(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

### 1.1.2 घाटे/आधिक्त्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात तथा प्राथमिक घाटों का प्राथमिक राजस्व घाटा<sup>6</sup> एवं पूँजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित) का अपघटन राज्य के वित्त घाटा की गुणवत्ता को दर्शाता है। प्राथमिक घाटे (तालिका 1.6) का विभाजन दर्शाता है कि किस सीमा तक पूँजी व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ है जो कि सरकार की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वांछनीय हो सकता है।

तालिका 1.6 राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्त्य के अवयव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्रारंभिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण तथा अग्रिम	प्राथमिक व्यय <sup>7</sup>	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्त्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्त्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2012-13	31,124	25,819	4,919	1,888	32,626	5,305	(-) 1,502
2013-14	33,699	31,508	4,574	1,318	37,408	2,191	(-) 3,709
2014-15	38,187	37,835	6,544	88	44,467	352	(-) 6,281
2015-16	46,367	41,552	7,075*	165	49,662	4,815	(-) 2,425
2016-17	53,861	45,478	9,471	273	55,222	8,383	(-) 1,361

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

\*उदय के अंतर्गत, ₹ 870.12 करोड़ के व्यय को छोड़कर।

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, राज्य के गैर-ऋण प्राप्तियां राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

### 1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविकतायें


बजट अनुमानों के मुकाबले वास्तविक प्राप्तियां और व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित और अनपेक्षित घटनाओं के कारण या बजट तैयार करने के दौरान व्यय या राजस्व के कम/अधिक अनुमान के कारण हुआ, जो कि वांछित राजकोषीय उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

वर्ष 2016-17 के लिए चयनित वित्तीय मानदंडों के बजट अनुमानों के मुताबिक वास्तविकता चार्ट 1.1 और परिशिष्ट 1.4 में दिखाया गया है।

<sup>5</sup> आकस्मिकता निधि और आरक्षित निधि सम्मिलित।

<sup>6</sup> प्राथमिक राजस्व घाटा को राज्य के गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों की सीमा को इंगित करता है।

<sup>7</sup> प्राथमिक व्यय, ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व, पूँजी तथा ऋण और अग्रिम को सम्मिलित करता है।



(स्रोत: राज्य शासन के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे एवं राज्य के 2016-17 के बजट अनुमान)

जैसा कि देखा जा सकता है कि राज्य सरकार वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 8,225 करोड़), जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 2,230 करोड़), कृषि तथा संबंध क्रिया-कलाप (₹ 2,129 करोड़) और वेतन एवं विविध सामान्य सेवायें (₹ 1,697 करोड़), में बजट अनुमान के मुकाबले कमी करके महत्वपूर्ण राजस्व आधिक्य प्राप्त करने में सक्षम हुई। इसी तरह से पूँजीगत व्यय में कमी (₹ 3,533 करोड़) मुख्य रूप से परिवहन (₹ 2,301 करोड़) और ग्रामीण विकास (₹ 477 करोड़) में कमी के कारण हुई।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने के प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच लगातार अंतर कम हो।

#### 1.1.4 जेंडर बजट

राज्य का जेंडर बजट कुल बजट का वह हिस्सा होता है जो महिलाओं को पूरी तरह से या आंशिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया हो। बजट दस्तावेज के मुताबिक, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो भागों में बांटा गया है— (1) योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

यह देखा गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान 25 योजनाएं जो कि 100 प्रतिशत महिला केंद्रित कार्यों की थी, के लिए ₹ 1,455.87 करोड़ (₹ 1,250.08 करोड़; मूल बजट प्रावधान और ₹ 205.79 करोड़; पूरक बजट प्रावधान) के बजट प्रावधान किए गए थे (परिशिष्ट 1.5) जिनमें से केवल ₹ 883.38 करोड़ (60.68 प्रतिशत) खर्च किया गया था तथा ₹ 595.26 करोड़ (40.88 प्रतिशत) या तो समर्पित या पुर्नविनियोजित किया गया तथा ₹ 22.77 करोड़ (1.56 प्रतिशत) का अधिक व्यय, समर्पण के पश्चात उपलब्ध बजट से किया गया।

इसके अलावा, 110 योजनाओं के लिए बजट प्रावधान ₹ 645.65 करोड़, जिसमें बजट केन्द्र (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिलाओं के केंद्रित कार्यों पर खर्च किया जाना था, बिना किसी उप शीर्ष के बनाया गया था। इस प्रकार, इन योजनाओं के तहत महिलाओं के ऊपर खर्च की गई वास्तविक राशि को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।



अनुशांसा: वित्त विभाग को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करके समय-समय पर सभी जेंडर बजट योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि महिलाओं से संबंधित कार्यों हेतु प्रावधान का पूर्णतः उपयोग किया जा सके।

## 1.2 राज्य के संसाधन


### 1.2.1 राज्य के वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

चार्ट 1.2, 1.3 और 1.4 वित्त लेखों में वर्णित राज्य के वित्तीय संसाधनों के विभिन्न परिक्षेत्र प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक एवं उप घटक



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)




(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

### 1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि हस्तांतरण

31 मार्च 2014 तक, केंद्र सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया जाता था, जिसे विवेचनात्मक के रूप में स्वीकार किया गया था और निधियाँ को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता था अतएव, वार्षिक वित्त लेखे राज्य के संसाधनों का संपूर्ण चित्रण नहीं करता था। भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2014 से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को न कर सीधे राज्य शासन को दिये जाने का निर्णय लिया गया था। जबकि वर्ष 2015-16 में जारी राशि ₹ 466.30 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1,112.05 करोड़ की केन्द्रीय राशि राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई, पिछले वर्ष जारी राशि की तुलना में ₹ 645.74 करोड़ (138.48 प्रतिशत) के निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में वृद्धि हुई।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियां

वर्ष 2012-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संरचना तथा प्रवृत्तियाँ परिशिष्ट 1.6 तथा चार्ट 1.5 में दर्शायी गई है।



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)



पिछले वर्ष ₹ 8,080 करोड़ (21.27 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में, वर्ष 2016–17 में राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 7,617 करोड़ (16.53 प्रतिशत) बढ़ी, जो मुख्य रूप से स्वयं के कर राजस्व (₹ 1,870 करोड़), कर भिन्न राजस्व (₹ 454 करोड़), संघीय करों का हिस्सा (₹ 3,093 करोड़) और भारत सरकार से सहायता में अनुदान (₹ 2,200 करोड़) के कारण हुई थी।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व की प्रवृत्ति तालिका 1.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.7: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
राज्य के स्वयं का कर राजस्व	13,034	14,343	15,707	17,075	18,945
राज्य के स्वयं का कर राजस्व / स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	7.34	6.94	6.68	6.55	6.53

राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2012–13 में ₹ 13,034 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016–17 में ₹ 18,945 करोड़ हो गई, जबकि यह स.रा.घ.उ. के अनुपात में घटी जो चिंताजनक है।

### 1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

14<sup>वें</sup> वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2016–17 हेतु राज्य की वास्तविक स्वयं का कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	14 <sup>वें</sup> वित्त का अनुमान	बजट अनुमान	एफ.आर.बी.एम. अनुमान	वास्तविक
कर राजस्व	24,033	21,964	21,964	18,945
कर-भिन्न राजस्व	5,569	7,420	7,420	5,669

(स्रोत: 14<sup>वें</sup> वि.आ. प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज तथा राज्य के वित्त लेखे 2016–17)

बजट अनुमान के मुकाबले स्वयं के कर राजस्व की कम प्राप्ति मुख्य रूप से मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क (₹ 274 करोड़), बिक्री पर कर, व्यापार इत्यादि (₹ 2,001 करोड़), माल तथा यात्रियों पर कर (₹ 223 करोड़), भूमि राजस्व (₹ 46 करोड़) तथा विद्युत पर करों तथा शुल्कों (₹ 80 करोड़) के कम संग्रहण के कारण हुई (परिशिष्ट 1.6)।

#### 1.3.1.1 कर राजस्व

वर्ष 2012–17 के दौरान कर राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में वृद्धि का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,929	7,930	8,429	8,908	9,927	11.44
राज्य उत्पाद शुल्क	2,486	2,549	2,892	3,338	3,444	3.18
वाहनों पर कर	592	651	703	829	985	18.82
मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	952	990	1,023	1,185	1,211	2.19
भू-राजस्व	234	226	332	364	504	38.46
माल एवं यात्रियों पर कर	954	945	982	1,040	1,340	28.85
अन्य कर <sup>8</sup>	887	1,052	1,346	1,411	1,534	8.72
<b>योग</b>	<b>13,034</b>	<b>14,343</b>	<b>15,707</b>	<b>17,075</b>	<b>18,945</b>	<b>10.95</b>
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	21.68	10.04	9.51	8.71	10.95	

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2016-17 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग के वर्ष हेतु मानक अनुमान ₹ 5,569 करोड़ के खिलाफ ₹ 5,669 करोड़ कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.) का संग्रह किया गया।

वर्ष 2012-17 के दौरान कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के विवरण नीचे तालिका 1.10 में दिए गए हैं।

तालिका 1.10: कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	विगत वर्ष की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत
ब्याज प्राप्तियाँ	243.13	380.90	171.89	108.23	157.24	(+)45.28
लाभोश एवं लाभ	2.19	14.21	0.86	5.73	0.55	(-)90.40
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ <sup>9</sup>	4,370.63	4,706.06	4,757.16	5,100.83	5,511.46	8.05
<b>कुल</b>	<b>4,615.95</b>	<b>5,101.17</b>	<b>4,929.91</b>	<b>5,214.79</b>	<b>5,669.25</b>	<b>8.71</b>

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियों में क.भि.रा. का हिस्सा वर्ष 2015-16 के दौरान 11 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 10.56 प्रतिशत हो गया। क.भि.रा. में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 8.71 प्रतिशत (₹ 454 करोड़) की वृद्धि हुई जो कि मुख्य रूप से गैर-लौह खनन और धातु कर्म उद्योगों में ₹ 432 करोड़ (11.64 प्रतिशत) लघु तथा सिंचाई ₹ 59 करोड़ (48.34 प्रतिशत) के कारण हुआ।

<sup>8</sup> अन्य व्यय-होटल प्राप्तियाँ, आय तथा व्यय पर कर बिजली पर कर, सेवाओं तथा वस्तुओं पर कर।

<sup>9</sup> गैर-लौह खदान और धातु कर्म उद्योग, वानिकी तथा वन्य जीव, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, अनाज संग्रहण और भंडारण इत्यादि।

### 1.3.2 कर के संग्रहण की लागत

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संग्रहण और लागत का विवरण तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: कर और शुल्कों के संग्रहण की लागत

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह (₹ करोड़ में)	राजस्व संग्रह पर व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय संग्रह का प्रतिशत	पिछले वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत में
बिक्री व्यापार इत्यादि पर वैट/कर	2016-17	9,927.21	56.72	0.57	0.66
वाहनों पर कर	2016-17	985.27	14.96	1.52	4.99
राज्य उत्पाद शुल्क	2016-17	3,443.51	131.46	3.82	3.21
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2016-17	1,211.35	24.78	2.05	2.87

(महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा संकलित जानकारी)

### 1.3.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को सहायता अनुदान और संघीय कर एवं शुल्कों का हिस्सा मिलता है। भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण तालिका 1.12 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1.12: भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गैर-योजना अनुदान	1,227.29	1,415.78	1,568.28	2,328.79	2,013.42
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	2,112.69	2,121.47	6,435.44	4,775.83	7,785.03
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	107.28	43.34	131.73	91.37	64.59
केन्द्र प्रयोजित योजनाओं हेतु अनुदान	1,263.07	1,145.57	852.35	865.60	398.59
<b>कुल</b>	<b>4,710.33</b>	<b>4,726.16</b>	<b>8,987.80</b>	<b>8,061.59</b>	<b>10,261.63</b>
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	(-)-1.38	0.34	90.17	(-)-10.31	27.29
राजस्व प्राप्तियाँ	29,578	32,050	37,988	46,068	53,685
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	15.93	14.75	23.66	17.50	19.11

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से गैर-योजना अनुदान में कमी मुख्य रूप से राज्य आपदा राहत निधि में वर्ष 2015-16 में ₹ 249.73 करोड़ से वर्ष 2016-17 में ₹ 94.87 करोड़ होने हेतु योगदान में कमी के कारण हुई।

वर्ष 2016-17 में राज्य योजना अनुदान में वृद्धि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 449.81 करोड़), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 1,967.72 करोड़) और एकीकृत बाल विकास योजना-पूरक पोषण (₹ 224.62 करोड़) के अनुदान के कारण थी।

केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान में कमी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टुरीज्म के विकास-स्वदेश दर्शन योजना, वन बंधन कल्याण योजना और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, प्राप्ति नहीं होने के कारण थी।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान में कमी मुख्य रूप से हाउसिंग फॉर ऑल-सरदार पटेल शहरी आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना- सामान्य और सामाजिक सुरक्षा योजना और कल्याण योजनाओं के तहत प्राप्ति नहीं होने के कारण थी।

### 1.3.4 केंद्रीय कर हस्तांतरण

वर्ष 2012-17 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को हस्तांतरित करों का विवरण तालिका 1.13 में नीचे दिया गया है-

तालिका 1.13: केंद्रीय कर अंतरण की प्रदत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
केंद्रीय कर हस्तांतरण	7,217.60	7,880.22	8,363.03	15,716.47	18,809.16
राजस्व प्राप्तियों के हिस्से के रूप में केंद्रीय कर हस्तांतरण	24.40	24.59	22.01	34.12	35.04

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष से केंद्रीय कर हस्तांतरण में वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर (₹ 1,070 करोड़), संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 887 करोड़), निगम कर के अलावा आय पर कर (₹ 729 करोड़) सेवा कर (₹ 319 करोड़) के अंतर्गत हुआ।

### 1.3.5 त्यक्त राजस्व

#### 1.3.5.1 करों का कम निर्धारण: आरोपण न किया जाना, अल्प आरोपण

वर्ष 2016-17, के दौरान कुल 464 इकाईयों में से 85 इकाईयों<sup>10</sup> जो कि वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, खनन प्राप्ति, वाहनों पर कर, वानिकी और वन्य जीवन और विद्युत कर से संबंधित थे, के नमूना जांच से प्रदर्शित हुआ कि 38,061 प्रकरणों में करों और शुल्क के कम वसूली/वसूली नहीं किए जाने/राजस्व की हानि के रूप में कुल ₹ 502.05 करोड़ की हानि हुई। संबंधित विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गए 13,616 मामलों में ₹ 159 करोड़ की कम आकलन और अन्य कमियों को स्वीकार किया।

#### 1.3.5.2 बकाया राजस्व

बकाया राजस्व की राशि का विवरण नीचे तालिका 1.14 में विस्तृत है:-

<sup>10</sup> वाणिज्यिक कर विभाग (13 इकाईयों), मुद्रांक और पंजीयन विभाग (नौ इकाईयों), राज्य आबकारी विभाग (17 इकाईयों), भू-राजस्व विभाग (चार इकाईयों), विद्युत तथा सुरक्षा विभाग (चार इकाईयों), परिवहन विभाग (10 इकाईयों), भू-गर्भ तथा खदान विभाग (नौ इकाईयों), वन विभाग (19 इकाईयों)।

तालिका 1.14: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2017 को कुल बकाया	31 मार्च 2017 को पांच साल से अधिक का बकाया
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	1,887.09	831.28
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	49.91	19.91
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	708.53	108.35
4.	वाहनों पर कर	26.65	9.80
5.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	17.23	2.35
6.	गैर लौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	0.85	0.85
7.	वानिकी एवं वन्य जीवन	8.67	3.30
<b>योग</b>		<b>2,698.93</b>	<b>975.84</b>

(स्रोत:- राजस्व अनुभाग एवं संबंधित विभाग)

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने बकाया राजस्व की आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

अनुशासा: वित्त विभाग को बकाया राजस्व की तेजी से वसूली के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

**1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ**

पूँजी भाग के अंतर्गत वर्ष 2012-17 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.15 एवं परिशिष्ट 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.15:- पूँजीगत प्राप्तियों के घटक तथा वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	2.39	7.64	3.03	2.84	2.37
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली (₹ करोड़ में)	1,542.01	1,637.27	194.86	296.39	172.99
अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ करोड़ में)	1.53	5.14	0.91	0.52	0.38
<b>(अ) कुल गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)</b>	<b>1,545.93</b>	<b>1,650.05</b>	<b>198.80</b>	<b>299.75</b>	<b>175.74</b>
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.96	6.74	(-)87.95	50.78	(-)41.37
आंतरिक ऋण (₹ करोड़ में)	2,041.03	3,917.30	6,430.98	7,105.87	5,098.40
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (₹ करोड़ में)	16.70	14.59	8.69	145.28	381.53
<b>(ब) लोक ऋण (₹ करोड़ में)</b>	<b>2,057.73</b>	<b>3,931.89</b>	<b>6,439.67</b>	<b>7,251.15</b>	<b>5,479.93</b>
<b>पूँजीगत प्राप्तियाँ (अ+ब) (₹ करोड़ में)</b>	<b>3,603.66</b>	<b>5,581.94</b>	<b>6,638.47</b>	<b>7,550.90</b>	<b>5,655.67</b>
लोक ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	388.38	91.08	63.78	12.60	(-)24.43
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.ड. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.30	16.44	13.69	10.98	11.26
पू.+प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	110.74	54.90	18.93	13.74	(-)25.10

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2015-16 में पूँजीगत प्राप्ति उज्ज्वल डिसकॉम एसोरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत ₹ 870.12 करोड़ के बांड प्राप्त होने के कारण बढ़ा था। वर्ष 2016-17 के दौरान कोई विनिवेश नहीं किया गया।

#### 1.4.1 ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ

वर्ष के दौरान, ऋण की वसूली मुख्य रूप से नई शहरी जल आपूर्ति योजना (₹ 64.15 करोड़), शहरी निकायों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण, (₹ 43.15 करोड़) महामाया सहकारी चीनी मिल अंबिकापुर (₹ 30.95 करोड़) और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम द्वारा गोदामों का निर्माण (₹ 9.31 करोड़) से हुई।

#### 1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.16 में दिया गया है।

तालिका 1.16: राजस्व सरकार के आंतरिक ऋण के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बजार ऋण	1,500.00	3,000.00	4,200.00	4,850.00	4,200.00
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	0.00	0.00	0.00	870.12	0.00
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	288.80	674.62	796.13	673.52	898.40
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	252.23	242.68	658.81	712.23	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00	776.04	0.00	0.00
योग	2,041.03	3,917.30	6,430.98	7,105.87	5,098.40

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा निवेश और ऋण और अग्रिम की तुलना में उच्च ब्याज दर पर उधार लेने के असर की चर्चा **कांडिका 1.8.3 और 1.8.4** में की गई है।

#### 1.4.2.1 डिसकॉम हेतु उदय बांड पर उधार

भारत सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एसोरेंस योजना (उदय) को मंजूरी दिया है जो राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय बदलाव के लिए तथा अपनी परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार करने के लिए एक योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए ₹ 1,305.18 करोड़<sup>11</sup> का कर्ज लेने की आवश्यकता थी, जिसमें ₹ 870.12 करोड़<sup>12</sup> वर्ष 2015-16 में तथा बकाया ₹ 435.06 करोड़ वर्ष 2016-17 में लिया। इसी प्रकार राज्य शासन ने वर्ष 2015-16 में बाँड जारी कर ₹ 870.12 करोड़ लिया। अप्रैल 2016 में, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश दिया कि रिस्ट्रक्चर्ड एक्सीलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एव रिफॉर्म प्रोग्राम (आरएपीडीआरपी)<sup>13</sup> के तहत राज्य सरकार द्वारा ऋण नहीं लिया जाना चाहिए। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कुल ऋण को ₹ 586.64 करोड़ कम किया गया और ₹ 1,153.60 करोड़ (₹ 1,740.24 करोड़ - ₹ 586.64 करोड़) पर तय किया गया जिसमें से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में 75 प्रतिशत यानी ₹ 865.20 करोड़ लिया जाना था। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा लिया गया

<sup>11</sup> 30 सितंबर 2015 की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का 75 प्रतिशत बकाया दायित्व (₹ 1,740.24 करोड़)।

<sup>12</sup> वर्ष 2015-16 में अनुदान से।

<sup>13</sup> आरएपीडीआरपी-सरकार द्वारा जारी योजनाओं के तहत ऋण।

₹ 4.92 करोड़ (₹ 870.12 करोड़ – ₹ 865.70 करोड़) अतिरिक्त ऋण, छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से समायोजन की आवश्यकता है। हालांकि, वर्ष 2016–17 के दौरान कोई ऋण नहीं लिया गया।

### 1.4.3 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य योजनागत योजनाओं के लिए भारत सरकार से ₹ 382 करोड़ के ऋण और अग्रिम, मुख्यतः छत्तीसगढ़ सड़क क्षेत्र विकास परियोजना II (₹ 361.07 करोड़) और सतत शहरी परिवहन परियोजना (₹ 20.22 करोड़) के लिए दिये।

## 1.5 लोक लेखे की शेष राशि

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम उचंत और प्रेषण इत्यादि के तहत प्राप्तियाँ और वितरण जो राज्य के समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती है संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखी जाती है और न ही राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखे के तहत प्राप्तियों और वितरण की स्थिति वित्तीय लेखे के विवरण 21 में दिखायी गई है और लोक लेखे (निवल) का विवरण तालिका 1.17 में दिखायी गई है।

### तालिका 1.17:— निवल लोक लेखा प्राप्तियां तथा इसके घटक

(₹ करोड़ में)

	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल लोक प्राप्तियाँ
1	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,126.89	699.93	426.96
2	आरक्षित निधियां	1,617.38	977.58	639.80
3	जमा तथा अग्रिम	4,023.64	3,472.96	550.68
4	उचन्त और विविध	1,05,088.32	1,05,862.82	(-)774.50
	घटाइये— विभागीय शेष	8.92	6.09	2.83
	घटाइये – स्थाई अग्रदाय	0.00	0.01	(-)0.01
	घटाइये – रोकड़ शेष निवेश	58,377.52	59,033.36	(-)655.84
	कुल— उचन्त और विविध	46,701.88	46,823.36	(-)121.48
5	प्रेषण	9,224.16	9,175.02	49.14
	<b>योग (1 से 5 तक)</b>	<b>62,693.95</b>	<b>61,148.85</b>	<b>1,545.10</b>


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लघु बचत, भविष्य निधि और जमा तथा अग्रिम के तहत धन की शुद्ध उपलब्धता घाटे को वित्त प्रेषित करने में प्रमुख थे।

## 1.6 संसाधनों का उपयोग

### व्यय की वृद्धि तथा संरचना

चार्ट 1.6 वर्ष 2012-17 के दौरान क्रमशः कुल व्यय के प्रवृत्ति एवं संरचना को दर्शाते हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

#### 1.6.1 पूँजीगत व्यय

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 1,526 करोड़ (19.21 प्रतिशत) बढ़ गया जो कि मुख्य रूप से ऊर्जा (₹ 777 करोड़), परिवहन (₹ 354 करोड़), और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण (₹ 151 करोड़) पर पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुआ।

#### 1.6.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2015-16 में 84 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 83 प्रतिशत हुआ। 2016-17 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 17 प्रतिशत था। पिछले वर्ष 2015-16 के राजस्व व्यय ₹ 43,701 करोड़ की तुलना में वृद्धि वर्ष 2016-17 में ₹ 48,165 करोड़ (10.21 प्रतिशत) हो गया जो कि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं में क्रमशः ₹ 1,087 करोड़ और ₹ 5,002 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ।

##### 1.6.2.1 आयोजना राजस्व व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 28,456 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में आयोजना राजस्व व्यय ₹ 24,253 करोड़ था। वर्ष 2015-16 के सापेक्ष में वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजना राजस्व व्यय में 18.14 प्रतिशत (₹ 3,724 करोड़) की वृद्धि, मुख्यतः शिक्षा (₹ 1,429.06 करोड़), जल आपूर्ति, स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास कार्यक्रम (₹ 2,447.30 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 1,221.39 करोड़) के कारण हुई।

##### 1.6.2.2 आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 27,934 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 23,912 करोड़ था। वर्ष 2016-17 में पिछले वर्ष की तुलना में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ने ₹ 740 करोड़ (3.19 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा



(₹ 324.75 करोड़) और जल आपूर्ति, स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास कार्यक्रम (₹ 243.51 करोड़) के कारण हुई।

### 1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन और ब्याज पर व्यय शामिल होता है। तालिका 1.18, वर्ष 2012-17 के दौरान इन घटकों पर व्यय में प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.18: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी	7,687 (26)	9,137 (29)	10,003 (26)	10,865 (24)	14,460	11,424 (21)
आयोजनेत्तर शीर्ष	5,018	6,268	6,973	7,609	एन.ए.	7,972
आयोजना शीर्ष*	2,669	2,869	3,030	3,256	एन.ए.	3,452
सहायता अनुदान से वेतन का भुगतान	1,280 (4)	1,749 (5)	2,010 (5)	2,305 (5)	एन.ए.	2,868 (5)
ब्याज भुगतान	1,153 (4)	1,351 (4)	1,757 (5)	2,149 (5)	2,590	2,687 (5)
पेंशन	2,412 (8)	2,752 (9)	3,249 (9)	3,519 (8)	5,184	3,487 (6)
सब्सिडी	1,791 (6)	3,156 (10)	3,747 (10)	7,397 (16)	5,184	4,189 (8)
कुल	14,323 (48)	18,145 (57)	20,736 (55)	26,235 (57)		24,655 (46)

(स्रोत:— संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कोष्ठक राजस्व प्राप्ति को प्रतिशत इंगित करता है।

एन.ए. बजट अनुमान में उपलब्ध नहीं है।

\*केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत वेतन मजदूरी का भुगतान सम्मिलित

वेतन और मजदूरी (₹ 11,424 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 2,687 करोड़) और पेंशन (₹ 3,487 करोड़) कुल मिलाकर राजस्व व्यय के 37 प्रतिशत रहा तथा वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति का 33 प्रतिशत उपभोग किया।

### वेतन एवं मजदूरी

वेतन और मजदूरी पर व्यय वर्ष 2015-16 में ₹ 10,865 करोड़ का व्यय हुआ था जो कि वर्ष 2016-17 में बढ़कर (₹ 559 करोड़) ₹ 11,424 करोड़ हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान एफआरबीएम घोषणा (₹ 10,149 करोड़) में किए गए प्रावधानों की तुलना में वेतन और मजदूरी पर व्यय ₹ 1,275 करोड़ (12.56 प्रतिशत) अधिक हुआ। सहायता अनुदान<sup>14</sup> से भुगतान किया गया वेतन वर्ष 2015-16 में हुये व्यय ₹ 2,305 करोड़ से बढ़कर (₹ 563 करोड़) वर्ष 2016-17 में ₹ 2,868 करोड़ हो गया।

14

सहायता अनुदान से विभिन्न संस्थाओं शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृत, कृषि तथा संबद्ध क्रिया-कलाप और ग्रामीण विकास को वेतन भुगतान।

## ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक थी, जो कि मुख्य रूप से बाजार ऋण ₹ 438.28 करोड़ (51 प्रतिशत) पर ब्याज की तेज वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2016-17 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का पाँच प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के दौरान ब्याज भुगतान के प्रमुख घटक नीचे तालिका 1.19 में दिए गए हैं।

तालिका 1.19:- ब्याज भुगतान के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	बकाया दायित्व	2015-16		बकाया दायित्व	2016-17	
		ब्याज भुगतान	भुगतान किया गया ब्याज बकाया के प्रतिशत के रूप में		भुगतान किया गया बकाया	भुगतान किया गया ब्याज बकाया के प्रतिशत के रूप में
आंतरिक ऋण	24,214.56	1,575.58	6.51	28,330.29	2,107.16	7.44
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,835.59	145.83	7.94	2,047.15	137.49	6.72
लघु बचत भविष्य निधि आदि	4,165.51	355.82	8.54	4,592.47	370.95	8.08
अन्य	7,525.48	71.67	0.95	8,460.95	71.23	0.84
<b>कुल</b>	<b>37,741.14</b>	<b>2,148.90</b>	<b>5.69</b>	<b>43,430.86</b>	<b>2,686.83</b>	<b>6.19</b>

## पेंशन भुगतान

राज्य शासन कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उन्हें नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया जो कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के दिशानिर्देशानुसार कर्मचारी मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है तथा संपूर्ण राशि निश्चित निधि प्रबंधक के माध्यम से नेशनल सिविलियरी डिपाजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित किया जाता है।

मार्च 2006 से नवीन पेंशन योजना में योगदान के साथ दिसंबर 2004 से फरवरी 2006 तक बकाया अंशदान की कटौती की गई है। वर्ष 2006-17 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान ₹ 1,318.68 करोड़ के सापेक्ष, राज्य शासन ₹ 1,294.70 करोड़ बकाया जमा किया जो कि ₹ 23.98 करोड़ कम था। राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को निधि के देरी हस्तांतरण पर ग्राहको को देय ब्याज की देयता की गणना नहीं की।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य शासन ₹ 305.91 करोड़ के कर्मचारी अंशदान के विरुद्ध ₹ 301.27 करोड़ का अंशदान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.64 करोड़ का कम अंशदान तथा राजस्व आधिक्य में वृद्धि और राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ।

31 मार्च 2017, की स्थिति में ₹ 29.27 करोड़ लोक लेखे से एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक, में स्थानांतरित के लिए बकाया थे। ₹ 23.98 करोड़ का संक्षिप्त योगदान और ₹ 29.27 करोड़ गैर हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 53.25 करोड़ की देयता की अनावश्यक सृजन हुई। यद्यपि एन.एस.डी.एल. में संक्षिप्त योगदान/गैर हस्तांतरण, छत्तीसगढ़ के (₹ 53.25 करोड़), पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश (₹ 97.98 करोड़) और उत्तर प्रदेश (₹ 1,12,8.68 करोड़) से अच्छा रहा।

आगे, लोक लेखे में से देय ₹ 29.27 करोड़ 31 मार्च 2017 तक एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित होने हेतु लंबित था, लेकिन 30 जून 2017 तक ₹ 3.47 करोड़ लंबित रहा।

अनुशंसा: राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ता के हिस्से के साथ कर्मचारियों को योगदान तुरंत एन.एस.डी.एल. में स्थानांतरित कर दिया जाए। विभागीय अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जो समय पर नवीन पेंशन योजना के तहत योगदान स्थानांतरित करने में नाकाम रहते हैं।

### सब्सिडी

वर्ष 2016-17 में सब्सिडी ₹ 4,189 करोड़, राजस्व प्राप्तियों को 7.80 प्रतिशत रही, ये सब्सिडी मुख्यतः मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹ 2,103 करोड़), उपभोक्ताओं के बिजली फीस में माफी (₹ 700 करोड़) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (₹ 122 करोड़) में थी।

कुछ सब्सिडी वर्ष 2016-17 में सहायता अनुदान (प्रकार में) के रूप में तालिका 1.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20: राज्य शासन द्वारा दिया गया सहायता अनुदान (प्रकार में)

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	योजनाएं	2015-16	2016-17
स्कूल शिक्षा	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	53.73	106.17
स्कूल शिक्षा	निःशुल्क शालेय पुस्तकों का प्रदाय	57.31	93.57
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों एवं स्टेशनरी का वितरण	0.64	0.70
कृषि	पाँच एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	1,032.10	259.48
संचार	तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को निःशुल्क लेपटॉप/टेबलेट का प्रदाय	56.28	5.54
<b>योग</b>		<b>1,200.06</b>	<b>465.46</b>

(स्रोत:- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

### 1.7 व्यय की गुणवत्ता

विकास व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें) कुल व्यय का 78 प्रतिशत है

#### 1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2012-13 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2016-17 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूँजीगत व्यय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकता की समीक्षा तालिका 1.21 में की गई है।

तालिका 1.21: वर्ष 2012-13 एवं 2016-17 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ईई/स.रा.घ.उ.	डीई <sup>#</sup> /ईई	एसएसई/ईई	सीई/ईई	शिक्षा/ईई	स्वास्थ्य/ईई
<b>औसत (अनुपात) 2012-13</b>						
सामान्य श्रेणी राज्य	14.80	70.00	38.20	13.70	17.70	4.60
छत्तीसगढ़	19.03	77.40	37.69	20.15	16.76	3.83
<b>औसत (अनुपात) 2016-17</b>						
सामान्य श्रेणी राज्य	16.70	70.90	32.20	19.70	15.20	4.80
छत्तीसगढ़	19.98	77.76	41.36	16.91	20.00	5.68
ईई: सकल व्यय, डीई-विकास व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय #विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।						

### 1.7.2 व्यय के उपयोग की कुशलता

तालिका 1.22 पिछले वर्ष के बजट राशि एवं व्यय के साथ-साथ वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य का सकल व्यय के सापेक्ष में विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.22: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास राजस्व व्यय	19,468 (58)	24,038 (62)	29,541 (64)	32,392 (63)	41,578	35,518 (61)
विकास पूँजीगत व्यय	4,794 (14)	4,392 (11)	6,287 (14)	7,582 (15)	12,677	9,283 (16)
विकास ऋण एवं अग्रिम	1,882 (06)	1,309 (03)	78 (0.17)	164 (0.32)	660	273 (0.47)
<b>कुल विकास व्यय</b>	<b>26,144 (77)</b>	<b>29,739 (77)</b>	<b>35,906 (78)</b>	<b>40,138 (77)</b>	54,915	45,074 (78)
सकल व्यय (आरई+सीई+एल एवं ए)	33,779	38,757	46,195	51,811		57,968

कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है।

(स्रोत: विगत वर्षों के वित्त लेखे)

### 1.7.3 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.23 पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटक जो चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर व्यय के विवरण को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.23: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की कुशलता

(₹ प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2015-16			2016-17		
	सी.ई का टी.ई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में अनुरक्षण व्यय	वेतन एवं मजदूरी	सी.ई का टी.ई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में अनुरक्षण व्यय	वेतन एवं मजदूरी
1	2	3	4	5	6	7
<b>सामाजिक सेवाएं</b>						
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	3.40	0.48	40.82	4.24	0.48	27.68
सामान्य शिक्षा	0.96	0.12	39.21	0.89	0.11	34.44
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.56	0.70	50.09	0.56	0.63	44.23
जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास एवं शहरी विकास	1.27	2.52	9.53	1.89	0.98	3.29
<b>आर्थिक सेवाएं</b>						
कुल आर्थिक सेवाएं जिनमें	11.15	2.38	12.73	11.77	2.52	14.27
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	0.12	0.53	15.55	0.16	0.64	18.72
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3.35	10.12	51.00	3.26	4.95	47.42

(स्रोत: विगत वर्षों के वित्त लेखे) टी.ई: संबंधित क्षेत्र में कुल व्यय; सी.ई: संबंधित क्षेत्र में पूँजीगत व्यय;

## 1.8 शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूँजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

### 1.8.1 सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम

13<sup>वें</sup> एव 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आंकलन करने के लिए इन सिंचाई परियोजनाओं (राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ) पर लागत वसूली दर निर्धारित की थी। 2012-17 की अवधि के लिए राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.24 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.24: सिंचाई परियोजनाओं में लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय		13 <sup>वें</sup> एव 14 <sup>वें</sup> वित्त आयोग के लागत वसूली का आंकलन	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ		लागत वसूली में अंतर
	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में		प्रतिशत में	प्रतिशत में	
2012-13	372.74	604.00	45	162	(-)117	
2013-14	411.19	756.44	60	184	(-)124	
2014-15	448.12	544.85	75	122	(-)47	
2015-16	486.45	630.18	35	130	(-)95	
2016-17	508.63	624.47	35	123	(-)88	

राज्य सरकार ने वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के तहत किसी सिंचाई परियोजना को वाणिज्यिक के रूप में घोषित नहीं की इसके पश्चात् भी लागत वसूली का हिस्सा अनुकूल हुई। छत्तीसगढ़ (-88 प्रतिशत) की सिंचाई परियोजनाओं की अंतराल लागत वसूली पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश (-49 प्रतिशत), झारखण्ड (आठ प्रतिशत) एवं उत्तर प्रदेश (20 प्रतिशत) के तुलना में बेहतर थी।

*अनुशंसा:* राज्य सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार लागत वसूली का आंकलन हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक के रूप में घोषित करने के माध्यमों का उपयोग कर सकती है।

### 1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी जो 31 मार्च 2017 तक या उससे पहले भी पूर्ण होने थे, तालिका 1.25 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.25 विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग			अपूर्ण परियोजनायें				
	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	48 अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक अनुमानित लागत संशोधित		48 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	प्राक्कलित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात् 48 अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत	31 मार्च 2017 को 145 अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी व्यय
			क्र.	राशि			
लोक निर्माण	30	827.50	8	292.29	750.52	458.23	876.09
जल संसाधन	115	5,019.67	40	2,330.92	4,308.51	1,977.59	5,060.59
<b>योग</b>	<b>145</b>	<b>5,847.17</b>	<b>48</b>	<b>2,623.21</b>	<b>5,059.03</b>	<b>2,435.82</b>	<b>5,936.68</b>

(स्रोत: वित्त लेखे 2016-17)

अपूर्ण निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभारित करता है। परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के पूर्णता में विलंब के कारण परियोजनाओं से नियत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके। चूंकि राज्य सरकार ने 97 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, परियोजनाओं को समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण 145 परियोजनाओं में से 48 (उपर्युक्त तालिका में दिखाया गया) में अनुमानित लागत ₹ 2,623.21 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,059.03 करोड़ हो गया।

अनुशंसा – लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग सभी अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और परियोजनाओं को समय पर पूरा होने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकते हैं।

### 1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2017 की स्थिति में, शासन ने 13 सरकारी कंपनियों (₹ 6,459.45 करोड़), 1523 सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों (₹ 201.34 करोड़), दो सांविधिक निगमों (₹ 35.90 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹ 24.31 करोड़) तथा चार संयुक्त स्टॉक कम्पनी (₹ 57.60 करोड़) में ₹ 6,778.60 करोड़ निवेश किया। हालांकि, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों लेखो एवं स्वीकृति के सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 188.85 करोड़<sup>15</sup> का अंतर है। इस प्रकार, शासन के लेखो में निवेश को कम दर्शाया गया था।

वर्ष 2012-17 के दौरान निवेश पर प्रतिफल की स्थिति तालिका 1.26 में दर्शाया गया है।

15

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम ₹ 9.50 करोड़, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (-) ₹ 19.19 करोड़, छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी (-) ₹ 177.64 करोड़ और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (-) ₹ 1.52 करोड़।

तालिका 1.26: निवेश पर प्राप्त लाभांश/ब्याज

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्ष के अन्त में निवेश* (₹ करोड़ में)	1,916.18	1,866.44	1,872.53	6,192.22	6,778.60
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	2.19	14.21	0.86	5.73	0.55
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.11	0.76	0.05	0.09	0.01
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.34	6.12	6.16	6.25	6.62
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.23	5.36	6.11	6.16	6.61
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	119.38	100.04	114.41	381.44	448.07

\* (वर्ष के अंत में निवेश मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच 31 मार्च 2017 तक के अविभाजित निवेश को शामिल नहीं करता है।)

पिछले पाँच वर्षों में राज्य शासन को शासकीय ऋण पर ब्याज एवं निवेश के प्रतिफल के अंतर के रूप में ₹ 1,163.34 करोड़ को हानि हुई। यह गौर करने की बात है कि निवेश पर खराब प्रतिफल के बावजूद भी वित्त विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जिसमें वे भी शामिल हैं जो कम्पनी अधिनियम के तहत अपने लेखे पूर्ण नहीं किये जैसा कि कण्डिका 3.2 में वर्णित है, को इक्विटी, ऋण, अनुदान/आर्थिक सहायता द्वारा को नियमित रूप से बजटीय समर्थन प्रदान किया।

अनुशासा – वित्त विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अंतरों का समाशोधन हेतु समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिए।

#### 1.8.4 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त शासन इनमें से बहुत से संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती रही है। विवरण तालिका 1.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.27: राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधारियों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्रारंभिक शेष	1,517.88	1,864.72	1,545.99	1,395.41	1,273.96 <sup>16</sup>
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	1,888.79	1,318.53	88.32	164.73	272.71
वर्ष के दौरान पुर्नभुगतान राशि	1,542.01	1,637.27	194.86	296.39	172.99
<b>अंतर्षेष</b>	<b>1,864.66</b>	<b>1,545.99</b>	<b>1,439.45</b>	<b>1,263.75</b>	<b>1,373.69</b>
निवल वृद्धि	342.78	(-) 318.74	(-) 106.54	(-)131.66	99.72
ब्याज प्राप्ति	8.27	274.43	47.30	47.02	30.19
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	0.44	17.75	3.17	3.54	2.28
राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	6.34	6.12	6.16	6.25	6.62
ब्याज प्राप्ति एवं ब्याज भुगतान में अंतर (प्रतिशत)	(-) 5.90	11.63	(-) 2.99	(-)2.71	(-)4.34
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं ऋण पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	111.44	0.00	2.64	4.46	11.89

16

प्रधान महालेखाकार, मध्य प्रदेश के शेष प्राप्ति ₹ 10.21 करोड़ की बढ़ोतरी के कारण।

विगत पाँच वर्षों में (वर्ष 2013-14 छोड़कर) राज्य शासन को ऋण एवं अग्रिम पर प्राप्त ब्याज तथा ऋण पर दिये गये ब्याज के अंतर से ₹ 130.48 करोड़ की हानि हुई।

शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों का ब्योरा वित्त लेखे के विवरण 18 के खण्ड एक में विस्तृत विवरण किया गया है एवं इकाइयों का विस्तृत विवरण जिनके ऋण के पुर्नभुगतान का बकाया वित्त लेखे के विवरण 18 के खण्ड 2 में किया गया है।

#### 1.8.4.1 दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना को दिया गया ऋण

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने फैक्ट्री के निर्माण हेतु दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना, डी.एम.सी.एस.एम बालोद को ब्याज वाले ऋण<sup>17</sup> ₹ 21.83 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की थी। स्वीकृति की शर्त के अनुसार ऋण के वितरण के एक वर्ष बाद शुरू होने वाली किश्त की वसूली के साथ आठ बराबर वार्षिक किश्त में ब्याज के साथ ऋण राशि वापस करेगी। वैसे ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2010-11 के दौरान कार्यशील पूँजी हेतु ₹ 78.61 करोड़ का ब्याज असर ऋण<sup>18</sup> स्वीकृत किया। मंजूरी की शर्त के अनुसार, सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक डी.एम.सी.एस.एम द्वारा ऋण राशि वापस करनी थी, जिसमें तीन प्रतिशत दंडनीय ब्याज लगाया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि डी.एम.सी.एस.एम के कार्य में हानि के कारण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऋण के समय पर निर्धारण (नवंबर 2009 और 2012) के बाद भी, ऋण की वसूली की किश्त प्रारंभ नहीं की जा सकी (मार्च 2017)। 31 मार्च 2017 तक ₹ 100.44 करोड़, के बदले ₹ 84.77 करोड़ (मूलधन ₹ 74.07 करोड़ और ब्याज ₹ 10.67 करोड़) की वसूली बची थी। हालांकि केवल ₹ 55.16 करोड़ बरामद हुए और ₹ 29.58 करोड़ (मूलधन ₹ 21.46 करोड़ तथा ब्याज ₹ 8.12 करोड़) बकाया है। विवरण परिशिष्ट 1.7 में दर्शाया गया है।

रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, छत्तीसगढ़, रायपुर ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर लिया (फरवरी 2018)

*अनुशंसा: राज्य सरकार को उन कंपनियों/निगमों/बैंक में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए जिनके वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधारी लागत को भी पूरा नहीं करते हैं। इसी तरह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों के बराबर या उससे अधिक ब्याज दरों पर ऋण विभिन्न संस्थाओं के लिए उचित हो, जो कि सरकार उधार निधियों पर भुगतान करती है।*

#### 1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गए निवेश को तालिका 1.28 में प्रदर्शित किया गया है।

<sup>17</sup> ब्याज दर-2005-06 (@ 8 प्रतिशत), 2007-08 और 2008-09 (@ 10.25 प्रतिशत)।

<sup>18</sup> ब्याज दर-2010-11 से 2013-14 (@ 10.50 प्रतिशत), और 2013-14 से 2016-17 (@ 9.50 प्रतिशत)।



तालिका 1.28: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति में अंतिम शेष	31 मार्च 2017 की स्थिति में अंतिम शेष
<b>(अ) सामान्य रोकड़ शेष</b>		
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिज़र्व बैंक में जमा	(-)577.94	339.18
(3) मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
<b>कुल (1+2+3)</b>	<b>(-)577.94</b>	<b>339.18</b>
(4) "रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	1,856.17	2,512.00
<b>योग (अ) सामान्य रोकड़ शेष (1+2+3+4)</b>	<b>1,278.23</b>	<b>2,851.18</b>
<b>(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश</b>		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	11.54	8.70
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियों	0.32	0.34
(3) विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	1,543.63	1,798.63
<b>कुल (ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश (1+2+3)</b>	<b>1,555.49</b>	<b>1,807.67</b>
<b>कुल (अ) तथा (ब)</b>	<b>2,833.72</b>	<b>4,658.85</b>

(स्रोत: वित्त लेखे 2016-17)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रोकड़ शेष को भारत सरकार के कोषालय देयकों में निवेश किया गया।

### 1.8.5.1 रिज़र्व बैंक जमा की विसंगतियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्यरत ऐसे मान्यता प्राप्त बैंकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन की सामान्य बैंकिंग व्यवसाय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। इन सभी लेनदेन की जिम्मेदारी केंद्रीय लेखे अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर की है। दूसरी ओर, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं छत्तीसगढ़ शासन के कोषालयों से प्रारंभिक लेखे प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ शासन की लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा संधारण किया जाता है।

31 मार्च 2017 तक, नवंबर 2011 से मार्च 2017 तक 157 विसंगतियाँ है (विवरण परिशिष्ट 1.8 में दर्शाया गया है) जिसमें राज्य शासन के रोकड़ शेष में ₹ 57.25 करोड़ (क्रेडिट) शुद्ध अंतर है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित किया है एवं वित्त लेखे में दर्शाया गया है। मार्च 2017 में ₹ 57.25 करोड़ में से ₹ 0.98 करोड़ जो नवंबर 2011 से मार्च 2017 तक की 27 प्रकरणों से संबंधित है उनका निराकरण (दिसंबर 2017 तक) नहीं हुआ (परिशिष्ट 1.8)।

### 1.8.5.2 वित्त लेखे एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के रोकड़ शेष निवेश के आंकड़ों में विविधता

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों एवं केंद्रीय लेखे अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त जानकारी के जांच के दौरान यह पाया गया कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के द्वारा किए गये रोकड़ शेष निवेश के मार्च 2017 के आंकड़ों एवं केंद्रीय लेखे अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त रोकड़ शेष निवेश की जानकारी में ₹ 2.24 करोड़ की अंतर मौजूद है।


## 1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

### 1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक

प्रचलित शासकीय लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2016 की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2017 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के सार को **परिशिष्ट 1.3 (भाग ब)** में प्रस्तुत किया गया है। दायित्व में आंतरिक ऋण, भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम, तथा लोक लेखे एवं आरक्षित निधि में प्राप्तियाँ सम्मिलित है। शासकीय संपत्ति में पूँजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित है।

### 1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्वों की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट 1.3 (भाग ब)** में प्रस्तुत किया गया है और गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्व की तुलना **चार्ट 1.7** में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के वित्त लेखे)

राज्य का राजकोषीय दायित्व, इन दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों से अनुपात को **तालिका 1.29** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.29: राजकोषीय देयता-आधारभूत मानक

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आंतरिक ऋण	9,567	12,943	18,195	24,214	28,330
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,137	2,003	1,854	1,836	2,047
लोक लेखा दायित्व	7,564	9,958	10,932	11,691	13,054
<b>कुल राजकोषीय देयतायें</b>	<b>19,268</b>	<b>24,904</b>	<b>30,981</b>	<b>37,741<sup>19</sup></b>	<b>43,431</b>
राजकोषीय देयताओं का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.66	29.25	24.40	21.82	15.08
राजकोषीय देयतायें/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	10.85	12.05	13.18	14.47	14.97
राजकोषीय देयतायें/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	65.14	77.70	81.55	81.93	80.90

(स्रोत: वित्त लेखे एवं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में अनुमानित जनसंख्या)

19

वर्ष 2015-16 के आंकड़े में अंतर का कारण वित्त लेखे में प्रोफार्मा समायोजन के आंकड़ों में अंतर है।

वर्ष 2016-17 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पादन के अनुपात में बकाया ऋण 14.97 प्रतिशत था, जो राज्य के लिए एफआरबीएम/14<sup>वें</sup> वित्त आयोग द्वारा दिये गये मानक प्रेक्षण में है।

### 1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन

राज्य शासन के लोक लेखे में 16 आरक्षित निधि विशेष उद्देश्यों हेतु बनाये गये हैं। विवरण तालिका 1.30 में दिया गया है:

तालिका 1.30: वर्ष 2016-17 के दौरान आरक्षित निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखे का शीर्ष	01 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष	2016-17 के दौरान प्राप्ति	2016-17 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2017 को अंतिम शेष
(क) ब्याज वाले आरक्षित निधि				
8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	369.80 (क्रेडिट)	566.51	243.11	693.20 (क्रेडिट)
योग (क) ब्याज वाले आरक्षित निधि	369.80 (क्रेडिट)	566.51	243.11	693.20 (क्रेडिट)
(ख) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि				
8222-निक्षेप निधि	1,546.94 (क्रेडिट)	200.00	0	1,746.94 (क्रेडिट)
8223-अकाल राहत निधि	3.61 (क्रेडिट)	0.08	0	3.69 (क्रेडिट)
8228-राजस्व आरक्षित निधि	4.63 (क्रेडिट)	0	0	4.63 (क्रेडिट)
8229- विकास तथा कल्याण निधि	1,567.78 (क्रेडिट)	850.79	734.47	1,693.14 (क्रेडिट)
8235- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	0.01 (क्रेडिट)	0	0	0.01 (क्रेडिट)
योग-(ख) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि	3,132.01 (क्रेडिट)	1,050.87	734.47	3,448.41 (क्रेडिट)
योग क एवं ख- आरक्षित निधि	3,501.81 (क्रेडिट)	1,617.38	977.58	4,141.61 (क्रेडिट)
आरक्षित निधि निवेश लेखा	1,543.63 (डेबिट)	0	255.00	1,798.63 (डेबिट)

(स्रोत: वित्त लेखे 2016-17)

सोलह आरक्षित निधि (₹ 4,141.61 करोड़ के अंतिम शेष के साथ), राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,798.63 करोड़ (43.43 प्रतिशत) निवेश किया, मे से 12 संचालित है तथा वर्ष 2000-01 से 2016-17 के दौरान चार (₹ 18.99 करोड़ के अंतिम शेष के साथ) असंचालित थे। असंचालित निधियों के विवरण तालिका 1.31 में दिये गये हैं।

तालिका 1.31: असंचालित आरक्षित निधियों के विवरण

आरक्षित निधि के नाम	31 मार्च 2017 को अंतिम शेष (₹ करोड़ में)	असंचालित वर्ष
<b>8229- विकास एवं कल्याण निधि</b>		
कृषि उद्देश्य हेतु विकास निधि	0.06 (क्रेडिट)	2000-01
वनीकरण हेतु क्षतिपूर्ति निधि	18.89 (क्रेडिट)	2008-09
शिक्षा हेतु विकास निधि	0.03 (क्रेडिट)	2011-12
<b>8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि</b>		
अन्य निधि	0.01 (क्रेडिट)	2000-01
<b>योग</b>	<b>18.99 (क्रेडिट)</b>	

आगे, वर्ष 2001-02 में ग्रामीण विकास निधि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आरक्षित निधि गठित किया गया था, जिसका 31 मार्च 2017 में ₹ 185.68 करोड़ संचयी शेष था। परन्तु, शुरुआत से ही इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

आरक्षित निधि में स्थानांतरण एवं संवितरण संचित निधि के उचित राजस्व एवं व्यय शीर्षों के डेबिट एवं क्रेडिट के माध्यम से होता है। जब यह रिज़र्व बैंक जमा सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हैं तभी यह वास्तविक रोकड़ हस्तांतरण दर्शाता है। चूंकि कोई वास्तविक नकद बहिर्वाह नहीं है, इसलिए आरक्षित निधि के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिखाए गये ये लेनदेन केवल पुस्तक प्रविष्टियां हैं जो आरक्षित निधि के निर्माण और संचालन के तहत भावना का उल्लंघन करती हैं। उनका एकमात्र प्रभाव प्रासंगिक वर्षों के लिए एक अनुपयुक्त अनुकूल राजस्व आधिक्य राजकोषीय घाटे की स्थिति को दर्शाता है।

*अनुशंसा – वित्त विभाग को आरक्षित निधि के तहत लेनदेन एवं शेष राशि की समीक्षा करनी चाहिए एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष राशि के वास्तविक निवेश करते हुए रोकड़ लेखांकन के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। राज्य सरकार को असंचालित निधि को बंद करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है एवं निरंतरता के संचित निधि में शेष राशि को भेजना चाहिए।*

#### 1.9.4 राज्य आपदा राहत निधि

मार्च 2017 को राज्य आपदा राहत निधि का शेष ₹ 693.20 करोड़ था। राज्य आपदा राहत निधि की मार्गदर्शिका 2010 के कण्डिका 19 एवं 20 के तहत, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निधि के शेष को (क) केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में (ख) ऑक्शनड ट्रेजरी बिल एवं (ग) ब्याज युक्त जमा एवं अधिसूचित वाणिज्यिक बैंको के जमा प्रमाण पत्रों में निवेश किया जाना है।

राज्य आपदा राहत निधि की मार्गदर्शिका के अनुसार, अधिविकर्षण पर भुगतान की जाने वाली दर पर सरकार को विनिवेश किए गए शेषों पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि, निधि के निर्माण के बाद से शासन ने राज्य आपदा राहत निधि को कोई ब्याज नहीं दिया था। वर्ष 2010-17 की अवधि के लिए लागू दरों पर ब्याज ₹ 225.87 करोड़ का आंकलन किया गया है। इनमें से, सिर्फ वर्ष 2016-17 के लिए न चुकाया हुआ ब्याज ₹ 31.43 करोड़ था, जिसके कारण राजस्व आधिक्य को अधिक दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया। इस तरह के न चुकाये हुए ब्याज राज्य शासन की दायित्व को बढ़ाता है।

*अनुशंसा-राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार इस निधि के तहत शेष का निवेश करना चाहिए।*

#### 1.9.5 संचित निक्षेप निधि

12<sup>वें</sup> वित्त आयोग के अनुशंसा में सभी ऋण जैसे बैंको से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि आदि के परिशोधन हेतु राज्य ने संचित निक्षेप निधि का गठन किया। साथ ही, 12<sup>वें</sup> वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार वर्ष के शुरुआत में बकाया दायित्वों का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत वार्षिक अंशदान निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2016-17 के दौरान वर्ष के शुरुआत में छत्तीसगढ़ शासन बकाया दायित्व ₹ 37,741.14 करोड़ था, जिसका न्यूनतम ₹ 188.71 करोड़ (प्रारंभिक वर्ष में बकाया दायित्व ₹ 37,741.14 करोड़ का 0.50 प्रतिशत) वार्षिक अंशदान निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी, इसके बदले छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 200 करोड़ का बजट प्रावधान रखा एवं संचित निक्षेप निधि में स्थानांतरण किया। संचित निक्षेप निधि (निवेश लेखा) में वर्ष 2005-06 से 2016-17 के दौरान ₹ 1,746.94 करोड़ शेष रहा।

### 1.9.6 अधोसंरचना विकास निधि

शासन ने छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 के तहत अधोसंरचना विकास निधि की स्थापना की। यह अधिनियम पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 27 मई 2005 से लागू किया गया है।

इस अधिनियम के अनुसार, सभी भूमि पर आधारभूत संरचना विकास उपकर लगाया जाएगा और जिस पर भूमि राजस्व या किराया लिया जायेगा। आधारभूत संरचना विकास उपकर से एकत्रित कर अधोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे राज्य के विभिन्न विभागों के तहत राज्य में आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं जैसे विद्युत, पेयजल आपूर्ति, सामुदायिक भवनों का निर्माण एवं रखरखाव, सड़कें, इमारतें आदि।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान आधारभूत संरचना विकास उपकर ₹ 727.63 करोड़ एकत्र की जिसमें से ₹ 423.39 करोड़ (58 प्रतिशत) अधोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरित किया। ₹ 304.24 करोड़ का अस्थानांतरित शेष राज्य सरकार की अनुन्मुक्त दायित्व में योगदान देता है। इस तरह के अस्थानांतरित शेषों से प्रासंगिक वर्षों में राजस्व आधिक्य को बढ़ा हुआ एवं राजस्व घाटे को कम दर्शाया गया। अधोसंरचना विकास निधि के निधियों के विवरण परिशिष्ट 1.9 एवं 1.10 में दिया गया है। हालांकि, वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य शासन ने पिछले वर्ष के शेष के साथ एकत्रित आधारभूत संरचना विकास उपकर से ज्यादा स्थानांतरित किया इसलिए वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

साथ ही, यह भी गौर किया गया कि वर्ष 2013-17 के दौरान विभाग ने ₹ 727.63 करोड़ का बजट अनुमान बनाया था। हालांकि, वर्ष 2014-15 के दौरान सड़क/भवन निर्माण हेतु बजट अनुमान से केवल ₹ 2.00 करोड़ का उपयोग किया गया शेष राशि अनुपयोग रहा। आगे, जांच में पता चला कि वित्त विभाग द्वारा संबंधित विभागों को दिशानिर्देश जारी नहीं करने के कारण विभिन्न विभागों द्वारा ₹ 2.00 करोड़ का व्यय किया गया जिसे अधोसंरचना विकास निधि से नहीं किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2017 को ₹ 423.39 करोड़ संपूर्ण अधोसंरचना विकास निधि उपयोग नहीं की गयी।

*अनुशांसा: राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधारभूत संरचना विकास उपकर अधोसंरचना विकास निधि में नियमित रूप से स्थानांतरित एवं अधिनियम के प्रावधानुसार उपयोग हो।*

### 1.9.7 प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दिया गया था एवं पिछले पाँच वर्षों से लंबित प्रत्याभूति तालिका 1.32 में दिया गया है।

तालिका 1.32: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

प्रत्याभूतियाँ	(₹ करोड़ में)				
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	6,605.49	7,571.99	9,080.06	14,883.41	12,641.13
प्रत्याभूति की बकाया राशि	2,694.90	3,358.27	2,314.47	1,988.24	3,982.97

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

मार्च 2017 के अंत तक ₹ 3,982.97 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का

लगभग 7.42 प्रतिशत था। राज्य के एफआरबीएम अधिनियम में यह प्रावधान शामिल किया गया है कि राज्य शासन सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत नई प्रत्याभूति नहीं देगा। नये प्रत्याभूतियां (₹ 4,091.34 करोड़) एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत (1.41 प्रतिशत) में थी।

12<sup>वें</sup> वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष के शुरुआत में बकाया प्रत्याभूति के 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ एक प्रत्याभूति विमोचन विधि का गठन करने की आवश्यकता थी। तदनुसार राज्य शासन को प्रत्याभूति विमोचन विधि का गठन करने की आवश्यकता थी एवं वर्ष 2005-06 से 2016-17 के दौरान ₹ 112.60 करोड़ की स्थानांतरण करनी थी, जिसमें से ₹ 9.94 करोड़ केवल वर्ष 2016-17 संबंधित है। राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश प्रत्याभूतियां मध्यम एवं कम जोखिम प्रकृति के होने के कारण वित्त आयोग के अनुशंसा के विपरीत प्रत्याभूति विमोचन विधि का गठन नहीं किया। तथापि, शासन को प्रत्याभूति की जोखिम का मूल्यांकन करने के बाद प्रत्याभूति विमोचन विधि का गठन करना चाहिए एवं निधि की ओर योगदान की मात्रा तय करनी चाहिए।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रत्याभूति शूल्क के तौर मे ₹ 9.41 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4.40 करोड़ की वसूली हुई जिसका मुख्य कारण छत्तीसगढ़ विपणन संघ रायपुर (₹ 5.00 करोड़) से कम प्राप्ति होना है।

*अनुशंसा: बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार राज्य शासन को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन एवं संचालन करना चाहिए।*

### 1.9.7.1 शासन की फर्म दायित्वो दिये गये प्रत्याभूतियों के रूप में दिखाया जाना

वर्ष 2016-17 के दौरान बीपीएल उपभोगताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करने एवं कृषि पम्प सेट हेतु कृषक जीवन ज्योति योजना लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 1,955 करोड़<sup>20</sup> ऋण लिया था। छत्तीसगढ़ शासन के प्रत्याभूति से सावधि ऋण सुरक्षित थे।

छत्तीसगढ़ शासन ने उन ऋण के मूलधन एवं ब्याज चूकाने का दायित्व लिया। इस प्रकार, वास्तव में ऋण की दायित्व छत्तीसगढ़ शासन पर निहित है, न कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड पर, जो तथ्य, हालांकि छत्तीसगढ़ शासन के खातों में परिलक्षित नहीं था। फलस्वरूप शासन के दायित्व ₹ 1,955 करोड़ से न्यूनोक्ति कथित हुआ।

*अनुशंसा: राज्य शासन को आवश्यक आदेश जारी करनी चाहिए जो ऐसे लेन-देन को शासन द्वारा लिया गया ऋण माना जाये एवं आगे इसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को ऋण अथवा सहायता अनुदान के रूप में हस्तांतरण करना चाहिए।*

20

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (₹ 765 करोड़), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) (₹ 595 करोड़) और पॉवर वित्तीय निगम (पीएफसी) (₹ 595 करोड़)।

## 1.10 ऋण प्रबंधन

### 1.10.1 ऋण प्रारूप

यह खण्ड राज्य शासन के ऋण स्थिरीकरण<sup>21</sup>; गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता<sup>22</sup>; उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता<sup>23</sup> ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान के राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के रूप में मापा गया) तथा राज्य शासन के प्रतिभूतियों के परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में ऋण धारणीयता<sup>24</sup> का मुल्यांकन करता है।

### 1.10.2 ऋण धारणीयता

तालिका 1.33 2012-13 से शुरू विगत पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.33: ऋण धारणीयता: सूचकांक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के सूचकांक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बकाया ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	10.85	12.05	13.18	14.47	14.97
वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	(-),854	(-),2,405	(-),2,196.41	2,563.71	1,396.51
राज्य को शुद्ध ऋण की उपलब्धता	1,012	4,283	4,551	4,687	3,003
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति)	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
राज्य ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा (वर्ष में)					
0-5	3,914.35	4,207.57	5,828.95	5,934.05	6,686.65 (60)
6-10	3,204.48	7,937.95	11,849.84	17,028.20	2,137.55 (19)
11-15	3,312.46	1,674.14	1,553.25	1,846.17	1,638.31 (15)
16-20	802.49	658.63	528.11	448.46	456.85 (4)
20 और उससे ऊपर	470.22	467.95	289.04	793.26	220.13 (2)
योग	11,704.00	14,946.24	20,049.19	26,050.14	11,139.49

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- 21 स्थायित्व की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि पर-ब्याज पर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण धारणीयता की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थायी होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण-स.रा.घ.उ. का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात में तदनुसार कमी/गिरावट आयेगी।
- 22 राज्य के वृद्धिजन्य ब्याज दायित्वों एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकती है यदि वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।
- 23 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को, कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा सूचित करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों ऋण विमोचन के लिए उपयोग में लाई गई। यही उधार ली गई निधियों की उपलब्धता दर्शाती है।
- 24 ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण-स.रा.घ.उ. के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में चिंता को भी सम्मिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों के प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता से भी संबंध है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समरूप होना चाहिये।



तालिका 1.34: उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ <sup>25</sup>	6,898	10,310	11,914	12,902	11,804
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज) <sup>26</sup>	5,886	6,027	7,361	8,215	8,801
निधियों की शुद्ध उपलब्धता	1,012	4,283	4,551	4,687	3,003
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियों से निधियों की शुद्ध उपलब्धता का प्रतिशत	14.67	41.54	38.20	36.33	25.44

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ऋण ली गई निधियों की 75 प्रतिशत दायित्वों के निर्वहन के लिए उपयोग किया एवं इसका उपयोग राज्य के पूंजी निर्माण/विकास गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सका। पड़ोसी राज्य झारखण्ड (32.43 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (25.75 प्रतिशत) एवं मध्य प्रदेश (30.51 प्रतिशत) की तुलना में छत्तीसगढ़ (25.44 प्रतिशत) राज्य की ऋण निधियों की शुद्ध उपलब्धता कम थी जो यह इंगित करती है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने दायित्वों के निर्वहन के लिए अधिकतम ऋण निधि का उपयोग किया है।

<sup>25</sup> कुल प्राप्तियाँ ₹ 11,804 करोड़ = आंतरिक कर्ज ₹ 5,098 करोड़, भारत सरकार का ऋण ₹ 382 करोड़ और अन्य कर्तव्य ₹ 6,324 करोड़।

<sup>26</sup> कुल वापसी ₹ 8,801 करोड़ = आंतरिक कर्ज के सापेक्ष में मूलधन और ब्याज ₹ 3,090 करोड़, भारत सरकार का ऋण ₹ 307 करोड़ और अन्य दायित्व का निर्वहन ₹ 5,404 करोड़।



द्वितीय अध्याय  
वित्तीय प्रबंधन  
एवं  
बजट नियंत्रण

## द्वितीय अध्याय

### वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए विनियोग की लेखापरीक्षा का निष्पादन करते हैं कि क्या बजट के अन्तर्गत विभिन्न अनुदानों के तहत वास्तव में किए गए व्यय उस वर्ष के लिए स्वीकृत अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरणों के अन्तर्गत भारित किया जाना चाहिए तब भारित किया गया है तथा इस प्रकार किया गया व्यय विधि संबंधित नियमों, अधिनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

#### 2.1 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2016-17 के दौरान 72 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय के सारांश की स्थिति तालिका 2.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1 कुल बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अतिरेक (+)	समर्पण की राशि	31 मार्च को किए गए समर्पण की राशि	31 मार्च को किए गए समर्पण की राशि का बचत राशि से प्रतिशत
दत्तमत	I राजस्व	59,008.79	45,401.78	-13,607.01	9,742.39	9,721.09	71.60
	II पूंजीगत	15,097.74	10,261.34	-4,836.40	4,957.92	4,957.92	102.51
	III ऋण तथा अग्रिम	752.26	333.15	-419.11	395.05	395.05	94.26
	कुल दत्तमत	<b>74,858.79</b>	<b>55,996.27</b>	<b>-18,862.52</b>	<b>15,095.36</b>	<b>15,074.06</b>	<b>80.03</b>
भारित	I राजस्व	3,370.47	3,300.88	-69.59	21.18	21.18	30.44
	II पूंजीगत	26.73	21.04	-5.69	5.71	5.71	100.35
	III लोक ऋण	1,946.33	1,152.63	-793.70	793.70	793.70	100.00
	कुल भारित	<b>5,343.53</b>	<b>4,474.55</b>	<b>-868.98</b>	<b>820.59</b>	<b>820.59</b>	<b>94.43</b>
	कुलयोग	<b>80,202.32</b>	<b>60,470.82</b>	<b>-19,731.50</b>	<b>15,915.95</b>	<b>15,894.65</b>	<b>80.66</b>
नोट:- वास्तविक व्यय के आंकड़ों में दत्त मत राजस्व व्यय के तहत व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूली भी शामिल है।							

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बचत ₹ 19,743.88 करोड़ (कुल अनुदान/विनियोग का 24.62 प्रतिशत) रहा, जिसमें से बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 3,827.93<sup>1</sup> करोड़ (कुल बचत का 19.39 प्रतिशत) को कालातीत होने दिया गया। 31 मार्च 2017 को शेष बचत ₹ 15,715.95 करोड़ में से ₹ 15,894.65 करोड़ समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग का कोई संभावना नहीं रह गया। यह चिंता का एक गंभीर कारण है और प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है।

अनुशांसा: सभी पूर्वानुमानित बचत को समर्पण समय पर किया जाना चाहिए ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

<sup>1</sup> कुल बचत ₹ 19,743.88 करोड़ है और अतिरेक व्यय ₹ 12.38 करोड़ है, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक बचत ₹ 19,731.50 करोड़ है।

## 2.2 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन

### 2.2.1 पिछले वर्षों (2000-01 से 2016-17) से संबंधित प्रावधानों में अतिरेक व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुदान/विनियोग में अतिरेक व्यय को नियमित कराना अनिवार्य है।

वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लिए प्रावधानों पर ₹ 3,245.17 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अब भी (अक्टूबर 2017) नियमित नहीं किया गया है, जिसे परिशिष्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, 2016-17 के दौरान भी हुए अतिरेक व्यय का नियमितीकरण किया जाना है जो कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वर्ष 2016-17 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग सं.	अनुदान का नाम	कुल मांग/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अतिरेक राशि जिसका नियमितीकरण आवश्यक है
<b>राजस्व दत्तमत</b>					
1	50	बीस सूत्रीय योजना क्रियान्वयन विभाग	1.87	2.45	0.58
<b>राजस्व प्रभारित</b>					
2	-1	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2,876.56	2,886.83	10.27
3	6	वित्त विभाग	0.50	1.67	1.17
4	55	महिला एवं बाल विकास	0.00*	0.02	0.02
<b>पूँजीगत/दत्तमत</b>					
5	6	वित्त विभाग	60.10	60.44	0.34
<b>योग</b>			<b>2,939.03</b>	<b>2,951.41</b>	<b>12.38</b>

\* प्रारंभ में ₹ 10,000 का प्रावधान किया गया था।

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

अनुशंसा: राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय के सभी मौजूदा मामलों को अति शीघ्र नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में अत्यन्त एवं चरम आपात स्थिति के मामले, जिसका व्यय केवल आकस्मिक निधि से पूरा किया जा सके, को छोड़कर इस तरह के व्यय को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए।

### 2.2.2 सतत् अतिरेक व्यय

विगत तीन वर्षों में छह अनुदानों/विनियोगों के तहत 11 उप-शीर्षों में प्रावधान से अधिक सतत् अतिरेक व्यय पाया गया। इन उप-शीर्षों/योजनाओं के तहत इस वर्ष किए गए अतिरिक्त व्यय तालिका 2.3 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.3 सतत् अतिरेक व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मंग सं.	उप-शीर्षों के नाम	2014-15	2015-16	2016-17
1	प्रभार -2	6004-02-101-3052-ब्लॉक कर्ज	6.54	7.91	9.63
2	6	2071-01-102-3080-भारत में पेंशनों के रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	3.22	3.88	2.83
3		2235-60-200-7000-पेंशन कल्याण कोष राशि की प्रतिपूर्ति	4.23	3.36	3.39
4		7810-122-5675-मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच अंतरराज्यीय समायोजन	1.12	0.39	0.34
5	7	2030-01-101-4612-स्टाम्पों की लागत	2.50	4.11	3.64
6	19	2071-01-800-5499-सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा	2.25	2.11	3.21
7		2210-03-198-0101-620-उप-स्वास्थ्य केन्द्र	0.68	4.75	22.95
8	32	2210-80-800-3956-विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय	0.50	0.24	1.56
9	41	2210-03-796-197-0102-5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	7.48	8.80	5.63
10		2210-03-796-198-0102-2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आधारभूत सेवाएं)	9.66	1.77	3.08
11		2210-03-796-198-0102-620-उप-स्वास्थ्य केन्द्र	6.54	6.19	20.00
<b>योग</b>			<b>44.72</b>	<b>43.51</b>	<b>76.26</b>

(स्रोत: 2014-15 से 2016-17 तक के विनियोग लेखे)

अनुशांसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बजट नियंत्रण अधिकारी राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित नियमित आवंटन से अतिरिक्त व्यय ना करे तथा इसके लिये जो जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करनी चाहिए।

### 2.2.3 योजनाओं के तहत अतिरेक व्यय

कुल 33 प्रकरणों में विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,347.11 करोड़ का व्यय हुआ जो प्रत्येक प्रकरण में स्वीकृत प्रावधान से ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक है जिसका विवरण परिशिष्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

### 2.2.4 बचत

विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम यह दर्शाता है कि 44 अनुदानों एवं तीन विनियोगों से संबंधित 67 प्रकरणों के प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से भी अधिक की सकल बचत ₹ 16,292.43 करोड़ है जिसे परिशिष्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

आगे, कुल बचत ₹ 19,743.88 करोड़ के विरुद्ध 29 अनुदानों और एक विनियोग के तहत 37 प्रकरणों में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक तथा कुल प्रावधान का दस प्रतिशत से अधिक ₹ 17,337.73 करोड़ (कुल बचत का 87.81 प्रतिशत) का उल्लेखनीय बचत हुआ जिसे परिशिष्ट 2.4 में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, 13 अनुदानों के तहत 25 उपशीर्षों/योजनाओं के प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ या उससे अधिक की उल्लेखनीय बचत पाई गई। अंतिम बचत का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.5 में दिया गया है।

## वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

अनुशंसा: राज्य सरकार को क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बजट तैयार करना चाहिए और अनुमानों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

### 2.2.5 सतत् बचत

अवधि 2012-13 से 2016-17 के दौरान 41 अनुदानों एवं एक विनियोग के अंतर्गत 52 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की सतत् बचत थी जिसे परिशिष्ट 2.6 में दर्शाया गया है। यह बचत संबंधित अनुदानों के कुल बजट के एक से 100 प्रतिशत के बीच थी जो यह दर्शाता है कि बजट वास्तविक नहीं था। आठ प्रकरणों के प्रत्येक प्रावधान में 30 प्रतिशत से अधिक की सतत् बचत हुई थी।

अनुशंसा: वित्त विभाग को मासिक व्यय की ज्यादा कारगर समीक्षा करनी चाहिए ताकि सभी अनुमानित बचत का समर्पण समय पर हो सके।

### 2.2.6 उप शीर्षों के तहत समग्र बजट प्रावधान का उपयोग ही नहीं किया गया

कुल 24 अनुदानों के अंतर्गत 51 प्रकरणों में विभिन्न उपशीर्षों के लिए किए गए ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक के समग्र प्रावधान ₹ 1,859.53 करोड़ का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.7 में दिया गया है।

### 2.2.7 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान

#### अ) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

कुल 36 अनुदानों और एक विनियोग में, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 3,181.50 करोड़ के प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या उससे अधिक के पूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.8 में दर्शाया गया है।

#### ब) अतिरिक्त अनुपूरक प्रावधान

कुल ₹ 276.78 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 10 अनुदानों में ₹ 2,832.44 करोड़ के पूरक प्रावधान अतिरिक्त सिद्ध हुए। प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की अतिरिक्त परिणामी बचत ₹ 2,556.10 करोड़ को परिशिष्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अनुपूरक बजट तैयार करना चाहिए ताकि अनुपूरक प्रावधान अधिक यथार्थवादी हो।

### 2.2.8 उप शीर्षों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान

#### अ) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 19 अनुदानों के अंतर्गत 44 प्रकरणों में प्राप्त ₹ 628.51 करोड़ के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के पूरक प्रावधान पूरी तरह से अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

### ब) अतिरिक्त अनुपूरक प्रावधान

कुल 24 अनुदानों के अंतर्गत 52 प्रकरणों में ₹ 1,978.18 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 3,008.58 करोड़ के पूरक प्रावधान अतिरिक्त सिद्ध हुए। प्रत्येक प्रकरण में परिणामी बचत ₹ एक करोड़ या उससे अधिक का कुल योग ₹ 1,030.40 करोड़ है जिसे **परिशिष्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

### स) अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

कुल 11 अनुदानों के अंतर्गत 18 प्रकरणों में ₹ 883.88 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 440.02 करोड़ के पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए। प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की परिणामी कमी का कुल योग ₹ 443.02 करोड़ है जिसे **परिशिष्ट 2.12** में दर्शाया गया है।

### 2.2.9 निधियों का अतिरिक्त/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

**परिशिष्ट 2.13** में विस्तृत 14 अनुदानों के तहत 27 उपशीर्षों/योजनाओं में पुनर्विनियोजन के बाद ₹ 10 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त/बचत थी। यह इंगित करता है कि अनुमानों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था, क्योंकि पुनर्विनियोजन के माध्यम से धन निकालने/जमा करने के बाद भी, अनुदान में अंतिम बचत/अतिरिक्त थी।

### 2.2.10 वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

कुल 36 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक राशियों का समर्पण इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है। कुल बचत ₹ 6,112.35 करोड़ के विरुद्ध ₹ 6,698 करोड़ समर्पित किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 586.07 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

*अनुशंसा: बजट नियंत्रण अधिकारियों को धन के समर्पण के पूर्व उनके साथ उपलब्ध शेष राशि का आंकलन करना चाहिए।*

### 2.2.11 पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना

पॉच अनुदानों और तीन विनियोगों के तहत नौ प्रकरणों के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक का बचत हुआ परंतु सम्बंधित विभाग द्वारा उसका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में ₹ 609.02 करोड़ की राशि शामिल थी जो कुल बचत ₹ 19,743.89 करोड़ का 3.08 प्रतिशत है, जिसे **परिशिष्ट 2.15** में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार, 27 अनुदानों एवं तीन विनियोगों (समर्पण के बाद प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की बचत) के तहत 37 प्रकरणों में ₹ 10,736.09 की बचत में से ₹ 4,479.11 करोड़ की प्रावधानित राशि (उपरोक्त बचतों का 41.72 प्रतिशत) का समर्पण नहीं किया गया जिसे **परिशिष्ट 2.16** में दर्शाया गया है।

*अनुशंसा: सभी पूर्वानुमानित बचत का समर्पण समय पर किया जाना चाहिए ताकि, निधियों का उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।*

## 2.2.12 व्यय का अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरित) की कण्डिका 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अतिवेग से बचना चाहिए। इसके विपरीत 39 मुख्य शीर्षों में 2016-17 की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 5,569.91 करोड़ का व्यय हुआ, जो कि इन शीर्षों के तहत कुल व्यय ₹ 8,756.54 करोड़ का 64 प्रतिशत है जिसे **परिशिष्ट 2.17** में दर्शाया गया है। इसका कुल व्यय ₹ 277.67 करोड़ (32 प्रतिशत) वर्ष 2017 के मार्च माह में हुआ।

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के अतिवेग में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग एवं अस्वास्थ्यकर प्रथाओं का सामना करना पड़ता है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का अतिवेग समझदार वित्तीय प्रबंधन नहीं है और बजट मैनुअल के प्रावधान के विरुद्ध है।

*अनुशंसा: वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय के अतिवेग को नियंत्रित करना चाहिए।*

## 2.3 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

छत्तीसगढ़ के आकस्मिकता निधि नियमावली 2001 के अनुसार अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य को छोड़कर, आकस्मिकता निधि से कोई भी अग्रिम नहीं लिया जाएगा। **तालिका 2.4** में दर्शाए गये अनुसार राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान आकस्मिकता निधि से ₹ 2.29 करोड़ आहरित किया।

तालिका 2.4: राज्य के आकस्मिकता निधि से व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	व्यय की प्राकृति जिसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरण किया गया है	आहरण माह	अग्रिम राशि
1	पर्यटन	'हमर छत्तीसगढ़' योजना के कार्यान्वयन के लिए होटल प्रबंधन संस्थान में पेयजल की आपूर्ति तथा शौचालयों का निर्माण	जून 2016	2.09
2	वन	हुक्मनामा राशि के भुगतान हेतु	अक्टूबर 2016	0.20
<b>कुल</b>				<b>2.29</b>

पर्यटन विभाग के मामले में, व्यय आकस्मिकता निधि से आहरण के मानदण्डों को पूरा नहीं करता क्योंकि यह व्यय न तो अप्रत्याशित है न ही आकस्मिक प्रकार का है। इस प्रकार, आकस्मिकता निधि से अग्रिम अधिनियम आहरण का उद्देश्य नियम का उल्लंघन था। हालांकि, 2016-17 के दौरान निधि से कुल निकासी को पूरक बजट के माध्यम से प्रतिपूर्ति की गई थी।

*अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय को पूरा करने के अलावा आकस्मिकता निधि से कोई भी अग्रिम आहरित न की जावे।*

तृतीय अध्याय  
वित्तीय प्रतिवेदन



## तृतीय अध्याय वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

### 3.1 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

**3.1.1.** वित्तीय नियम निर्धारित करता है कि जब सहायता अनुदान किसी विशेष प्रयोजन हेतु प्रदाय किया जाता है, विभाग अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प) प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन उपरान्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान का उपयोग चाही गई प्रयोजन के लिए हुआ है, इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 तक विभिन्न विभागों में प्राप्त सहायता अनुदान के विरुद्ध 31 मार्च 2017 को ₹ 5,016.79 करोड़ के 1,407 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

विभिन्न विभागों को प्राप्त सहायता अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.1 वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल अनुदान		प्राप्त उ.प्र.प.		लंबित उ.प्र.प.	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2013-14 तक	89,596	32,428.17	88,984	29,843.16	612	2,585.01
2014-15	1,060	2,328.93	879	1,498.98	181	829.95
2015-16	626	910.42	194	40.77	432	869.65
2016-17	183	732.78	01	0.60	182	732.18
<b>योग</b>	<b>91,465</b>	<b>36,400.30</b>	<b>90,058</b>	<b>31,383.51</b>	<b>1,407</b>	<b>5,016.79</b>

(स्रोत: वित्त लेखे 2016-17)

मुख्य शीर्षवार एवं वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति परिशिष्ट 3.1 में दर्शायी गयी है।

अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के मुख्य प्रकरण, मुख्य शीर्ष: 2217-नगरीय विकास (₹ 1,713.07 करोड़) एवं 3604-स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समानुदेशन (₹ 3,136.59 करोड़) से संबंधित है। यद्यपि उ.प्र.प के अप्राप्त रहने के प्रकरणों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में दर्शाये जाने के पश्चात् भी कोई सुधार नहीं हुआ है।

सहायता अनुदान के विरुद्ध उ.प्र.प की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानों की उपयोगिता समय पर प्रस्तुत करने संबंधी नियम एवं कार्यप्रणाली के अनुपालन में विफलता को दर्शाता है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र निधियों का दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम को दर्शाता है।

### 3.1.2 वित्त आयोग अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र

वित्त आयोग के अनुशंसा से प्राप्त अनुदान का निर्धारित अवधि में उपयोग होना चाहिए एवं शेष राशि शासकीय खातों में जमा होना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नौ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने शेष राशि ₹ 14.43 करोड़ का निर्धारित अवधि के समापन तक, न उपयोग किया और न ही समर्पण किया। अनुपयोगी अनुदान विवरण परिशिष्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अन्दर प्रशासनिक विभाग, जिन्होंने अनुदान जारी किया है, अनुदान आदेश में तय समयसीमा से परे लंबित सभी उ.प्र.प. प्राप्त करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि के दौरान प्रशासनिक विभाग कोई अन्य दोषी अनुदानग्राही को जारी न करें। सरकार को वैसे अधिकारी जो समय के अन्दर उ.प्र.प. जमा नहीं करते हैं, के खिलाफ कार्रवाही करनी चाहिए।

### 3.2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कंपनी अधिनियम 2013 निर्धारित करता है कि कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के अंदर अर्थात् सितम्बर माह तक तैयार किया जाना है, ऐसा न होने पर दोषी कंपनी से संबंधित प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के अधीन भागीदार बनाती है, जिसके अंतर्गत दण्ड के रूप में एक वर्ष का कारावास या जुर्माना के रूप में ₹ 50,000 से 5 लाख तक या दोनों हो सकता है। 31 दिसम्बर 2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ) का लेखे के निस्तारण में प्रगति का विवरण तालिका 3.2 दर्शाया गया है:-

तालिका: 3.2 कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ के लेखे निस्तारण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	20	3	23
2	बकाया लेखे वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	13	0	13
3	बकाया लेखे की संख्या	20	0	20
4(क)	छह वर्षों से अधिक बकाया सा.क्षे.उ. की संख्या	—	0	—
4(ख)	उपरोक्त लोक सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	—	0	—
5(क)	दो से पाँच वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	2	0	2
5(ख)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	9	0	9
6(क)	एक वर्ष तक सा.क्षे.उ. की बकाया लेखे की संख्या	11	0	11
6(ख)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	11	0	11
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 5	0	1 से 5

(स्रोत:- कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर संकलित आंकड़े)

लेखाओं का निस्तारण न होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, पाँच वर्षों की अवधि तक कम्पनियों की पूरक लेखापरीक्षा करने में असमर्थ रहा, जैसा कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्धारित है।

उपरोक्त कथन संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की अक्षमता का द्योतक है कि दोषी कम्पनियाँ ने संबंधित अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

राज्य सरकार वर्ष 2016-17 तक आठ कार्यशील सा.क्षे.उ. को ₹ 7,707.17 करोड़ का बजटीय समर्थन<sup>1</sup> (इक्विटी: ₹ 490 करोड़ (एक सा.क्षे.उ.), प्रत्याभूति: ₹ 3,401.30 करोड़ (तीन सा.क्षे.उ.), अनुदान: ₹ 570.82 करोड़ (तीन सा.क्षे.उ.) तथा अन्य सब्सिडी एवं राजस्व अनुदान: ₹ 3,236.05 करोड़ (छः सा.क्षे.उ.)) प्रदान किया गया।

<sup>1</sup> अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय समर्थन प्रदाय नहीं किया गया है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.उ के प्रकरणों, जहाँ लेखे बकाया है कि समीक्षा करनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक तर्कसंगत अवधि के भीतर लेखे अद्यतन हों और उन सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन को अवरुद्ध करना चाहिए जहाँ लेखे लगातार बकाया है।

### 3.2.1. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश का घोषित न होना:-

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को सरकार द्वारा अंशदानीत प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। उनके नवीनतम लेखे अनुसार ₹ 6,146.97 करोड़ की सरकारी इक्विटी वाले ₹ 74.43 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया। वर्ष 2016-17 के दौरान केवल एक सा.क्षे.उ. छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने लाभांश ₹ 0.87 करोड़ प्रस्तावित किया जो कि लाभ ₹ 8.75 करोड़ का 9.94 प्रतिशत है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को शेयर पूँजी निवेश पर प्राप्त वापसी के लिए नीति तैयार करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि लाभांश अर्जित करने वाले सा.क्षे. उपक्रमों नीति के अधीन लाभांश घोषित करें।

### 3.3 संक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक

छ.ग. कोषालय संहिता के अनुसार जब आकस्मिक प्रभार कोषागार से अग्रिम के रूप में संक्षिप्त आकस्मिक (सं.आ.) द्वारा बिना समर्थक प्रमाणकों के आहरित किया जाता है तो उप प्रमाणकों के साथ नियंत्रक अधिकारी (नि.अ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) देयक महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के समक्ष आगामी माह के 25 तारीख तक जमा करना है।

लंबित विस्तृत आकस्मिक देयको का वर्ष वार विवरण तालिका 3.3 में वर्णित है।

तालिका 3.3: लंबित विस्तृत आकास्मिक देयकों का विवरण

( ₹ करोड़ में)

वर्ष	असमायोजित सं.आ. देयको का प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान आहरित सं.आ. देयक		वर्ष के दौरान प्रस्तुत वि.आ. देयक		लंबित वि.आ. देयक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2014-15 तक	87	63.13	412	733.31	479	717.06	20	79.37
2015-16	20	79.37	1,418	5,491.72	1,135	4,925.23	303	645.86
2016-17	303	645.86	1,317	3,556.39	1,505	4,177.06	115	25.19

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

31 मार्च 2017 के स्थिति में लंबित विस्तृत आकस्मिक देयको का विभाग वार विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिया गया है।

निर्धारित अवधि में वि.आ. देयक का प्रस्तुत न किया जाना, न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करता है बल्कि लोकधन के दुर्विनियोजन एवं कदाचार के खतरे की संभावना बनी रहती है।

अवधि 2014-17 के दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (71.97 प्रतिशत), व्यापार एवं उद्योग विभाग (2.26 प्रतिशत) एवं ऊर्जा विभाग (24.87 प्रतिशत) के संक्षिप्त आकस्मिक देयको द्वारा आहरित किये गये निधियों के अभिलेखों के लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकट हुईं।

### 3.3.1 संक्षिप्त आकस्मिक देयको से आहरित योजना व्यय :-

योजना व्यय किसी परियोजना का विशेष प्रयोजन या योजना के लिए बजट में सम्मिलित किया जाता है। योजना व्यय संबंधित मंत्रियों तथा योजना आयोग के बीच चर्चा उपरांत आकलित किया जाता है। योजना व्यय आकस्मिक स्वरूप की नहीं होती है। अतः योजना व्यय करने हेतु सं.आ. देयक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। योजनांतर्गत सं.आ. देयक द्वारा व्यय हुए राशि का विभागवार विवरण तालिका 3.4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.4: सं.आ. देयकों द्वारा आहरित योजना व्यय का विभाग वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	आहरित सं.आ. देयक	
		देयकों की संख्या	राशि
1.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	83	7,039.79
2.	ऊर्जा विभाग	89	2,432.59
3.	व्यपार एवं उद्योग विभाग	2,731	221.16
<b>योग</b>		<b>2,903</b>	<b>9,693.54</b>

(स्रोत: व्ही.एल.सी. द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी)

अनुशंसा: सं.आ. देयक जो आकास्मिक प्रकृति के नहीं हैं, के माध्यम से निधि का आहरण प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

### 3.3.2 सं.आ. देयकों पर त्रुटिपूर्ण लेखन

उप निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अभिलेखों के जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2014-17 के दौरान 140 सं.आ. देयक राशि ₹ 9,961.94 करोड़ छ.शा.को.सं. फार्म-35 पर बिना किसी समर्थित प्रमाणको के आहरित किया गया तथा इन देयको को पारित करने हेतु रायपुर कोषालय को प्रेषण किया गया तथा पारित उपरांत इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किया गया।

जबकि, केवल 81 देयकों राशि ₹ 7,039.79 करोड़ को सं.आ. देयकों के अंतर्गत दर्ज किया गया तथा 59 देयकों राशि ₹ 2,922.15 करोड़ को पूर्ण प्रमाणक देयक में दर्ज किया गया। अर्थात् बिना समर्थित प्रमाणक प्राप्त किये अंतः व्यय सेवा शीर्ष को डेबिट किया गया। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2014-17 के दौरान राशि ₹ 2,922.15 करोड़ का सं. आ. देयक में न्यूनोक्ति हुई।

कोषालय से प्राप्त मासिक लेखे को परीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि 50 सं.आ. देयक राशि ₹ 2584.28 करोड़ को कोड संख्या 101 के बदले 103 में दर्ज किया गया। आगे, यह भी देखा गया कि नौ देयक राशि ₹ 337.88 करोड़ को कोषालय द्वारा आकस्मिक देयक के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण दर्ज किया गया। इस प्रकार, 59 देयको राशि ₹ 2,922.15 करोड़ पूर्ण प्रमाणक देयक में दर्ज हुआ तथा 2014-17 के दौरान उस सीमातक सं.आ. देयको की न्यूनोक्ति हुई।

विभाग द्वारा आहरित एवं वार्षिक लेखे में दर्ज सं.आ. देयक का विवरण तालिका 3.5 में प्रदर्शित है।

तालिका: 3.5 वार्षिक लेखे में सं.आ. देयक को पूर्ण प्रमाणित देयक में प्रदर्शन

( ₹ करोड़ में )

क्र. सं.	वर्ष	विभाग द्वारा सं.आ. देयक से आहरित राशि	व्ही.एल.सी. में अनुसार सं. आ. देयक की राशि	अंतर (3-4)
1	2014-15	1,929.27	200.00	1,729.27
2	2015-16	5,319.68	4,126.84	1,192.84
3	2016-17	2,712.99	2,712.95	0.04
<b>योग</b>		<b>9,961.94</b>	<b>7,039.79</b>	<b>2,922.15</b>

(स्रोत: विभाग से प्राप्त सूचना एवं व्ही.एल.सी. ऑकड़ा)

**3.3.3 समर्थित प्रमाणको के बिना विस्तृत आकस्मिक देयक तैयार करना**

व्यापार एवं उद्योग विभाग के अभिलेखों के जाँच के दौरान यह पाया गया कि वि.आ. देयक राशि ₹ 71.26<sup>2</sup> करोड़ के साथ प्रमाणक संलग्न नहीं किये गये।

उप निदेशक, व्यापार एवं उद्योग विभाग, रायपुर को इंगित करने पर बताया कि सभी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को निर्धारित अवधि में आवश्यक अभिलेखों, वि.आ. देयक के साथ प्रेषण हेतु निर्देश जारी किया जायेगा।

इस प्रकार, समर्थित प्रमाणकों के अभाव में उपरोक्त प्रकरणों में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों को चाही गई प्रयोजना के लिए उपयोग में लाया गया है।

**3.3.4 विस्तृत आकस्मिक देयको के विलम्ब से समर्पण**

छ.ग. कोषालय संहिता निर्धारित करता है कि नियंत्रक अधिकारियों को वि.आ. देयको विधिवत पारित किया हुआ, को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को संबंधित/तत्कालीन माह के 25 तारीख तक प्रेषण करना आवश्यक है।

संक्षिप्त आकस्मिक देयको के संबंध में तीन<sup>3</sup> आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ), व्यापार एवं उद्योग विभाग, एक<sup>4</sup> आहरण एवं संवितरण अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं एक<sup>5</sup> आहरण एवं संवितरण अधिकारी, ऊर्जा विभाग के अभिलेखों को जाँच में पाया कि 1,012 वि.आ. देयक राशि ₹ 8,568.87 करोड़ एक माह से 15 माह तक का विलम्ब से महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिस कारण लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाया कि सं.आ. देयक द्वारा आहरित राशि चाही गई प्रयोजन पर व्यय हुआ है। जिसका विवरण परिशिष्ट 3.4 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये जाने पर, उपरोक्त विभागों ने स्वीकार किया तथा बताया कि संबंधित कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा विलम्ब से कोषालय पावती प्राप्त होने के कारण विलम्ब से वि.आ. देयक का प्रस्तुति किया गया। साथ ही, व्यापार एवं उद्योग विभाग ने निश्चित किया कि वि.आ. देयकों को विलम्ब से समर्पण को रोकने हेतु सभी संबंधित कार्यालयों को सूचना जारी की जायेगी।

<sup>2</sup> महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलौदाबाजार (₹ 57.50 करोड़), मुख्य महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, दुर्ग (₹ 8.36 करोड़) एवं महाप्रबंधक, रायपुर (₹ 5.40 करोड़)।

<sup>3</sup> जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का कार्यालय, बलौदाबाजार, दुर्ग एवं रायपुर।

<sup>4</sup> उप निदेशक का कार्यालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रायपुर।

<sup>5</sup> मुख्य विद्युत निरीक्षक का कार्यालय, रायपुर।

### 3.3.5 संक्षिप्त/विस्तृत आकस्मिक देयक पंजी का संधारण न होना।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों/कागजातों के जाँच के दौरान पाया गया कि वि.आ. देयक पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है। पंजी की अनुपलब्धता के कारण वि.आ./सं.आ. देयकों की संख्या का सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इंगित किये जाने पर तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि सं.आ./वि.आ. देयक पंजी कोषालय नियमानुसार संधारण किया जायेगा।

*अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि में सं.आ. देयकों का समायोजन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस निर्देश को अनुपालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो।*

### 3.4 हानि तथा गबन के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता निर्धारित करता है कि लोक धन के हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक प्रकरण महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित 2,022 प्रकरणों में ₹ 139.04 करोड़ वर्ष 2016-17 के अन्त तक लंबित था। ऐसे लंबित प्रकरणों का विभागवार एवं अवधि वार विश्लेषण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। इन प्रकरणों की प्रकृति परिशिष्ट 3.6 में दिया गया है। लंबित प्रकरणों को प्रकृति तथा अवधि वार का सार तालिका 3.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6 हानियों एवं गबनों आदि की स्थिति

(₹ लाख में)

लंबित प्रकरणों की अवधि			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरण की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 - 5	286	4,693.95	चोरी	127	57.99
5 - 10	474	6,909.41	सम्पत्ति / सामग्रीयों की हानि	1,662	13,497.99
10 - 15	312	1,355.59	गबन	233	347.91
15 - 20	206	465.86	योग	2,022	13,903.89
20 - 25	260	305.76			
25 से अधिक	484	173.32			
योग	2,022	13,903.89			

(स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण)

लंबित होने के कारण जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है तालिका 3.7 में वर्गीकृत है।

तालिका 3.7: लंबित प्रकरणों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रकरण विलम्ब/लंबित होने के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	प्रत्याशित विभागीय एवं फौजदारी अनुसंधान	03	3.14
2	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ परन्तु अनिर्णित नहीं	603	1,916.39
3	फौजदारी कार्यवाही निर्णित लेकिन प्रमाणिक प्रकरण की राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही लंबित	01	0.01
4	वसूली/अपलेखन के आदेश अपेक्षित	1,395	11,906.07
5	न्यायालय में प्रकरण लंबित	20	78.28
	योग	2,022	13,903.89

(स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रकरण)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि 2,022 लंबित प्रकरणों में 1,395 प्रकरणों (69 प्रतिशत) जिसका मूल्य ₹ 119.06 करोड़ है में से विभागों/शासन द्वारा मुख्यतः वन विभाग (863 प्रकरण, ₹ 9.17 करोड़) और लोक निर्माण विभाग (404 प्रकरण ₹ 107.20 करोड़) से संबंधित वसूली/अपलेखन आदेश जारी न होने के फलस्वरूप लंबित है। उपरोक्त, यह दर्शाता है कि शासन/विभाग की ओर से लंबित कार्यवाही के फलस्वरूप प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण या निराकरण नहीं हो पाया।

साथ ही, यह भी देखा गया कि 603 प्रकरण राशि ₹ 19.16 करोड़ में यद्यपि विभागीय कार्यवाही मुख्यतः पुलिस विभाग (163 प्रकरण, ₹ 0.33 करोड़), पशुपालन (126 प्रकरण, ₹ 0.09 करोड़) और वन विभाग (64 प्रकरण, ₹ 13.91 करोड़) के अंतर्गत 31 मार्च 2017 के स्थिति में निस्तारण किया जाना है।

जबकि, यह देखा गया कि 33 प्रकरणों में विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान राशि ₹ 10.61 लाख की वसूली की गई जिसका विवरण परिशिष्ट 3.7 में वर्णित है।

*अनुशंसा: राज्य सरकार को विभागीय कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए, तथा ऐसे प्रकरणों के पुनरावृत्ति को रोकने/घटाने हेतु आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करना चाहिये।*

### 3.5 राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति की होती है, एवं यह राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाता है। पूँजीगत व्यय उस व्यय को परिभाषित करता है जो कि ठोस एवं स्थायी परिसम्पत्ति में वृद्धि या स्थायी दायित्वों में कमी को दर्शाता है।

वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ शासन ने त्रुटिपूर्ण बजट तैयार किया एवं सहायक अनुदान राशि (₹ 1,478.88 करोड़), वेतन एवं भत्ता (₹ 84.47 करोड़), कार्य भारित स्थापना व्यय (₹ 41.13 करोड़), व्यवसायिक सेवाओं पर भुगतान (₹ 2.91 करोड़), अनुरक्षण कार्य, कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता तथा औजार एवं संयंत्र (₹ 3.80 करोड़) को राजस्व शीर्ष के बदले पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में दिया गया है।

जबकि, वर्ष 2016-17 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की समीक्षा में पाया गया कि राजस्व व्यय राशि ₹ 0.64 करोड़ (48 प्रकरण) को पूँजीगत व्यय में शामिल किया गया तथा पूँजीगत व्यय राशि ₹ 1.37 करोड़ (4 प्रकरण) को राजस्व व्यय में शामिल किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट 3.9 में वर्णित है। साथ ही, व्यय का अवर्गीकरण के कारण राजस्व आधिक्य ₹ 1,611.83 करोड़ का अत्योक्ति तथा ₹ 1.37 करोड़ से न्यूनोक्ति हुआ।

### 3.6 उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का प्रारंभ किया जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 और छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता निर्धारित करता है कि अनुदानों के मांग हेतु नये उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का प्रारंभ प्रशासकीय आवश्यकताओं तथा महालेखाकार के परामर्श उपरांत ही वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दी जायेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वर्ष के दौरान बजट में राजस्व एवं पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत 57 नवीन उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का आरंभ किये जबकि, महालेखाकार की सहमति नवीन उप शीर्ष आरंभ करने के लिए स्वीकृति नहीं लिया गया। साथ ही, इन नवीन उप शीर्षों में राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹ 1,523.46 करोड़ तथा पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 136.37 करोड़ का व्यय किया गया।

*अनुशंसा: वित्त विभाग को लघु शीर्ष के अंतर्गत नवीन उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष महालेखाकार के परामर्श उपरांत प्रारंभ करना चाहिए।*



### 3.7 लघु शीर्ष- 800 में समायोजन

लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से संबंधित है को तब क्रियाशील करना है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष-800 में लेखाओं में पारदर्शिता नहीं होने के कारण इसे नियमित क्रियाशील नहीं करना चाहिए।

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 2,290.09 करोड़ जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 24,607.38 करोड़ का 9.30 प्रतिशत थी) को लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियाँ में वर्गीकृत किया गया था। इन प्रकरणों में, लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियाँ में दर्ज ₹ 2,204.79 करोड़ थी जो कि क्रमशः मुख्यशीर्ष कुल राजस्व प्राप्तियों की 10 से 130 प्रतिशत थी। विवरण परिशिष्ट 3.10 में दिया गया है।

इसी प्रकार विभिन्न पूँजीगत एवं राजस्व शीर्षों के लेखाओं के व्यय पक्ष ₹ 1,377.39 करोड़ (कुल व्यय ₹ 33,514.77 करोड़ का 4.11 प्रतिशत) को 43 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय में दर्ज किया गया। इन प्रकरणों में, लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय के अंतर्गत ₹ 1,280.94 करोड़, कुल व्यय का 11 से 100 प्रतिशत को परिशिष्ट 3.11 में प्रदर्शित किया गया है।

साथ ही, परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न मुख्य शीर्षों में ₹ 1,031.41 को अवर्गीकृत कर लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय में दर्ज किया गया। यद्यपि, ऐसे व्यय हेतु अलग से लघुशीर्ष प्रावधानित थे। विवरण तालिका 3.8 में दिया गया है।

#### तालिका 3.8 लघुशीर्ष-800 में अवर्गीकरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष के नाम	राशि	उपयुक्त लघु शीर्षों में समायोजन
2853- अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	284.83	191,192,193, 196,197 और 198
4700- वृहत सिंचाई पर पूँजी परिव्यय	575.84	051
4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय	104.47	051
3275- अन्य दुरसंचार सेवार्यें	59.09	101 या 102
5275 - अन्य संचार सेवार्यें पर पूँजी परिव्यय	7.18	101 या 102
<b>योग</b>	<b>1,031.41</b>	

अनुशंसा: वित्तीय विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार विमर्श करके लघु शीर्ष-800 में प्रदर्शित होने वाले सभी का विस्तृत अवलोकन करे एवं यह सुनिश्चित करे कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय भविष्य में उपर्युक्त लेखा शीर्ष में दर्ज हों।

### 3.8 स्थानीय लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताएं नीचे प्रदर्शित है:

#### 3.8.1 शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार राज्य समेकित निधि एवं राज्य लोक लेखा से आहारित राशि शासन की विशेष स्वीकृति के बिना किसी भी बैंक खाते में नहीं जमा की जाएगी।

दस आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि अवधि 2011-16 में विभिन्न योजनाओं से संबंधित ₹ 36.00 करोड़ की धनराशि कोषालय से आहारित कर बैंक खातों में रखी गई जैसा कि परिशिष्ट 3.12 में दर्शाया गया है। एक से पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी राशि का न तो उपयोग किया गया और न ही वापस शासकीय खातों में जमा किया गया। शासन के खाते से बाहर धनराशि को रखाव वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।



अनुशंसा: शासन को शासकीय खाते से बाहर धनराशि को रखने से रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए तथा शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

### 3.8.2 अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन न किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार अग्रिमों को समायोजन तीन माह के अंदर विस्तृत देयक और प्रमाणक प्रस्तुत कर किया जाना चाहिए।

31 मार्च 2017 की स्थिति में, 18 विभागों में अग्रिमों के 656 प्रकरणों, राशि ₹ 7.62 करोड़ समायोजन के लिए लंबित हैं। लंबित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण तालिका 3.9 में दर्शाया गया है। अग्रिमों का विभागवार और वर्षवार विवरण परिशिष्ट 3.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9 : अस्थायी अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लंबित समयावधि	अवधि	अग्रिमों की संख्या	राशि
1.	10 वर्ष से अधिक	2005-06 तक	121	0.14
2.	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	2006-07 से 2010-11	181	0.72
3.	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	2011-22 से 2012-13	54	0.32
4.	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	2013-14 से 2014-15	136	2.16
5.	1 वर्ष तक	2015-16 से 2016-17	166	4.28
योग			658	7.62

अनुशंसा: अस्थायी अग्रिम के यथासमय समायोजन के लिए शासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

### 3.8.3 रोकड़ बही का अनियमित संधारण

रोकड़ बही का समुचित संधारण वित्तीय प्रबंधन का महत्वपूर्ण अव्यव है और इसका अभाव आंतरिक नियंत्रण तंत्र में गंभीर खामी इंगित करता है। ऐसा स्थिति गबन, धोखाधड़ी, आदि समस्याओं को कई गुना बढ़ा देता है।

वर्ष 2016-17 में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान, अभिलेखों की जांच में राशि ₹ 79.44 करोड़ की निम्नांकित अनियमिततायें पाई गई हैं। (परिशिष्ट- 3.14 में विवरण प्रदर्शित है):

- 15 प्रकरणों में ₹ 60.26 करोड़ की राशि रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई किंतु अन्य अनुषंगिक अभिलेखों में दर्ज की गई।
- राशि ₹ 16.70 करोड़ की मिलान बैंक से नहीं किया गया।
- लेखांकन में ₹ 2.46 करोड़ की कमी।
- ₹ 0.02 करोड़ का त्रुटिपूर्ण अग्रेषण।

आगे, लेखापरीक्षा में अन्य निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई जिसका विवरण परिशिष्ट 3.15 में प्रदर्शित है

- रोकड़ बही में सफेदा का प्रयोग।
- लेन-देन दर्ज नहीं किया गया।
- रोकड़ बही में प्रविष्टियां प्रमाणित नहीं की गई एवं आवश्यक प्रमाण पत्र रोकड़ बही में दर्ज नहीं किये गए।
- रोकड़ का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

- रोकड़ बही में पेंसिल का प्रयोग ।
- प्रमाणक और रोकड़ बही की राशि में अंतर ।
- राशि ₹ 10,000 से अधिक का रोकड़ में भुगतान ।
- विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग रोकड़ बही तैयार नहीं की गई ।
- रोकड़ बही व पासबुक की राशि में अंतर ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संबंधित विभागाध्यक्ष तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि रोकड़ बही में आवश्यक सुधार किया जाएगा तथा रोकड़ बही संधारण हेतु मौजूदा नियम का अनुसरण किया जाएगा।

*अनुशंसा: अनियमिततायें जैसे लेनदेनों का अभिलेखन न करना, आंशिक लेखन, लेनदेनों का मिलान न होना आदि निधियों का दुर्विनियोजन तथा गबन के जोखिमों को बढ़ावा देता है। शासन को इस प्रकार के अनियमिततायें को प्रतिबंधित करने के लिए रचनातंत्र को सुदृढ़ करें तथा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करें।*

### 3.9 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा श्रम उपकर के संबंध में नियम तैयार नहीं किया गया है। परियोजन सम्मिलित श्रम को क्रियान्वयन संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर के लिए शासन द्वारा नवीन शीर्ष का आरंभ नहीं किया गया है। सरकारी विभाग द्वारा संग्रहित श्रम उपकर छ.ग. के समेकित निधि जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत आवश्यक है, में प्रेषण न करते हुए सीधे मुख्य शीर्ष-8443 सिविल जमा - 108 लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा में दर्ज किया गया है। जबकि लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा का कोई उप-शीर्ष नहीं होने के कारण श्रम कल्याण मण्डल में जमा राशि को पृथक करना संभव नहीं है।

#### 3.9.1 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से प्रत्यक्ष हुआ कि विभिन्न एजेन्सियों द्वारा एकत्रित उपकर चेकों/धनादेशों के माध्यम से मण्डल को भेजा गया या इसी उद्देश्य के लिए खोले गए मण्डल के बैंक खाते में जिला श्रम कार्यालयों द्वारा जमा किया गया। अवधि 2012-13 से 2016-17 में उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति का विवरण तालिका 3.10 प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.10 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	अर्जित ब्याज	कुल राशि	उपलब्ध	व्यय	अंतः शेष	उपलब्ध राशि के उपयोग का प्रतिशत
2012-13	91.38	85.27	6.16	182.81	57.92	124.89	31.68	
2013-14	124.89	134.81	9.46	269.17	104.24	164.93	38.73	
2014-15	164.93	131.92	13.61	310.47	62.98	247.48	20.28	
2015-16	247.48	126.89	20.85	395.23	121.95	273.28	30.85	
2016-17	273.28	172.52	19.76	465.56	183.92	281.64	39.50	

(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित)

लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012-17 के दौरान ₹ 135.54 करोड़ का संग्रहण किया गया, जिसमें से 127.54 करोड़ श्रम कल्याण मण्डल को हस्तांतरण किया गया और शेष राशि ₹ 8.00 करोड़ को हस्तांतरण न कर इसे लोक लेखा जमा के अंतर्गत रखा गया जो कि संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है।

अनुशंसा: छ.ग. शासन को संविधानिक प्रावधानों का पालन करना चाहिए तथा उपकर को समेकित निधि से होकर उपकर के लेखांकन हेतु नियम बनाना तथा श्रम उपकर को श्रम कल्याण मण्डल को अविलम्ब हस्तांतरण करना सुनिश्चित करें।

### 3.10 प्राप्ति एवं व्यय का मिलान

सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अपनी पुस्तिकाओं में दर्ज शासन की प्राप्ति व व्यय का आंकड़ा महालेखाकार (ले. एवं हक.) के आकड़े से मिलान करना आवश्यक है। विगत वर्ष में 94 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 18 अधिकारियों ने पूर्णतः एवं 18 ने आंशिक रूप से व्यय का मिलान किया जिसकी राशि ₹ 21,147.63 करोड़ (कुल व्यय ₹ 59,120.189 करोड़ का 35.77 प्रतिशत) है। इसी प्रकार, प्राप्ति के संदर्भ में 94 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से नौ ने पूर्णतः एवं सात ने आंशिक रूप से प्राप्तियों को मिलान किया जिसकी राशि ₹ 21,249.81 करोड़ (कुल प्राप्ति ₹ 59,340.92 करोड़ का 35.81 प्रतिशत) है।

बजट नियंत्रण अधिकारी, कृषि संचालक से संबंधित आंकड़ों की वस्तुगत लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि संचालक द्वारा ₹ 3.94 करोड़ की प्राप्ति दर्शायी गई जबकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 10.03 करोड़ की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार, संचालक द्वारा ₹ 1,481.28 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया जबकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 1,481.28 करोड़ दर्ज किये गए। इस प्रकार, प्राप्ति पक्ष में ₹ 6.09 करोड़ एवं व्यय पक्ष में ₹ 0.95 करोड़ का अंतर पाया गया। इंगित किये जाने पर कृषि संचालक, छत्तीसगढ़ शासन से कोई उत्तर लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुशंसा: सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (ले. एवं हक.) के साथ अपने लेखाओं का मिलान प्रतिमाह सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग को एक प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए।

### 3.11 राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन

नवंबर 2000 में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशक बाद अनुवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच लोक लेखा शीर्षों के अंतर्गत राशि ₹ 669.75 करोड़, पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत ₹ 5,755.20 करोड़ तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत ₹ 2,176 करोड़ राशि का संविभाजन किया जाना शेष है।

अनुशंसा: दोनों अनुवर्ती राज्यों के बीच लोक लेखा, पूंजीगत लेखा जमा एवं अग्रिम की शेष राशि के बंटवारे की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए राज्य शासन को मध्य प्रदेश के साथ संपर्क करना चाहिए।

### 3.12 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

2008-09 से राज्य वित्तीय प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अद्यतन छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति में राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोई परिचर्चा नहीं की गई है।

### 3.13 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वित्त लेखे में व्यय एवं राजस्व के त्रुटिपूर्ण अंकन/लेखन के फलस्वरूप राजस्व आधिक्य में राशि ₹ 1,509.67 करोड़ अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में राशि ₹ 30.79 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जो कि तालिका 3.11 में दिया गया है:

तालिका 3.11 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति
सहायता अनुदान राशि को राजस्व के स्थान पर पूँजीगत शीर्ष में दर्ज करना	1,478.88	0.00	0.00	0.00
न.पें.यो. में शासन के अंशदान में कमी	4.64	0.00	0.00	4.64
आरक्षित व जमा पर ब्याज का प्रावधान न होना	26.15	0.00	0.00	26.15
<b>कुल (शुद्ध) प्रभाव</b>	<b>1,509.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.79</b>

प्रतिवेदन के विभिन्न स्थानों में चर्चानुसार, लेखापरीक्षा द्वारा परिगणित, राजस्व तथा व्यय का त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि/लेखांकन पर प्रभाव की चर्चा तालिका 3.12 में की गई है।

तालिका 3.12 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर लेखापरीक्षा के अनुसार प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		बकाया दायित्वों पर प्रभाव
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	न्यूनोक्ति
सहायता अनुदान राशि को राजस्व के स्थान पर पूँजी के अंतर्गत दर्ज करना	1,478.88	0.00	0.00	0.00	0.00
पूँजीगत व्यय को राजस्व व्यय में दर्ज	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय में दर्ज	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
वेतन भत्तों, निर्माण, कार्य प्रभारित स्थापना, व्यावसायिक सेवाएं, मरम्मत कार्य, कार्यालय व्यय, यात्रा भत्तों और औजारों एवं संयंत्रों पर व्यय	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00
न.पें.यो. में शासन के अंशदान में कमी	4.64	0.00	0.00	4.64	53.25
छ.रा.वि.वि.कं. लिमिटेड को प्रदायित प्रत्याभूति को दायित्व में प्रदर्शित	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00
ब्याज वाले आरक्षित निधि एवं जमाओं में क्रेडिट न करना	31.43	0.00	0.00	31.43	225.87
अधोसंरचना विकास निधि में अहस्तांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	304.24
प्रत्याभूति विमोचन निधि	9.94	0.00	0.00	9.94	112.60
<b>योग</b>	<b>1,657.84</b>	<b>1.37</b>	<b>0.00</b>	<b>46.01</b>	<b>2,650.96</b>
<b>(शुद्ध) प्रभाव</b>	<b>₹ 1,656.47 करोड़ का अत्योक्ति</b>		<b>₹ 46.01 करोड़ की न्यूनोक्ति</b>		

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में, राजस्व आधिक्य के ₹ 1,656.47 करोड़ के अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटा के ₹ 46.01 करोड़ के न्यूनोक्ति के कारण राज्य के राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटा जो कि वित्त लेखा में ₹ 5,520.65 करोड़ तथा ₹ 4,047.27 करोड़ वर्णित है, वास्तव में क्रमशः ₹ 3,864.18 करोड़ तथा ₹ 4,093.28 करोड़ होंगे। राज्य के दायित्व भी ₹ 2,650.96 करोड़ तक न्यूनोक्ति किए गए हैं।

बि. क. मोहन्ती

(बिजय कुमार मोहन्ती)  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)  
छत्तीसगढ़

रायपुर 24 अगस्त 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

राजीव महर्षि

नई दिल्ली  
दिनांक 28 अगस्त 2018

(राजीव महर्षि)  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

**परिशिष्ट-1.1 (अ)**  
(संदर्भ: कंडिका-छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य; पृष्ठ-1)  
**छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा**

**अ-सामान्य आंकड़े**

सं क्रं.	विवरण	आँकड़े	
1	क्षेत्र	1,35,192 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या		
	अ 2001 की जनगणना के अनुसार	2.08 करोड़	
	ब 2011 की जनगणना के अनुसार	2.55 करोड़	
3	अ जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	154 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.	
	ब जनसंख्या का घनत्व <sup>1</sup> (2011 के जनगणना के अनुसार) ( राष्ट्रीय औसत घनत्व =382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या <sup>2</sup> (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत=21.90 प्रतिशत )	39.9 प्रतिशत	
5	अ साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =64.80 प्रतिशत)	64.66 प्रतिशत	
	ब साक्षरता <sup>3</sup> (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =73.00 प्रतिशत)	70.30 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर <sup>4</sup> (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) ( राष्ट्रीय औसत =37 प्रति 1000 जीवित बच्चे)	41 प्रति 1000 जीवित बच्चे	
7	गिनी कोएफिशियेन्ट <sup>5</sup>		
	अ ग्रामीण ( राष्ट्रीय=0.29)	0.28	
	ब शहरी ( राष्ट्रीय=0.38)	0.33	
8	वर्तमान मूल्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद <sup>6</sup> (जी.एस.डी.पी ) 2016-17	₹ 2,90,140 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2007-08 से 2016-17) सी.ए.जी.आर	सामान्य राज्य श्रेणी छत्तीसगढ़	13.2 13.8
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद सी.ए.जी.आर (2007-08 से 2016-17)	सामान्य राज्य श्रेणी छत्तीसगढ़	15.2 15.3
11	जनसंख्या वृद्धि (2007 से 2016)	सामान्य राज्य श्रेणी छत्तीसगढ़	11.9 12.7

**ब. वित्तिय आंकड़े**

सी.ए.जी.आर		विवरण			
		2007-08 से 2015-16		2015-16 से 2016-17	
		सामान्य राज्य श्रेणी	छत्तीसगढ़	सामान्य राज्य श्रेणी	छत्तीसगढ़
		प्रतिशत में			
क.	राजस्व प्राप्तियों का	14.58	16.18	11.52	16.54
ख.	स्वयं का राजस्व का	14.80	16.52	13.50	15.14
ग.	कर भिन्न राजस्व का	9.45	12.58	12.10	8.71
घ.	कुल व्यय का	15.84	17.28	15.31	11.88
ङ	पूँजीगत व्यय का	14.53	10.56	17.91	20.88
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.86	22.74	9.86	18.81
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.43	25.41	14.92	22.64
ज	मजदूरी एवं वेतन का	14.89	17.62	13.06	5.15
झ	पेंशन का	17.17	22.71	10.63	-0.92

(स्रोत: राज्य शासन के वित्त लेखाओं पर आधारित वित्तिये आँकड़े)

- 1 जनगणना जानकारी में भारत की कुल जनसंख्या आँकड़े।
- 2 आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), भाग, 2 पृष्ठ अ 154।
- 3 आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), भाग, 2 पृष्ठ अ 149।
- 4 आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), भाग, 2 पृष्ठ अ 156।
- 5 एचटीटीपी // प्लानिंगकमीशनएनआईसी.आईएन/ डाटा/ डाटाटेबल/ डाटा2312/ डाटाबुकडीईसी2014%20106.पीडीएफ
- 6 आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ 2016-17

**परिशिष्ट-1.1 (ब)**  
(संदर्भ: कंडिका-1.1: पृष्ठ-1)  
**शासकीय लेखों की संरचना एवं प्रपत्र**

**सरकार के लेखे की संरचना:** राज्य शासन के लेखे तीन भागों (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखे में रखा जाते हैं।

**भाग (I) समेकित निधि:** राज्य शासन द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनियम पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है।

**भाग (II) आकस्मिकता निधि:** भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रिम के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है। बाद में विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है। तब आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है।

**भाग (III) लोक लेखा:** कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के हिस्से नहीं हैं, इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं जो विधान मंडल के द्वारा मत के अधीन नहीं है।

**भाग-स: वित्त लेखों की रूपरेखा**  
वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है।

<b>खण्ड-1 – सारांशीय विवरणी</b>	
विवरण क्र. 1	वित्तीय स्थिति का वितरण-वर्ष के अंत में शासन के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संचयित आंकड़े।
विवरण क्र. 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-वर्ष के दौरान शासन द्वारा सरकारी लेखे में तीन भागों में रखे गये प्राप्तियाँ एवं संवितरण।
विवरण क्र. 3	प्राप्तियों का विवरण- शासन की राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं शासन द्वारा उधार से प्राप्तियों का विवरण।
विवरण क्र. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण- कार्यकलाप एवं क्रियाकलाप अनुसार व्यय का विवरण।
विवरण क्र. 5	प्रगामी पूँजीगत परिव्यय का विवरण-पूँजीगत व्यय का प्रगामी जोड़ मार्च 2017 अंत तक का सारांशी विवरण।
विवरण क्र. 6	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण-शासन के उधारों का सारांशी विवरण जिसमें आंतरिक ऋण भारत सरकार से प्राप्त कर्ज, अन्य दायित्व एवं ऋणों की सेवायें।
विवरण क्र. 7	शासन द्वारा दिये गये कर्जें तथा पेशगियों का विवरण- राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान और वसूलियों का बकाया इत्यादि।
विवरण क्र. 8	वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए विभिन्न संबंधित पूँजीगत शेर्य एवं ऋण पत्र में शासकीय निवेश का तुलनात्मक सारांश।
विवरण क्र. 9	शासन द्वारा दिए गए प्रत्याभूतियों का विवरण-सांविधिक निगमों, स्थानीय निगमों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति।
विवरण क्र. 10	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण क्र. 11	प्रभारित एवं दत्तमत व्यय का विवरण-वर्ष के दौरान किये गए व्यय के भारित एवं दत्तमत मध्य वितरण।
विवरण क्र. 12	वर्ष 2016-17 के अंत तक व्यय (राजस्व लेखे के अतिरिक्त) के लिये अन्य निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सारांश, ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से संबंधित लेखे के शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियाँ संवितरण एवं शेषों का विस्तृत लेखा।
<b>खण्ड-2 – विस्तृत विवरणी</b>	
विवरण क्र. 14	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 16	मुख्य शीर्षवार तथा लघुशीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण: वर्ष 2016-17 के अंत तक खर्च किए गये विस्तृत पूँजीगत व्यय एवं पिछले वर्ष की आंकड़ों से तुलना को दर्शाता है।
विवरण क्र. 17	उधारों तथा अन्य दायित्वों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 18	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विस्तृत विवरण: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान, 31 मार्च 2017 तक का विस्तृत लेखा।
विवरण क्र. 19	शासन के निवेशों का विस्तृत विवरण: 31 मार्च 2017 के अंत तक सांविधिक निगमों, शासकीय कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य शासन के निवेश का विवरण
विवरण क्र. 20	शासन द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियों का विवरण-संस्थावार
विवरण क्र. 21	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 22	चिन्हित निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण।



## परिशिष्ट – 1.2

(संदर्भ: कंडिका-1.1.1: पृष्ठ-1)

**वित्तीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली विधि  
राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि**

यह मानकर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का अच्छा सूचक है, वृहत राजकोषीय कुल योग जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रचलित बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिनिधित्व वाले आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय अस्थिर अंक के सह दक्षता सहित उत्पलावकता की संगणना यह आंकलन करने के लिए की गई है कि संसाधनों का संग्रह व्यय की रीति इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला रहा है अथवा इन राजकोषीय कुल योग पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य तत्वों द्वारा प्रभावित होता है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान का आंकलन आधार वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 में परिवर्तित कर तैयार किये गए हैं। इस पद्धति में बाजार भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आंकलन उत्पादन एवं उत्पादक कर जोड़कर सब्सिडी को घटाते हुए किया गया है। इसलिए, अवधि 2011-12 से 2015-16 के दौरान पिछले प्रतिवेदनों में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष विभिन्न परिमाण के आकड़ें भी पुनरीक्षित हुए हैं।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार सूचित किया जाता है

**सकल राज्य घरेलू उत्पाद का झुकाव**

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ में)	1,77,511	2,06,690	2,34,982	2,60,776	2,90,140
वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.30	16.44	13.69	10.98	11.26
स्थिर मूल्य पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,65,937	1,82,229	1,96,023	2,09,012	2,23,932
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.97	9.82	7.57	6.63	7.13

(स्रोत: सांख्यिकी की एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट)

वित्तीय जोड़ों की धारा एवं रूपरेखा के कुछ चुनिंदा मदों की परिभाषा निम्नानुसार है:

मद	गणना का आधार
वृद्धि की दर (आरओजी)	$[(\text{चालू वर्ष की राशि} / \text{पिछले वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान / $[(\text{पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं}) / 2] * 100$
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक*ब्याज विस्तार
दिये गये बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	ब्याज प्राप्ति / $[(\text{प्रारंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष}) / 2] * 100$
राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-)	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूँजीगत व्यय+निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ-विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियों से घटाये सभी योजना अनुदानों एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष 2048 में दर्ज व्यय को छोड़कर ऋण परिहार को कम करने के लिए विनियोग
संसाधनों का अंतर	क्रमिक गैर ऋण प्राप्तियाँ-क्रमिक प्राथमिक राजस्व व्यय+क्रमिक ब्याज भुगतान

**परिशिष्ट – 1.3 (भाग – अ)**  
(संदर्भ: कंडिका-1.1.1: पृष्ठ-1)  
वर्ष 2016-17 के प्राप्ति एवं भुगतान का सार

(₹ करोड़ में)

2015-16		प्राप्तियाँ	2016-17		2015-16		भुगतान	2016-17		
								गैर योजना	योजना	योग
46,067.71		राजस्व प्राप्तियाँ		53,685.25	43,701.06		राजस्व व्यय	23,911.71	24,252.90	48,164.60
	17,074.86	कर राजस्व	18,945.21			10,408.76	सामान्य सेवायें	11,416.51	79.72	11,496.23
	5,214.79	कर-मिन्न राजस्व	5,669.25			16,339.35	समाजिक सेवायें	6,404.92	14,936.69	21,341.61
	15,716.47	केन्द्रीय कर में राज्य का अंशदान	18,809.16			9,325.55	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	3,769.57	7,309.79	11,079.36
	2,328.79	आयोजनेत्तर अनुदान	2,013.42			2,419.42	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	654.10	2,313.17	2,967.27
	4,775.83	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	7,785.03			1,413.26	जल प्रदाय स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	633.69	3,470.38	4,104.07
	956.97	केन्द्र तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	463.18			69.14	सूचना एवं प्रसारण	118.56	2.66	121.22
						173.10	अनूसूचित जातियों / अनूसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	59.62	136.74	196.36
						227.12	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	79.28	140.76	220.04
						2,692.93	समाजिक कल्याण एवं पोषण	1,075.80	1,555.87	2,631.67
						18.83	अन्य	14.29	7.33	21.62
						16,052.54	आर्थिक सेवायें	4,939.72	9,236.49	14,176.21
						8,324.55	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	2,172.38	4,596.34	6,768.72
						2,966.18	ग्रामीण विकास	1,525.49	2,773.62	4,299.11
						0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
						120.79	संचार	0.00	59.09	59.09
						489.54	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	304.26	220.56	524.82
						2,816.12	ऊर्जा	60.00	975.89	1,035.89
						489.37	उद्योग एवं खनिज	281.08	477.24	758.32
						781.29	परिवहन	554.55	99.03	653.58
						9.35	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2.50	9.98	12.48
						55.35	सामान्य आर्थिक सेवायें	39.46	24.74	64.20
						900.41	सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,150.55	0.00	1,150.55
46,067.71		कुल राजस्व प्राप्तियाँ		53,685.25		43,701.06	कुल राजस्व व्यय	23,911.71	24,252.90	48,164.60
	II	अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व घाटा				2,366.65	अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व आधिक्य	0.00	0.00	5,520.65
46,067.71		योग		53,685.25	46,067.71		योग			53,685.25

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2016-17

2015-16		प्राप्तियाँ	2016-17		2015-16		भुगतान	2016-17		
								गैर योजना	योजना	योग
1,218.38		स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष		2,833.72	0.00		भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00
2.84		विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ		2.37	7,945.01		पूँजीगत व्यय	38.71	9,431.80	9,470.51
					362.33		सामान्य सेवायें	31.34	156.19	187.54
					1,807.01		सामाजिक सेवायें	5.02	2,455.60	2,460.62
						497.28	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति	0.06	516.89	516.95
						289.82	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	325.00	325.00
						657.04	जल प्रदाय स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास	4.30	1,092.72	1,097.02
						0.02	सूचना एवं प्रसारण	0.02	0.00	0.02
						240.73	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.24	366.64	366.88
						49.25	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.41	76.66	77.07
						72.87	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.00	77.68	77.68
					5,775.67		आर्थिक सेवायें	2.34	6,820.01	6,822.35
						63.17	कृषि एवं संबंधित सेवायें	1.67	90.33	92.01
						721.19	ग्रामीण विकास	0.00	366.70	366.70
						1,736.71	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.23	1,887.91	1,888.13
						130.00	ऊर्जा	0.015	907.44	907.46
						52.97	उद्योग एवं खनिज	0.42	110.64	111.06
						3,068.92	परिवहन	0.00	3,422.89	3,422.89
							विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.00	7.18	7.18
						2.71	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	0.30	0.30
						0	योग पूंजीगत व्यय	0.00	26.61	26.61
0.52		अंतर्राज्यीय समाशोधन		0.38	7,945.01		अंतर्राज्यीय समाशोधन	38.71	9,431.80	9,470.51
296.39		ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ		172.99	0.49		ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण			0.44
	0.00	विद्युत परियोजनाओं से			164.73		विद्युत परियोजनाओं हेतु			272.71
	0.31	सरकारी सेवकों से	1.11			0.00	सरकारी सेवकों को	0.00	0.00	0.00
	296.39	अन्य से	172.99			0.00	अन्य को	0.00	0.00	0.00
2,366.65		लाया गया राजस्व अधिक्व		5,520.65		88.32	लाया गया राजस्व घाटा	0.00	272.71	0.00
7,251.15		लोक ऋण प्राप्तियाँ		5,479.93	0.00		लोक ऋणों का पुनर्भुगतान			
	0.00	बाह्य ऋण			1,250.18		बहाय ऋण			1,152.62
	7,105.87	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण	5,098.40			0.00	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण	0.00	0.00	0.00
						702.31				982.67

2015-16		प्राप्तियाँ	2016-17		2015-16		भुगतान	2016-17		
								गैर योजना	योजना	योग
0.00		अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	0.00		383.80		अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन			0.00
0.00		अधिविकर्षण के अधीन निवल लेनदेन	0.00							
145.28		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	381.53		164.07		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			169.96
0.00		आकस्मिकता निधि से विनियोग	0.00		1.72		आकस्मिकता निधि से विनियोग			2.29
1.72		आकस्मिकता निधि को स्थानांतरित		62.29		1.72	आकस्मिकता निधि से व्यय			60.00
55,059.09		लोक लेखा प्राप्तियाँ		62,693.95	54,000.89		लोक लेखा संवितरण			61,148.85
	1,094.55	लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1,126.89			580.25	लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ			699.93
	1,628.09	आरक्षित निधियाँ	1,617.38			1,038.16	आरक्षित निधियाँ			977.58
	40,316.74	उचत एवं विविध	46,701.87			40,281.04	उचत एवं विविध			46,823.36
	8,601.45	प्रेषण	9,224.16			8,613.39	प्रेषण			9,175.02
	3,418.26	निकेप एवं अग्रिम	4,023.64			3,487.80	निकेप एवं अग्रिम			3,472.96
0.00	0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्षण	0.00	0.00	2,833.72		वर्ष के अंत में रोकड़ शेष			4,658.85
						0.00	कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			0.00
						(-577.94)	रिजर्व बैंक के पास निकेप			339.18
						11.86	स्थयी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			9.04
						3,399.80	रोकड़ शेष निवेश			4,310.63
66,196.72		योग ब		76,766.27	66,196.72		योग ब			76,766.27

परिशिष्ट – 1.3 (भाग – ब)  
(संदर्भ: कंडिका-1.1.1, 1.9.1 एवं 1.9.2: पृष्ठ-1 एवं 26)  
छत्तीसगढ़ शासन की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2016 की स्थिति	दायित्व	31.03.2017 को
<b>24,214.56</b>	<b>आंतरिक ऋण</b>	<b>28,330.29</b>
14,552.32	ब्याज सहित बजार ऋण	18,450.00
2.11	ब्याज रहित बजार ऋण	2.11
20.29	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20.29
9,639.84	अन्य संस्थाओं से ऋण	9,857.89
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्षण	0.00
<b>1,835.59</b>	<b>केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>2,047.15</b>
0.68	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.68
2.16	आयोजनेत्तर ऋण	1.62
1,832.79	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	2,044.89
0.19	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.19
(-)0.23	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ऋण	(-)0.23
<b>40.00</b>	<b>आकस्मिकता निधि</b>	<b>100.00</b>
<b>4,163.66</b>	<b>लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि</b>	<b>4,592.47</b>
<b>5,567.30</b>	<b>निक्षेप</b>	<b>6,117.97</b>
<b>3,579.11</b>	<b>आरक्षित निधियाँ</b>	<b>4,141.61</b>
<b>140.77</b>	<b>उचंचत एवं विविध शेष</b>	<b>163.79</b>
<b>39,540.99</b>	<b>योग</b>	<b>45,493.28</b>
<b>53,823.68</b>	<b>अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत व्यय</b>	<b>63,346.82*</b>
6,192.22	कम्पनियों निगमों इत्यादि में निवेश	6,778.60
47,631.46	अन्य पूंजीगत व्यय	56,568.22
<b>1,263.75</b>	<b>ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>1,373.68</b>
108.71	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	108.71
1,163.60	अन्य विकास ऋण	1,264.43
	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	0.54
<b>1,543.63</b>	<b>आरक्षित निधि में निवेश</b>	<b>1,798.63</b>
<b>1.94</b>	<b>अग्रिम</b>	<b>1.92</b>
<b>356.72</b>	<b>प्रेषण शेष</b>	<b>307.58</b>
<b>0.00</b>	<b>आकस्मिकता निधि</b>	<b>0.00</b>
<b>1,290.09</b>	<b>नगदी</b>	<b>2,860.22</b>
0.00	कोषालय में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
(-)577.94	रिजर्व बैंक में निक्षेप	339.18
11.54	विभागीय नगदी शेष अचल	8.70
0.32	स्थायी अग्रिम	0.34
1,856.17	नगदी शेष निवेश	2,512.00
<b>(-)18,738.82</b>	<b>सरकारी लेखे में घाटा</b>	<b>(-)24,140.57</b>
(-)2,366.65	(1) घटाइये चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य	(-)5,520.65
(-)4,481.27	(2) प्रारूप सुधार एवं अन्य समायोजन	(-)118.9
(-)11,890.90	वर्ष के प्रारंभ में संचयित घाटा	(-)18,738.82
<b>39,540.99</b>	<b>योग</b>	<b>45,493.27</b>

\*ज्वाइंट वैंचर कंपनी 'छत्तीसगढ़ पूर्व रेल्वे लिमिटेड' और 'छत्तीसगढ़ पश्चिम रेल्वे लिमिटेड' की शेयर पूंजी ₹ 55.00 करोड़ निवेश शामिल है ।

**परिशिष्ट – 1.4**  
(संदर्भ: कंडिका-1.1.3 : पृष्ठ- 5)  
वर्ष 2016-17 के लिये बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट प्रावधान 2016-17	वास्तविक	बढ़ना/घटना (-)	बढ़ना/घटना का प्रतिशत (-)
राजस्व प्राप्ति	61,426.67	53,685.25	(-)7,741.42	(-)12.60
स्वयं कर राजस्व	21,964.10	18,945.21	(-)3,018.89	(-)13.75
व्यापार, विक्रय आदि पर कर	11,928.37	9,927.21	(-)2,001.16	(-)16.78
राज्य उत्पाद शुल्क	3,870.00	3,443.51	(-)426.49	(-)11.02
वाहन पर कर	954.11	985.27	31.16	3.27
टिकट एवं पंजीयन शुल्क	1,485.00	1,211.35	(-)273.65	(-)18.43
यात्री एवं वस्तु पर कर	1,563.77	1,340.36	(-)223.41	(-)14.29
भू-राजस्व	5,50.00	503.66	(-)46.34	(-)8.43
विद्युत पर शुल्क एवं कर	1,575.00	1,495.48	(-)79.52	(-)5.05
अन्य कर	7.86	38.37	30.51	388.17
गैर कर राजस्व	7,420.15	5,669.25	(-)1,750.90	(-)23.60
केन्द्रीय कर एवं शुल्क का अंश	18,650.16	18,809.16	159.00	0.85
भारत सरकार से सहायक अनुदान	13,392.26	10,261.63	(-)3,130.63	(-)23.38
पूंजीगत प्राप्तियां	8,544.96	6,047.76	(-)2,497.20	(-)29.22
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	520.72	172.99	(-)347.73	(-)66.78
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	2.37	2.37	100.00
शुद्ध लोक ऋण	7,524.24	4,327.30	(-)3,196.94	(-)42.49
शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियां	500	1,545.10	1,045.10	209.02
राजस्व व्यय	56,389.53	48,164.60	(-)8,224.93	(-)14.59
सामान्य सेवायें	13,775.36	11,496.23	(-)2,279.13	(-)16.55
राज्य के अंग	449.32	304.68	(-)144.64	(-)32.19
वित्तीय सेवायें	1,178.31	1,203.48	25.17	2.14
ब्याज भुगतान एवं ऋण शोधन	2,789.98	2,886.83	96.85	3.47
प्रशासकीय सेवायें	4,173.81	3,614.70	(-)559.11	(-)13.40
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	5,183.94	3,486.54	(-)1,697.40	(-)32.74
समाजिक सेवायें	24,028.51	21,341.61	(-)2,686.90	(-)11.18
शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति	13,309.18	11,079.36	(-)2,229.82	(-)16.75
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,628.00	2,967.27	(-)660.73	(-)18.21
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	3,327.11	4,104.07	776.96	23.35
सूचना एवं प्रसारण	91.18	121.22	30.04	32.95
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग	267.35	196.36	(-)70.99	(-)26.55
श्रम एवं श्रम कल्याण	379.54	220.04	(-)159.50	(-)42.03
समाजिक कल्याण एवं पोषाहार	2,997.91	2,631.67	(-)366.24	(-)12.22
अन्य	28.23	21.62	(-)6.61	(-)23.42

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2016-17

विवरण	बजट प्राक्कलन 2016-17	वास्तविक	बढ़ना/घटना (-)	बढ़ना/घटना का प्रतिशत (-)
<b>आर्थिक सेवायें</b>	<b>17,549.71</b>	<b>14,176.21</b>	<b>(-)3,373.50</b>	<b>(-)19.22</b>
कृषि एवं समवर्गी सेवायें	8,897.98	6,768.72	(-)2,129.26	(-)23.93
ग्रामीण विकास	4,854.57	4,299.11	(-)555.46	(-)11.44
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	420.21	524.82	104.61	24.90
ऊर्जा	1,200.14	1,035.89	(-)164.25	(-)13.69
उद्योग एवं खनिज	796.06	758.32	(-)37.74	(-)4.74
यातायात	1,148.18	653.58	(-)494.60	(-)43.08
संचार	103.56	59.09	(-)44.47	(-)42.94
विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण	15.51	12.48	(-)3.03	(-)19.54
सामान्य आर्थिक सेवायें	113.5	64.2	(-)49.30	(-)43.44
<b>सहायता अनुदान एवं अंशदान</b>	<b>1,035.95</b>	<b>1,150.55</b>	<b>114.60</b>	<b>11.06</b>
<b>पूँजीगत व्यय जिसमें</b>	<b>13,004.47</b>	<b>9,470.51</b>	<b>(-)3,533.96</b>	<b>(-)27.18</b>
<b>सामान्य सेवायें</b>	<b>327.07</b>	<b>187.54</b>	<b>(-)139.53</b>	<b>(-)42.66</b>
<b>सामाजिक सेवायें</b>	<b>2,961.68</b>	<b>2,460.63</b>	<b>(-)501.05</b>	<b>(-)16.92</b>
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	715.68	516.95	(-)198.73	(-)27.77
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	419.92	325	(-)94.92	(-)22.60
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,296.83	1,097.02	(-)199.81	(-)15.41
सूचना तथा प्रसार	0.02	0.02	0.00	0.00
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	334.52	366.88	32.36	9.67
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	98.88	77.07	(-)21.81	(-)22.06
अन्य सामाजिक सेवाएं	95.83	77.68	(-)18.15	(-)18.94
<b>आर्थिक सेवाएं</b>	<b>9,715.72</b>	<b>6,822.35</b>	<b>(-)2,893.37</b>	<b>(-)29.78</b>
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	155.55	92.01	(-)63.54	(-)40.85
ग्रामीण विकास	843.66	366.7	(-)476.96	(-)56.54
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,340.93	1,888.13	(-)452.80	(-)19.34
ऊर्जा	511.34	907.46	396.12	77.47
उद्योग एवं खनिज	97.2	111.06	13.86	14.26
परिवहन	5,723.64	3,422.89	(-)2,300.75	(-)40.20
बहुउत्पन्नपदार्थपवद	5.00	7.18	2.18	43.60
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	4.9	0.3	(-)4.60	(-)93.88
सामान्य आर्थिक सेवाएं	33.5	26.61	(-)6.89	(-)20.57
<b>राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)</b>	<b>5,037.14</b>	<b>5,520.65</b>	<b>483.51</b>	<b>9.60</b>
<b>राजकोषीय घाटा (-)</b>	<b>8,111.32</b>	<b>4,047.28</b>	<b>(-)4,064.04</b>	<b>(-)50.10</b>
<b>प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)</b>	<b>5,539.34</b>	<b>1,360.44</b>	<b>(-)4,178.90</b>	<b>(-)75.44</b>



**परिशिष्ट – 1.5**  
(संदर्भ: कंडिका-1.1.4: पृष्ठ- 6)  
वर्ष 2016-17 के दौरान महिलाओं के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम	मूल बजट	सहायक बजट	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	सकल व्यय	बचत / आधिक्य
1	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	1.35	0.00	-0.61	0.74	0.75	0.01
2	परिचायको के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	10.99	0.00	-6.65	4.34	4.38	0.04
3	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण	7.67	0.00	-2.09	5.58	5.69	0.11
4	स्वास्थ्य मितानिन परियोजना	1.26	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00
5	मितानिन कल्याण निधि	41.57	50.00	0.00	91.57	91.57	0.00
6	शहरी निकायों को सायकल वितरण	0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00
7	शहरी क्षेत्रों में महिला शौचालय	5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	5.00
8	हाईस्कूल छात्राओं को निपुल्क सायकल प्रदाय	61.00	71.99	-25.10	107.89	106.17	-1.72
9	कन्या शिक्षा परिसर	11.16	0.00	-1.94	9.22	8.35	-0.88
10	कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना	5.50	2.90	-1.07	7.33	7.72	0.38
11	इंदिरा आवास योजना	600.00	0.00	-486.98	113.02	113.02	0.00
12	राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन	200.00	51.78	-15.89	235.89	235.89	0.00
13	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	48.57	0.00	0.00	48.57	50.41	1.84
14	नया गैस कनेक्शन के लिये महिलाओं को आर्थिक सहायता	0.05	0.00	0.00	0.05	0.01	-0.04
15	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	13.00	0.00	-0.20	12.80	36.15	23.35
16	ग्रामीण महिलाओं को भ्रमण एवं प्रदर्शनी निर्देश (दिशा दर्शन)	1.25	0.00	-0.10	1.15	1.15	0.00
17	महिलाओं एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान	0.15	0.00	-0.14	0.01	0.01	0.15
18	महिला जागृति शिविर	4.35	0.00	-0.29	4.06	4.09	4.35
19	किशोरी शक्ति योजना	1.45	0.00	-0.48	0.98	0.98	0.00
20	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	11.68	0.00	-7.73	3.94	3.94	11.68
21	क्षेत्रिय महिला प्रशिक्षण संस्थान	1.55	0.00	-0.58	0.97	0.99	0.02
22	सबला योजना	153.34	15.00	-7.28	161.06	161.06	0.00
23	महतारी जतन योजना	25.00	14.10	-16.23	22.87	22.86	25.00
24	सूखा पीड़ित परिवारों को कन्या विवाह अनुदान	8.00	0.00	-0.01	8.00	7.72	8.00
25	बुनियादी परिचायिका शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य / लोक स्वास्थ्य के बुनियादी पाठ्यक्रम	35.96	0.02	-16.66	19.33	19.21	-0.12
<b>योग</b>		<b>1,250.08</b>	<b>205.79</b>	<b>-595.26</b>	<b>860.61</b>	<b>883.38</b>	<b>22.77</b>

कुल बजट प्रावधान ₹ 1,455.87 करोड. = मूल बजट प्रावधान ₹ 1,250.08 करोड. + पूरक बजट प्रावधान ₹ 205.79 करोड.

परिशिष्ट – 1.6

(संदर्भ: कंडिका-1.3, 1.3.1 एवं 1.4: पृष्ठ- 9 एवं 13)  
राज्य सरकार के वित्तिय समय श्रृंखला डाटा विश्लेषण

(रिक्कोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
<b>भाग अ – प्राप्तियाँ</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>29,578(89)</b>	<b>32,050(85)</b>	<b>37,988(85)</b>	<b>46,068(86)</b>	<b>53,685(90)</b>
<b>(i)स्वयं कर राजस्व</b>	<b>13,034(44)</b>	<b>14,343(45)</b>	<b>15,707(41)</b>	<b>17,075 (37)</b>	<b>18,945(35.29)</b>
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
योजित कर प्रणाली/विक्रय पर कर, व्यापार आदि	6,929(53)	7,930(55)	8,429(54)	8,908(52)	9,927(52.40)
राज्य आबकारी	2,486(19)	2,549(18)	2,892(18)	3,338(20)	3,444(18.18)
वहनों पर कर	592(5)	651(4)	703(04)	829(05)	985(5.20)
टिकट एवं पंजीयन शुल्क	952(7)	990(7)	1,023(07)	1,185(07)	1,211(6.39)
भू-राजस्व	234(2)	226(2)	332(02)	364(02)	504(2.66)
वस्तु एवं यात्री कर	954(7)	945(7)	982(06)	1,040(06)	1,340(7.07)
अन्य कर	887(7)	1,052(7)	1,346(09)	1,411(08)	1,534(8.09)
<b>(ii)गैर कर राजस्व</b>	<b>4,616(16)</b>	<b>5,101(16)</b>	<b>4,930(13)</b>	<b>5,215(11)</b>	<b>5,669(10.56)</b>
<b>(iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश</b>	<b>7,218(24)</b>	<b>7,880(24)</b>	<b>8,363(22)</b>	<b>15,716(34)</b>	<b>18,809(35)</b>
<b>(iv)भारत सरकार द्वारा दिया गया सहायक प्राप्तियाँ</b>	<b>4,710(16)</b>	<b>4,726(15)</b>	<b>8,988(24)</b>	<b>8,062(18)</b>	<b>10,262(19)</b>
<b>2.विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>02</b>
<b>3.ऋण एवं अग्रिम की वसूली</b>	<b>1,542(5)</b>	<b>1,637(4)</b>	<b>195(0.44)</b>	<b>296(0.55)</b>	<b>173(0.29)</b>
<b>3(अ).अन्तर्राज्यीय समशोधन</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>0.38</b>
<b>4.कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>31,124</b>	<b>33,700</b>	<b>38,187</b>	<b>46,367</b>	<b>53,860</b>
<b>5.लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>2,058(6)</b>	<b>3,932(10)</b>	<b>6,440 (14)</b>	<b>7,251(14)</b>	<b>5,480(9)</b>
आंतरिक ऋण	2,041	3,917	6,431	7106	5,098
शुद्ध लेनदेन	—	—	—	—	—
भारत सरकार से लिया गया ऋण एवं अग्रिम	17	15	9	145	382
<b>6.संचित निधि की कुल प्राप्तियाँ</b>	<b>33,182</b>	<b>37,632</b>	<b>44,627</b>	<b>53,618</b>	<b>59,340</b>
<b>7.आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>8.लोक लेखे प्राप्तियाँ</b>	<b>39,579</b>	<b>45,868</b>	<b>51,322</b>	<b>55,059</b>	<b>62,694</b>
<b>9.राज्य की कुल प्राप्तियाँ</b>	<b>72,761</b>	<b>83,500</b>	<b>95,949</b>	<b>1,08,677</b>	<b>1,22,094</b>
<b>भाग ब – व्यय/वितरण</b>					
<b>10.राजस्व व्यय</b>	<b>26,972(80)</b>	<b>32,859(85)</b>	<b>39,561(85)</b>	<b>43,701(84)</b>	<b>48,165(83)</b>
योजना	12,440(46)	13,749(42)	20,990(53)	20,529(47)	24,253(50)
गैर योजना	14,532(54)	19,110(58)	18,571(47)	23,172(53)	23,912(50)
सामान्य सेवायें	6,649(25)	7,851(24)	9,041(23)	10,409(24)	11,496(24)
समाजिक सेवायें	11,456(42)	14,282(43)	15,389(39)	16,339(37)	21,342(44)
आर्थिक सेवायें	8,012(30)	9,756(30)	14,152(36)	16,053(37)	14,176(29)
<b>सहायक अनुदान एवं अशदान</b>	<b>854(03)</b>	<b>970(03)</b>	<b>979(02)</b>	<b>900(02)</b>	<b>1,151(02)</b>
<b>11.पूंजीगत व्यय</b>	<b>4,919(15)</b>	<b>4,574(12)</b>	<b>6,544(14)</b>	<b>7,945(15)</b>	<b>9,471(16)</b>
योजना	4,914(100)	4,575(100)	6,535(99.86)	7,943(99.97)	9,432(99.59)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गैर योजना	5	(-) 01	9(0.14)	2(0.03)	39(0.41)
सामान्य सेवायें	125(2)	182(4)	258(4)	362(05)	188(1.99)
सामान्य सेवायें	951(24)	692(15)	1,560(24)	1,807(23)	2,461(25.98)
आर्थिक सेवायें	3,843(74)	3,700(81)	4,727(72)	5,776(73)	6,822(72)
<b>12. ऋण एवं अग्रिम का वितरण</b>	<b>1,889(6)</b>	<b>1,319(3)</b>	<b>89(0.19)</b>	<b>165(0.32)</b>	<b>273(0.46)</b>
12(अ)राज्य अंतरीय समायोजन	-1	5	1	0.49	0.44
<b>13. योग (10+11+12+12(अ))</b>	<b>33,779</b>	<b>38,757</b>	<b>46,195</b>	<b>51,811</b>	<b>57,909</b>
<b>14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान</b>	<b>1,039(3)</b>	<b>690(2)</b>	<b>1,337(3)</b>	<b>1,250(02)</b>	<b>1,153(02)</b>
आंतरिक ऋण	870(84)	541(78)	1,180(88)	1,086(87)	983(85)
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	169(16)	149(22)	157(12)	164(13)	170(15)
<b>15. आकस्मिकता निधि में पुर्नविनियोजन</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>60</b>
<b>16. संचित निधि से कुल वितरण(13+14+15)</b>	<b>34,818</b>	<b>39,447</b>	<b>47,532</b>	<b>53,061</b>	<b>59,122</b>
<b>17. आकस्मिकता निधि से भुगतान</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>18. लोक लेखे से भुगतान</b>	<b>38,527</b>	<b>43,434</b>	<b>49,933</b>	<b>54,001</b>	<b>61,149</b>
<b>19. राज्य द्वारा किया गया कुल भुगतान(16+17+18)</b>	<b>73,345</b>	<b>82,881</b>	<b>97,465</b>	<b>1,07,062</b>	<b>1,20,271</b>
<b>भाग स - कमी</b>					
20. राजस्व कमी(-)(1-10)/आधिक्य (+)	2,606	(-) 809	(-)1,573	2,367	5,521
21. वित्तिय कमी (-) आधिक्य(+)(4-13)	(-) 2,655	(-) 5,057	(-)8,008	(-)4,574	(-)4,047
22. प्राथमिक कमी(-) प्राथमिक आधिक्य(+)(21+23)	(-) 1,502	(-) 3,706	(-)6,281	(-)2,425	(-)1,361
<b>भाग द - अन्य संख्यायें</b>					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय के साथ)	1,153	1,351	1,727	2,149	2,687
24. स्थानीय निकायें आदि को	7,044	7,651	10,573	9,678	12,771.36
25 वित्तिय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिक भुगतान का लाभ उठाया (दिनों में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. तरीके एवं माध्यम/अधिक भुगतान पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,77,511	2,06,690	2,34,982	2,60,776	2,90,140
28. वर्षान्त पर लंबित ऋण	19,268	24,904	30,981	37,741	43,431
29. वर्षान्त पर लंबित जमानत	2,695	3,358	2,314	1,988	3,983
30. वर्षान्त पर अधिकतम जमानत राशि	6,605	7,572	9,080	14,883	12,641
31. अधूरे परियोजना की संख्या	146	166	167	194	145
32. अधूरे परियोजना में अवरुद्ध पूंजी	3,110	4,198	4,824	5,912	5,937
<b>भाग इ - वित्तिय स्वास्थ्य सूचक</b>					
<b>1. संसाधनों का प्रचलन</b>					
स्वयं कर राजस्व/घरेलू	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
राज्य सकल उत्पाद	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
स्वयं गैर कर राजस्व/घरेलू	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06
<b>2. व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/घरेलू राज्य सकल उत्पाद	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.14	1.21	1.22	1.12	1.08
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.80	0.85	0.86	0.84	0.83
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.15	0.12	0.14	0.15	0.16
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.14	0.11	0.14	0.15	0.16
<b>3. राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन</b>					

7 वर्ष 2015-16 के आंकड़े वित्त लेखे में प्रारूप समायोजन एवं सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में बदलाव के कारण परिवर्तित हुए हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2016-17

राजस्व घाटा (आधिक्य) / स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0.01	0.00	(-)0.01	0.01	0.02
राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य (+) / स.रा.घ.उ. (अनुपात)	(-)0.01	(-)0.02	(-)0.03	(-)0.02	(-)0.01
प्रारंभिक घाटा/आधिक्य / स.रा.घ.उ.(अनुपात)	(-)0.01	(-)0.02	(-)0.03	(-)0.01	(-)0.00
राजस्व घाटा/आधिक्य / राजकोषीय घाटा (अनुपात)	(-)0.98	0.16	0.20	(-)0.52	(-)1.36
<b>4. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय देनदारियाँ / स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15
राजकोषीय देनदारियाँ / राजस्व प्राप्तीयों (अनुपात)	0.65	0.78	0.82	0.82	0.81
प्रमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा (अनुपात)	1.72	2.71	3.58	1.20	0.78
<b>5. अन्य राजकोषीय सूचक</b>					
निवेश पर प्रतिफल (वापसी)	0.11	0.76	0.05	0.09	0.01
चालू राजस्व से शेष (₹करोड़ में)	11,763	9,730	12,097	17,363	21,725
वित्तीय परिसंपत्तियाँ / देनदारियाँ (अनुपात)	1.66	1.48	1.36	1.47	1.53

नोट:- 1. वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान का आंकलन आधार वर्ष 2004-05 से 2011-12 में परिवर्तित कर तैयार किये गए हैं। इसलिए, अवधि 2012-13 से 2015-16 के दौरान पिछले प्रतिवेदनों में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष विभिन्न परिमाण के आकड़ें भी पुनरीक्षित हुए हैं।

## परिशिष्ट- 1.7

(संदर्भ: कंडिका-1.8.4.1: पृष्ठ 24)

दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना के ऋण और ब्याज के साथ किश्त की वसूली के विवरण

(₹ लाख में)

ऋण का उद्योग	वर्ष	राशि	वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)	वसूली योग राशि 31.03.2017		31.03.2017 तक की गई वसूली		31.03.2017 बकाया राशि		
				मुलधन	ब्याज	मुलधन	ब्याज	मुलधन	ब्याज	कुल
निर्माण	2005-06	500.00	8.00	125.00	75.00	0.00	0.00	125.00	75.00	200.00
	2007-08	750.00	10.25	187.50	144.14	0.00	0.00	187.50	144.14	331.64
	2008-09	932.50	10.25	233.13	179.21	0.00	0.00	233.13	179.21	412.34
	<b>योग</b>	<b>2,182.50</b>								
कार्यशील पूँजी	2010-11	911.36	10.50	911.36	47.38	911.36	22.19	0.00	25.19	25.19
	2011-12	1,250.00	10.50	1,250.00	145.42	1,250.00	100.00	0.00	45.42	45.42
	2012-13	2,000.00	10.50	2,000.00	138.01	2,000.00	132.56	0.00	5.45	5.45
	2013-14	900.00	10.50	900.00	128.27	900.00	0.00	0.00	128.27	128.27
	2014-15	900.00	9.50	900.00	133.75	200.00	0.00	700.00	133.75	833.75
	2015-16	900.00	9.50	900.00	75.90	0.00	0.00	900.00	75.90	975.90
	2016-17	1,000.00	9.50	-	-	-	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>7,861.36</b>								
<b>महायोग</b>		<b>10,043.86</b>		<b>7,406.99</b>	<b>1,067.08</b>	<b>5,261.36</b>	<b>254.75</b>	<b>2,145.63</b>	<b>812.33</b>	<b>2,957.96</b>

परिशिष्ट- 1.8  
(संदर्भ: कंडिका-1.8.5.1: पृष्ठ 25)  
रिजर्व बैंक में जमा कुल विसंगतियों का सारांश

(₹ में)

क्र. सं.	माह/वर्ष	31.03.2017 की स्थिति में				31.03.2017 की स्थिति में 31.12.2017 तक लंबित			
		डेबिट		क्रेडिट		डेबिट		क्रेडिट	
		मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
1	नवम्बर-11	0	0.00	1	3,925.00	0	0.00	1	3,925.00
2	मार्च-12	1	8,06,739.37	0	0.00	1	8,06,739.37	0	0.00
3	अप्रैल-12	1	78,105.20	0	0.00	1	78,105.20	0	0.00
4	मई-12	1	46,639.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	नवम्बर-13	1	3,63,563.00	0	0.00	1	3,63,563.00	0	0.00
6	जून-14	0	0.00	2	120.00	0	0.00	2	120.00
7	जनवरी-15	0	0.00	1	4,00,000.00	0	0.00	1	4,00,000.00
8	फरवरी-15	2	12,35,577.00	1	9,96,000.00	1	12,35,527.00	1	9,96,000.00
9	मार्च-15	1	13,06,770.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	अप्रैल-15	1	2,217.00	0	0.00	1	2,217.00	0	0.00
11	मई-15	1	31,098.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	अगस्त-15	1	15,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	सितम्बर-15	1	87,185.00	1	46,75,050.00	0	0.00	0	0.00
14	नवम्बर-15	0	0.00	1	3,310.00	0	0.00	0	0.00
15	दिसम्बर-15	1	30.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	फरवरी-16	3	59,91,978.00	1	10.00	2	59,91,958.00	1	10.00
17	मार्च-16	1	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	मई-16	2	1.40	3	4,59,465.00	2	1.40	1	4,59,454.00
19	जून-16	0	0.00	2	100.50	0	0.00	1	0.50
20	जुलाई-16	1	19,329.00	1	27,000.00	1	19,329.00	0	0.00
21	अगस्त-16	0	0.00	1	24.00	0	0.00	0	0.00
22	सितम्बर-16	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23	अक्टूबर-16	0	0.00	1	1.00	0	0.00	1	1.00
24	नवम्बर-16	0	0.00	1	21.00	0	0.00	0	0.00
25	दिसम्बर-16	0	0.00	3	3,25,028.00	0	0.00	1	5,651.00
26	जनवरी-17	12	241,48,70,921.00	24	20,17,39,316.00	1	1,11,856.00	0	0.00
27	फरवरी-17	10	74,37,535.00	24	2,66,20,85,984.00	1	7,53,874.00	1	10.00
28	मार्च-17	17	1,56,57,272.00	30	14,97,34,678.00	3	22,63,249.00	1	2,659.00
<b>योग</b>		<b>59</b>	<b>244,79,50,062.67</b>	<b>98</b>	<b>3,02,04,50,032.50</b>	<b>15</b>	<b>1,16,26,418.97</b>	<b>12</b>	<b>18,67,830.50</b>
<b>कुल योग</b>		<b>57,24,99,969.83</b>				<b>-98,05,226.17</b>			

महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) के रिकॉर्ड के अनुसार

## परिशिष्ट- 1.9

(संदर्भ: कंडिका- 1.9.6: पृष्ठ 29)

## अधोसंरचना विकास उपकर, अधोसंरचना विकास निधि एवं आरक्षित निधि में स्थानांतरण का वर्षवार संग्रह

(₹ लाख में)

वर्ष	अधोसंरचना विकास उपकर का संग्रह (मुख्य शीर्ष-0029-103-0063)	अधोसंरचना विकास निधि में अधोसंरचना उपकर का स्थानांतरण (मुख्य शीर्ष-2029-797-6754)	अधोसंरचना विकास निधि से किया गया व्यय (मुख्य शीर्ष-2029-103-8911)	आरक्षित निधि में अधोसंरचना निधि का स्थानांतरण (मुख्य शीर्ष-8229-200-0026)	अधोसंरचना विकास उपकर का अधोसंरचना विकास निधि में संक्षिप्त स्थानांतरण
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	950.00	0.00	0.00	0.00	-950.00
2007-08	2,400.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00
2008-09	1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
2009-10	1,700.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00
2010-11	5,467.37	0.00	0.00	0.00	-5,467.37
2011-12	5,877.08	0.00	0.00	0.00	-5,877.08
2012-13	6,332.24	0.00	0.00	0.00	-6,332.24
2013-14	7,272.62	10,735.95	200.00	10,735.95	3,463.33
2014-15	11,739.91	0.00	0.00	0.00	-11,739.91
2015-16	16,359.21	8,221.86	0.00	8,221.86	-8,137.35
2016-17	13,164.80	23,381.48	0.00	23,381.48	10,216.68
<b>योग</b>	<b>72,763.23</b>	<b>42,339.29</b>	<b>200.00</b>	<b>42,339.29</b>	<b>-30,423.94</b>

(स्रोत: भू-राजस्व विभाग)

## परिशिष्ट- 1.10

(संदर्भ: कंडिका- 1.9.6: पृष्ठ 29)

## अधोसंरचना विकास निधि की गैर उपयोगिता

(₹ लाख में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	योजना शीर्ष	बजट प्रावधान	अधोसंरचना विकास निधि से किया गया वास्तविक व्यय	अधोसंरचना विकास निधि में उपलब्ध राशि	अधोसंरचना विकास निधि में अप्रयुक्त राशि
2005-06 एवं 2012-13	2029	103	8911	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	2029	103	8911	4,500.00	0.00	10,735.95	10,735.95
2014-15	2029	103	8911	5,500.00	200.00	0.00	-200.00
2015-16	2029	103	8911	5,520.00	0.00	8,221.86	8,221.86
2016-17	2029	103	8911	5,520.00	0.00	23,381.48	23,381.48
<b>योग</b>				<b>21,040.00</b>	<b>200.00</b>	<b>42,339.29</b>	<b>42,139.29</b>

(स्रोत: भू-राजस्व विभाग)

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: कंडिका-2.2.1, पृष्ठ 32)

अनुदानों/विनियोगों के अतर्गत अतिरेक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग संस्थाएं	अतिरेक
2000-01	11 अनुदान	2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 एवं 83	10.21
	2 विनियोग	6 एवं 24	
2001-02	14 अनुदान	6, 14, 15, 17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 एवं 83	115.90
	2 विनियोग	16 एवं 25	
2002-03	8 अनुदान	10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 एवं 82	114.59
	2 विनियोग	20 एवं 67	
2003-04	4 अनुदान	12, 33, 40 एवं 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज भुगतान एवं 6	
2004-05	4 अनुदान	15, 24, 67 एवं 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज भुगतान, लोक ऋण, 6, 10 एवं 42	
2005-06	4 अनुदान	4, 15, 24 एवं 39	23.27
	2 विनियोग	6 एवं 23	
2006-07	4 अनुदान	4, 24, 67 एवं 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007-08	3 अनुदान	23, 33 एवं 60	15.99
	3 विनियोग	13, 24 एवं 36	
2008-09	9 अनुदान	6, 23, 24, 40, 67, 75, 76, 80 एवं 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009-10	10 अनुदान	3, 6, 22, 23, 24, 25, 49, 64, 76 एवं 80	216.77
	5 विनियोग	3, 12, 13, 43 एवं 67	
2010-11	22 अनुदान	1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 23, 25, 29, 30, 39, 40, 45, 49, 56, 57, 58, 75 82 एवं ब्याज भुगतान	293.78
	6 विनियोग	लोक ऋण, 1, 20, 23, 29 एवं 36	
2011-12	24 अनुदान	1, 2, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 34, 40, 43, 45, 47, 50, 53, 55, 66, 80, 81 एवं 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012-13	2 अनुदान	40 एवं 45	0.96
	2 विनियोग	6 एवं 55	
2013-14	3 अनुदान	06, 12 एवं 60	178.96
	3 विनियोग	06, 14 एवं 27	
2014-15	4 अनुदान	06,19,33 एवं 80	833.54
	2 विनियोग	06 एवं लोक ऋण	
2015-16	3 अनुदान	6, 12 और 50	98.24
	2 विनियोग	41 एवं ब्याज भुगतान	
<b>योग</b>			<b>3,245.17</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2000-01 से 2015-16)



**परिशिष्ट 2.2**  
(संदर्भ: कंडिका-2.2.3, पृष्ठ 35)  
**योजनायें जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक अतिरेक व्यय हुए**

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	मांग संख्या	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	अतिरेक
1	2	3	4	5	6
1	प्रभार-1	2049-01-101-7804-8.53 छ.ग. राज्य विकास ऋण 2026	0.00	59.71	59.71
2		2049701-101-7805-8.08 छ.ग. राज्य विकास ऋण 2026	0.00	36.36	36.36
3		2049-01-123-4854-केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर ब्याज	540.00	614.82	74.82
4		2049-03-104-403-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	4.00	48.47	44.47
5		2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	280.00	319.73	39.73
6	प्रभार-2	6003-111-5670-केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	270.00	420.53	150.53
7	8	2711-01-103-8910-पर्यावरण निधि से व्यय	2.40	12.90	10.50
8	12	4810-102-0410-7693-सौर पम्पों हेतु सहायक अनुदान	15.00	65.79	50.79
9	13	2401-110-0101-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	14.79	40.52	25.73
10		2401-110-0101-8792-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	103.10	134.85	31.75
11	19	2210-03-198-0101-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	24.06	47.01	22.95
12	20	4215-01-102-0311-7858-सौर उर्जा ग्रामीण पेयजल वितरण	0.00	30.76	30.76
13	21	4217-01-051-0101-7416-तेरहवां वित्त आयोग अनुदान	43.16	70.31	27.15
14	24	5054-05-337-0101-7818-अभियांत्रिकी खरीद निर्माण	0.00	100.00	100.00
15	27	2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए)	89.88	103.47	13.59
16	30	2215-02-107-0701-7610-स्वच्छ भारत अभियान	430.84	571.99	141.15
17	41	2210-0-7796-198-0102-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	24.54	44.54	20.00
18		2215-02-796-107-0702-7610-स्वच्छ भारत अभियान	159.14	233.84	74.70
19		2401-796-110-0102-7797-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	11.25	30.99	19.74
20		2401-796-110-0102-8792-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	76.00	105.85	29.85
21		4702-796-101-0102-3828-लघु सिंचाई योजना	225.00	281.49	56.49
22		4810-796-102-0410-7693-सौर पम्पों हेतु सहायता अनुदान	14.00	40.00	26.00
23		42	5054-05-796-337-0102-7818-अभियांत्रिकी खरीद निर्माण	0.00	15.00
24	58	2245-01-101-7710-फसल क्षति हेतु सहायता	1.00	35.54	34.54
25	58	2245-80-800-7408-राज्य आपदा प्रबंधन के अंतर्गत दक्षता विकास	0.00	26.27	26.27
26	64	2202-02-789-106-0103-5904-पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय	10.70	25.49	14.79
27		2215-02-789-107-0703-7610-स्वच्छ भारत अभियान	110.02	163.27	53.25
28		4700-02-789-800-0103-2898-बांध एवं संलग्न कार्य	30.00	40.08	10.08
29		4810-789-102-0410-7693-सौर पम्पों हेतु सहायता अनुदान	4.00	22.00	18.00
30		5054-05-789-337-0103-7818-अभियांत्रिकी खरीद निर्माण	0.00	10.00	10.00
31		79	4210-03-105-0701-8939-चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव	45.00	58.03
32	81	3604-191-4035-शुल्क, दंड एवं अन्य प्राप्तियों में आय की हानि को शासन में जमा करने हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	10.00	49.38	39.38
33		3604-193-8018-प्रवेश शुल्क के समतुल्य नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	160.73	180.73	20.00
<b>योग</b>			<b>2,702.61</b>	<b>4,044.72</b>	<b>1,347.11</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: कांडिका-2.2.4, पृष्ठ 35)

कुल प्रावधान से प्रत्येक प्रावधान में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	योजना का नाम	कुल प्रावधान	बचत	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
<b>अ-राजस्व दत्तमत</b>					
1	4	गृह विभाग (अन्य व्यय)	32.35	16.63	51.41
2	6	वित्त विभाग	5,309.27	1,743.99	32.85
3	10	वन	974.85	228.09	23.40
4	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	199.71	50.43	25.25
5	12	ऊर्जा विभाग	794.24	292.56	36.84
6	14	पशुपालन विभाग	419.34	113.26	27.01
7	15	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	152.46	44.74	29.35
8	18	श्रम	131.86	51.93	39.38
9	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	359.43	83.39	23.20
10	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	177.07	88.78	50.14
11	23	जल संसाधन विभाग	528.62	115.43	21.84
12	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	931.68	354.80	38.08
13	27	स्कूल शिक्षा	4,537.28	997.73	21.99
14	28	राज्य विधानमंडल	56.90	22.41	39.38
15	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	316.16	102.42	32.39
16	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग	53.99	31.48	58.31
17	34	समाज कल्याण	78.70	21.82	27.73
18	36	परिवहन	62.46	27.51	44.04
19	37	पर्यटन	40.23	17.38	43.20
20	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,111.35	456.75	21.63
21	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	10,222.29	2,807.58	27.47
22	43	खेल और युवक कल्याण	95.59	73.95	77.36
23	44	उच्च शिक्षा	662.63	222.87	33.63
24	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	514.88	175.41	34.07
25	49	अनुसूचित जाति कल्याण	40.25	12.07	29.99
26	53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	33.35	19.19	57.54
27	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	132.77	36.95	27.83
28	55	महिला एवं बाल कल्याण	964.32	318.72	33.05
29	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	3,506.69	794.37	22.65
30	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	663.36	236.80	35.70
31	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	1146.83	417.45	36.40
32	71	इलेक्ट्रनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	107.06	48.85	45.63
33	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	548.23	145.59	26.56
34	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,902.68	418.14	21.98
<b>योग - अ</b>			<b>37,808.88</b>	<b>10,589.47</b>	<b>28.01</b>
<b>ब- पूंजीगत दत्तमत</b>					
35	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	83.04	80.18	96.56
36	10	वन	24.58	21.65	88.08
37	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	135.42	27.67	20.43

1	2	3	4	5	6
38	12	ऊर्जा विभाग	811.04	339.31	41.84
39	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	74.4	47.06	63.25
40	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	41.28	13.68	33.14
41	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	657.21	178.88	27.22
42	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	1,720.67	804.95	46.78
43	27	स्कूल शिक्षा	229.05	70.65	30.84
44	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	40.51	39.82	98.3
45	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	707.99	158.31	22.36
46	36	परिवहन	33.25	33.25	100
47	37	पर्यटन	48.49	21.88	45.12
48	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	40.04	17.99	44.93
49	40	आयाकट विभाग	28.5	10.91	38.28
50	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	2,789.62	575.76	20.64
51	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1,156.23	574.36	49.68
52	44	उच्च शिक्षा	18.28	12.26	67.07
53	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	100.82	67.82	67.27
54	53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	34.19	20.00	58.50
55	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	14.50	13.50	93.10
56	55	महिला एवं बाल कल्याण	62.52	13.85	22.15
57	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	1,324.58	492.52	37.18
58	65	विमानन विभाग	46.00	35.17	76.46
59	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	19.93	14.52	72.85
60	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	643.71	251.27	39.03
61	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1100	393.95	35.81
62	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	371.92	230	61.84
63	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	397.47	109.37	27.52
64	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	235.60	184.08	78.13
<b>योग - ब</b>			<b>12,990.84</b>	<b>4,854.62</b>	<b>37.37</b>
<b>स- राजस्व भारत</b>					
65	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	53.36	15 <sup>२</sup> 26	28 <sup>२</sup> 60
66	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	69.00	39 <sup>३</sup> 38	57 <sup>०</sup> 7
<b>योग - स</b>			<b>122.36</b>	<b>54.64</b>	<b>44.66</b>
<b>द- पूंजीगत भारत</b>					
67	प्रभार-1	लोक ऋण	1,946.33	793.7	40.78
<b>योग - द</b>			<b>1,946.33</b>	<b>793.70</b>	<b>40.78</b>
<b>कुल योग (अ+ब+स+द)</b>			<b>5,९868.41</b>	<b>16,292.43</b>	<b>30.82</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: कंडिका-2.2.4, पृष्ठ 35)

वर्ष के दौरान ₹20 करोड़ तथा उससे अधिक के विशेष बचत का अनुदान-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
<b>अ-राजस्व दत्तमत</b>						
1	3	पुलिस	3,321.91	2,733.91	588.00	17.70
2	6	वित्त विभाग	5,309.27	3,565.28	1,743.99	32.85
3	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,005.11	809.46	195.65	19.47
4	10	वन	974.85	746.76	228.09	23.40
5	12	ऊर्जा विभाग	794.24	501.68	292.56	36.83
6	13	कृषि	1,266.78	1,072.30	194.48	15.35
7	14	पशुपालन विभाग	419.34	306.09	113.26	27.01
8	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,707.24	1,418.87	288.37	16.89
9	23	जल संसाधन विभाग	528.62	413.19	115.43	21.84
10	24	लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	931.68	576.88	354.80	38.08
11	27	स्कूल शिक्षा	4,537.28	3,539.55	997.73	21.99
12	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	316.16	213.74	102.42	32.39
13	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3,412.73	2,743.57	669.16	19.61
14	33	आदिम जाति कल्याण	1,960.04	1,586.39	373.65	19.06
15	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,111.35	1,654.60	456.75	21.63
16	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	10,222.29	7,414.71	2,807.58	27.47
17	44	उच्च शिक्षा	662.63	439.76	222.87	33.63
18	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	514.88	339.47	175.41	34.07
19	55	महिला एवं बाल कल्याण	964.32	645.59	318.72	33.05
20	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	3,506.69	2,712.31	794.37	22.65
21	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	663.36	426.57	236.80	35.70
22	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	1,146.83	729.38	417.45	36.40
23	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	548.23	402.64	145.59	26.56
24	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,902.68	1,484.54	418.14	21.98
<b>योग</b>			<b>48,728.50</b>	<b>36,477.23</b>	<b>12,251.27</b>	<b>25.14</b>
<b>ब- पूंजीगत दत्तमत</b>						
25	12	ऊर्जा विभाग	811.04	471.74	339.31	41.84
26	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	657.21	478.33	178.88	27.22
27	24	लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	1,720.67	915.71	804.95	46.78
28	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	707.99	549.68	158.31	22.36
29	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	2,789.62	2,213.86	575.76	20.64
30	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1,156.23	581.87	574.36	49.68
31	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	1,324.58	832.06	492.52	37.18
32	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	643.71	392.44	251.27	39.03
33	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1,100.00	706.05	393.95	35.81
34	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	371.92	141.92	230.00	61.84
35	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	397.47	288.10	109.37	27.52
36	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	235.60	51.52	184.08	78.13
<b>योग-ब</b>			<b>11,916.04</b>	<b>7,623.29</b>	<b>4,292.76</b>	<b>36.03</b>
<b>स- राजस्व भारित</b>						
37	प्रभार-2	लोक ऋण	1,946.33	1,152.63	793.70	40.78
<b>योग- स</b>			<b>1,946.33</b>	<b>1,152.63</b>	<b>793.70</b>	<b>40.78</b>
<b>कुल योग (अ+ब+स)</b>			<b>62,590.87</b>	<b>45,253.15</b>	<b>17,337.73</b>	<b>27.70</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

## परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: कंडिका-2.2.4, पृष्ठ 35)

वर्ष के दौरान योजना-वार ₹ 20 करोड़ तथा उससे अधिक के विशेष बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	मांग संख्या	योजना का नाम	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कुल बचत
1	3	2055-003-0195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय	55.22	35.12	20.10
2		2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1,049.38	854.67	194.71
3		2055-104-0701-7307-विशेष अधोसंरचना विकास योजनाएँ	25.00	0.00	25.00
4		2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1,659.66	1427.30	232.36
5		2055-800-7506-नक्सल क्षेत्र में नविन थाना चौकी निर्माण एवं सुदृढीकरण	22.39	0.00	22.39
6	6	2071-01-101-2413-निवृत्ति वेतन भोगियों को देय	3,450.00	1,895.96	1,554.04
7		2071-01-104-4590-सेवा एवं मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति अनुदान	500.00	399.42	100.58
8	7	2039-800-4034-विभागीय मदिरा दुकानों का संचालन	60.21	35.09	25.12
9	10	2406-01-101-3877-क्षेत्रीय वन मण्डल	378.30	305.05	73.25
10		2406-01-203-535-ईमारती लकड़ी	93.83	54.38	39.45
11		2406-04-101-0701-7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	50.22	25.23	24.99
12	21	4217-01-051-0101-5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण	147.47	127.47	20.00
13	29	4059-01-051-0101-2450-न्याय प्रशासन	22.51	0.69	21.82
14	39	2408-01-102-3248-राज्य सहकारी विपणन संघ की खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	481.60	461.60	20.00
15		2408-01-102-0701-7801-मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना	27.00	0.00	27.00
16		2408-01-102-0101-6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	1,162.00	774.45	387.55
17	41	2408-01-796-102-0102-6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	1,703.00	1,018.27	684.73
18		2408-01-796-102-0102-7436-अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चना का प्रदाय मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	270.00	167.50	102.50
19	64	2408-01-789-102-0103-6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	459.00	309.78	149.22
20	67	2059-80-001-2418-निष्पादन	224.54	173.34	51.20
21		2059-80-001-0101-2418-निष्पादन	107.99	78.54	29.45
22	79	2210-04-101-460-आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय	92.28	69.61	22.67
23	81	3604-191-4035-विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थ दण्ड तथा अन्य प्राप्तियां	20.00	7.52	39.38
24	82	2202-01-796-196-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	152.86	105.92	46.94
25		2202-02-796-197-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	395.80	315.27	80.53
<b>योग</b>			<b>12,637.16</b>	<b>8,642.18</b>	<b>3,994.98</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: कंडिका-2.2.5, पृष्ठ 36)

अनुदानों के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान सत्त बचत की सूची

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत राशि (₹ करोड़ में)				
			अनुदान से प्रतिशत (तिरछे अक्षरों में)				
			2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>राजस्व दत्तमत</b>							
			24.12	27.98	25.96	17.30	30.68
1	1	सामान्य प्रशासन	21.59	21.89	15.69	11.22	17.61
2	3	पुलिस	108.34	133.44	84.74	113.20	588.00
			6.08	6.07	3.56	4.29	17.70
3	7	वाणिज्यिक कर विभाग	37.51	14.57	21.81	42.77	69.96
			20.93	9.07	11.64	17.04	19.49
4	8	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	158.61	126.00	176.70	113.08	195.65
			38.05	22.20	32.46	16.89	19.47
5	10	वन	73.41	73.09	57.65	105.70	228.09
			10.93	9.98	7.34	11.62	23.40
6	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	13.98	26.12	15.69	21.16	50.43
			15.81	23.53	14.31	13.76	25.25
7	13	कृषि	57.42	173.70	204.27	265.22	194.48
			8.54	23.94	10.40	25.98	15.35
8	14	पशुपालन विभाग	26.36	70.54	61.21	51.25	113.26
			7.51	23.99	19.16	14.60	27.01
9	15	अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	23.30	26.43	112.34	75.36	44.74
			17.19	11.36	32.63	55.67	29.35
10	17	सहकारिता	49.40	31.85	36.99	44.82	41.23
			25.91	18.62	32.19	31.27	18.08
11	18	श्रम	25.87	33.64	60.55	43.61	51.93
			36.75	34.28	52.68	37.06	39.38
12	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	89.83	89.30	241.13	189.76	288.37
			13.36	11.14	19.47	14.44	16.89
13	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	30.78	54.68	90.03	50.24	83.39
			10.26	16.89	19.21	12.80	23.20
14	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	58.64	43.07	44.96	114.49	88.78
			68.75	44.71	40.09	73.25	50.14
15	24	लोक निर्माण - सड़कें और पुल	21.23	128.26	222.76	314.73	354.80
			3.20	11.88	29.78	29.46	38.08
16	27	स्कूल शिक्षा	592.94	720.41	574.58	957.45	997.73
			22.36	24.88	18.38	24.41	21.99
17	28	राज्य विधान मंडल	12.87	11.63	10.72	16.85	22.41
			41.37	34.03	27.19	34.88	39.38
18	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	40.60	70.29	86.34	62.26	102.42
			24.32	26.35	28.74	22.71	32.39
19	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	65.21	211.47	748.51	1133.54	669.16
			13.19	27.17	33.30	46.97	19.61
20	36	परिवहन	15.18	16.90	17.13	24.90	27.51
			38.77	38.52	36.58	43.18	44.04

1	2	3	4	5	6	7	8
21	39	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	10.77	215.60	665.56	1615.27	456.75
			1.05	6.04	30.60	30.31	21.63
22	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	629.07	1,072.97	2,393.70	3,146.19	2,807.58
			17.03	22.82	28.82	32.93	27.47
23	43	खेल और युवक कल्याण	32.96	40.50	43.23	73.79	73.95
			32.35	67.48	74.27	65.67	77.36
24	44	उच्च शिक्षा	146.54	140.49	186.97	132.05	222.87
			33.72	26.48	32.90	22.20	33.63
25	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	64.46	60.76	108.35	335.89	175.41
			38.87	32.47	37.88	56.73	34.07
26	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	10.50	24.61	13.50	26.47	36.95
			12.88	24.13	14.06	22.92	27.83
27	55	महिला एवं बाल विकास	156.44	115.87	229.20	286.11	318.72
			21.16	17.78	28.01	31.51	33.05
28	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत	137.61	204.78	116.51	1,853.80	81.94
			34.64	33.97	26.84	57.25	9.25
29	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	284.43	398.96	932.09	1,148.10	794.37
			23.49	26.98	30.94	34.79	22.65
30	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	19.39	14.57	48.05	60.12	42.22
			17.41	8.62	23.50	27.73	14.22
31	67	लोक निर्माण कार्य – भवन	25.91	16.19	71.96	126.10	236.80
			8.03	4.37	16.08	25.02	35.70
32	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग – नगरीय कल्याण	228.93	347.11	454.03	345.55	417.45
			72.20	64.06	70.09	71.31	36.40
33	71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	19.45	11.99	77.29	26.42	48.85
			29.23	20.67	53.05	19.78	45.63
34	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	56.11	8463	68.11	6600	145.59
			21.69	25.94	18.85	16.96	26.56
35	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	337.74	487.28	521.08	402.43	270.46
			12.52	16.08	14.00	11.50	7.06
36	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	106.88	87.43	257.01	301.30	615.88
			7.49	5.72	17.38	19.75	34.07
37	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	151.32	314.77	364.17	257.04	418.14
			11.24	19.24	16.95	18.41	21.98
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>							
38	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	17.59	44.72	20.42	72.94	43.40
			37.19	87.43	34.90	39.84	18.29
39	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	178.59	229.56	209.40	616.45	178.88
			48.99	81.17	60.34	66.96	27.22
40	24	लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल	73.63	16.37	78.01	678.76	804.95
			8.71	2.19	7.17	45.43	46.78
41	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	401.46	20.62	203.50	317.72	158.31
			79.81	5.28	26.65	32.04	22.36
42	37	पर्यटन	20.00	26.20	11.50	16.00	21.88
			71.43	85.62	63.89	100.00	45.12

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8
43	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	76.50	48.33	46.31	15.56	17.99
			<i>11.95</i>	<i>7.58</i>	<i>82.11</i>	<i>29.04</i>	<i>44.93</i>
44	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	734.34	626.73	808.73	686.97	575.76
			<i>37.91</i>	<i>31.01</i>	<i>41.50</i>	<i>29.19</i>	<i>20.64</i>
45	42	जनजाति क्षेत्र उप योजना – सड़कें और पुल	234.80	185.03	81.59	372.00	574.36
			<i>51.05</i>	<i>40.78</i>	<i>19.48</i>	<i>47.59</i>	<i>49.68</i>
46	45	लघु सिंचाई कार्य	102.59	125.02	95.39	96.52	94.59
			<i>17.03</i>	<i>19.84</i>	<i>21.14</i>	<i>19.83</i>	<i>18.50</i>
47	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	21.72	37.21	36.47	61.28	67.82
			<i>86.95</i>	<i>89.66</i>	<i>53.16</i>	<i>64.54</i>	<i>67.27</i>
48	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	314.76	296.27	218.11	470.44	492.52
			<i>29.02</i>	<i>30.63</i>	<i>25.37</i>	<i>40.62</i>	<i>37.18</i>
49	67	लोक निर्माण कार्य – भवन	149.14	124.31	56.81	125.66	251.27
			<i>42.88</i>	<i>31.30</i>	<i>15.21</i>	<i>20.65</i>	<i>39.03</i>
50	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – भवन	74.24	67.02	46.83	20.87	36.35
			<i>40.71</i>	<i>36.29</i>	<i>20.21</i>	<i>10.15</i>	<i>15.17</i>
51	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	21.91	27.81	10.15	86.20	27.14
			<i>65.89</i>	<i>76.82</i>	<i>24.76</i>	<i>61.88</i>	<i>19.68</i>
<b>राजस्व भारत</b>							
52	29	न्याय प्रशासन एव निर्वाचन	12.49	12.03	13.02	11.82	15.26
			<i>37.33</i>	<i>32.42</i>	<i>31.51</i>	<i>24.66</i>	<i>28.60</i>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2012-13 से 2016-17)



## परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: कंडिका-2.2.6, पृष्ठ 36)

योजनाएँ जिनमें ₹ 10 करोड़ तथा उससे अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	कुल प्रावधान	अप्रयुक्त प्रावधान
1	2	3	4	5
1	8	3054-04-337-8911-अधोसंरचना निधि से व्यय	11.00	11.00
2		4059-01-051-6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन	12.00	12.00
3		4059-80-052-0101-7787-ई-धरती	22.66	22.66
4		4515-196-0510-8911-अधोसंरचना निधि से व्यय	43.20	43.20
5	10	4406-01-101-0701-5538-एकीकृत वन सुरक्षा योजना	18.00	18.00
6	11	2852-80-102-0101-7785-पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता	15.00	15.00
7		2852-80-102-0101-8890-खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान	14.00	14.00
8		4851-101-0101-5586-निर्यात अधोसंरचना विकास के लिए सहायता	10.00	10.00
9	12	2801-80-101-0101-7758-उदय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान	217.53	217.53
10		4801-06-190-0701-7655-एकीकृत विद्युत विकास योजना	15.00	15.00
11		6801-190-0101-7498- विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कंपनी- पूँजीगत व्यय	300.00	300.00
12	14	2403-101-0101-7403-कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय	21.58	21.58
13	21	2216-02-190-0101-7444-विकास नगर योजना	35.00	35.00
14		5054-03-337-0101-1826- डामरीकरण	14.00	14.00
15		5054-05-337-0101-7733-वार्षिकी के अंतर्गत सड़क निर्माण	100.00	100.00
16	25	6853-01-190-0420-7796- छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम संबंधी क्रियाकलाप	50.09	50.09
17	27	2202-01-053-9005-इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	105.00	105.00
18		4202-01-202-0701-7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	58.34	58.34
19	30	4515-102-0801-7645-ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन ईकाई	20.00	20.00
20		5054-04-101-0101-4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्गों पर पुलों का निर्माण	18.00	18.00
21	31	3454-02-111-0701-7413-राज्य सांख्यिकी योजना का सुदृढीकरण	14.27	14.27
22	36	5055-050-0801-7750- ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	14.40	14.40
23	41	2202-03-796-001-0702-8971- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना	39.96	39.96
24		2235-02-796-102-0702-7423-इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	30.00	30.00
25		2801-80-796-101-0102-7758- उदय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को अनुदान	165.32	165.32
26		4202-01-796-202-0702-8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना	12.00	12.00
27		4210-01-796-110-0702-8940- चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय, सरगुजा	29.50	29.50
28		4702-796-101-0702-684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	15.00	15.00
29		5054-04-796-101-0102-4871- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्गों पर पुलों का निर्माण	18.00	18.00
30		5054-04-796-337-0102-4855- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00	30.00

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5
31	42	5054-05-796-337-0102-7733- वार्षिकी के अंतर्गत सड़क निर्माण	15.00	15.00
32	43	2204-103-0101-8923-मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना	10.00	10.00
33		2204-104-0701-7641-राजीव गांधी खेल अभियान	15.00	15.00
34		2204-104-0101-7473- 37 <sup>वाँ</sup> राष्ट्रीय खेल	41.00	41.00
35	44	4202-01-203- 0101-7751- स्वामी विविकानंद ज्ञानदीप योजना	10.00	10.00
36	45	4702-101-0701-7684- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	15.00	15.00
37	47	2203-001-0701-8971- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	13.00	13.00
38		2230-03-003-0801-7438- राज्य कौशल विकास अभियान	34.00	34.00
39	53	4217-60-789-191-1103-7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	20.00	20.00
40	55	2235-02-102-0701-7423-इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	30.00	30.00
41		2235-02-103-0101-8957-नोनी सुरक्षा योजना	30.00	30.00
42	58	2245-01-800-1467-जिला एवं अन्य सड़कें	20.00	20.00
43		2245-01-800-1467-जिला एवं अन्य सड़कें	11.00	11.00
44		2245-02-101-747-ओला पीड़ितों को राहत	10.00	10.00
45	64	2202-03-789-001-0703-8971-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	13.32	13.32
46		2235-02-789-102-0703-7423-इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	10.00	10.00
47		2801-80-789-101-0103-7758-“उदय” योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान	52.21	52.21
48		4801-06-789-190-0703-7655-एकीकृत विद्युत विकास योजना	11.00	11.00
49		5054-05-789-337-0103-7733-वार्षिकी के अंतर्गत सड़क निर्माण	10.00	10.00
50	67	4210-03-105-0101-2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	10.15	10.15
51	79	2210-01-110-0701-7637-राज्य कैंसर संस्थान	10.00	10.00
<b>योग</b>			<b>1,859.53</b>	<b>1,859.53</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

## परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7 (अ), पृष्ठ 36)

प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान,  
जो अनुदान के अंतर्गत अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	वास्तविक प्रावधान	वास्तविक व्यय	वास्तविक प्रावधान के साथ बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7
<b>अ-राजस्व दत्तमद</b>						
1	1	सामान्य प्रशासन	158.10	143.59	14.51	16.18
2	3	पुलिस	3,290.12	2,731.14	558.98	31.79
3	6	वित्त विभाग	5,301.27	3,565.29	1,735.98	7.99
4	10	वन	950.66	730.68	219.98	1.32
5	11	वाणिज्य एवं उद्योग	197.58	149.27	48.31	2.12
6	12	उर्जा विभाग	649.24	501.68	147.56	145.00
7	13	कृषि	1,217.45	1072.28	145.17	49.35
8	14	पशुपालन विभाग	416.59	306.10	110.49	2.76
9	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	115.05	107.71	7.34	37.42
10	16	मत्स्य	51.95	47.44	4.51	2.71
11	17	सहकारिता	191.07	186.84	4.23	37.00
12	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,642.75	1,418.83	223.92	64.50
13	26	संस्कृति विभाग	36.06	33.58	2.48	3.50
14	27	स्कूल शिक्षा	4,307.78	3,539.56	768.22	229.51
15	28	राज्य विधान मंडल	53.56	34.49	19.07	3.36
16	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	311.73	191.34	120.39	4.42
17	33	आदिवासी कल्याण	1,953.70	1,586.39	367.31	6.35
18	37	पर्यटन	33.85	22.86	10.99	6.38
19	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2,070.90	1,654.59	416.31	40.45
20	41	जनजाति क्षेत्र उप योजना	9,247.92	7,409.94	1,837.98	969.12
21	44	उच्च शिक्षा	654.88	439.76	215.12	7.75
22	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	464.96	339.47	125.49	49.95
23	53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	26.87	14.16	12.71	6.48
24	55	महिला एवं बाल कल्याण	943.78	645.60	298.18	20.55
25	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	3,053.89	2,710.72	343.17	451.06
26	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	275.61	254.61	21.00	21.22
27	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग – नगरीय कल्याण	819.84	729.37	90.47	327.00
28	71	सूचना तकनीकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	101.06	58.21	42.85	6.00
29	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,581.03	1,484.55	96.48	321.65
30	83	अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	41.71	37.66	4.05	5.37
<b>योग-अ</b>			<b>40,160.96</b>	<b>32,147.71</b>	<b>8,013.25</b>	<b>2,878.26</b>

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7
<b>ब- पूंजीगत दत्तमत</b>						
31	3	पुलिस	28.78	28.72	0.06	7.12
32	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	544.05	443.33	100.72	43.16
33	24	लोक निर्माण कार्य - सडकें और पुल	1,692.67	915.71	776.96	28.00
34	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	703.41	549.67	153.74	4.58
35	37	पर्यटन	33.50	26.62	6.88	14.99
36	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	97.77	33.01	64.76	3.06
37	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	12,490.04	832.06	11,657.98	67.75
38	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	498.71	392.47	106.24	24.66
39	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	362.00	141.92	220.08	9.92
40	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	220.97	215.60	5.37	100.00
<b>योग-ब</b>			<b>16,671.90</b>	<b>3,579.11</b>	<b>13,092.79</b>	<b>303.24</b>
<b>योग-(अ+ब)</b>			<b>56,832.86</b>	<b>35,726.82</b>	<b>21,106.04</b>	<b>3,181.50</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

**परिशिष्ट 2.9**

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7(ब), पृष्ठ 36)

**अनुदानों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	मुल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	वचत
<b>अ-राजस्व दत्तमत</b>							
1	7	वाणिज्यिक कर विभाग	275.47	83.43	358.90	288.94	69.96
2	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	798.34	206.79	1005.13	809.45	195.68
3	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	2,569.61	843.11	3,412.72	2,743.57	669.15
4	32	जनसंपर्क विभाग	113.49	35.29	148.78	141.64	7.14
5	80	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3,517.00	315.33	3,832.33	3,505.47	326.86
6	81	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थओं को वित्तीय सहायता	1,591.03	216.57	1,807.60	1,745.98	61.62
<b>योग-अ</b>			<b>9,115.38</b>	<b>1,988.90</b>	<b>11,104.28</b>	<b>9,824.28</b>	<b>1,280.00</b>
<b>ब- पूंजीगत दत्तमत</b>							
7	12	ऊर्जा विभाग	739.11	71.93	811.04	471.74	339.30
8	27	स्कूल शिक्षा	87.05	142.00	229.05	158.41	70.64
9	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	2,204.82	584.80	2,789.62	2,213.86	575.76
10	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	92.58	45.25	137.83	110.69	27.14
<b>योग-ब</b>			<b>3,123.56</b>	<b>843.98</b>	<b>3,967.54</b>	<b>2,691.44</b>	<b>1,276.10</b>
<b>योग-(अ+ब)</b>			<b>12,238.94</b>	<b>2,832.88</b>	<b>15,071.82</b>	<b>12,515.72</b>	<b>2,556.10</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

## परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: कंडिका-2.2.8 (अ), पृष्ठ 36)

## उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	मुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	वचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	4	5	6	7	8
1	3	2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1,028.78	854.67	174.11	21.79
2	6	2054-097-1026-कोषालय स्थापना	37.69	25.40	12.29	1.13
3		2885-60-190-4843-अधोसंरचना विकास निगम	1.50	0.50	1.00	1.00
4	7	2040-001-3569-मुख्यालय स्थापना व्यय	14.88	10.85	4.03	4.93
5	8	2053-093-1510-जिला स्थापना	247.94	204.95	42.99	2.25
6	19	2210-01-196-0101-1473-जिला चिकित्सालय	85.99	60.86	25.13	1.80
7	27	2202-01-111-0701-5396-सर्व शिक्षा अभियान	1,100.00	925.28	174.72	150.00
8		2202-01-112-0701-5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	73.24	71.37	1.87	11.71
9	28	2011-02-101-4007-विधान सभा	30.80	22.38	8.42	3.36
10	29	2014-102-573-उच्च न्यायालय	50.26	37.08	13.18	1.10
11	39	6408-02-190-0311-8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	20.43	19.56	0.87	11.11
12	41	2202-01-796-109-0702-8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना	124.00	51.64	72.36	5.75
13		2202-01-796-111-0702-5396-सर्व शिक्षा अभियान	836.00	647.17	188.83	114.00
14		2202-03-796-103-0102-798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय	72.10	58.46	13.64	5.00
15		2210-01-796-196-0102-1473-जिला चिकित्सालय	55.79	40.55	15.24	1.80
16		2236-02-796-101-0102-7747-महतारी जतन योजना	9.50	8.65	0.85	5.36
17		2236-02-796-101-0102-7765-मुख्यमंत्री अमृत योजना	9.50	5.15	4.35	3.72
18		2501-06-796-102-0702-7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान	76.00	72.49	3.51	9.88
19		4202-02-796-103-0702-7438-राज्य कौशल विकास अभियान	4.12	2.71	1.41	5.60
20		6408-02-796-190-0312-8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	15.53	14.86	0.67	8.45
21	44	2202-03-103-0101-798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय	89.76	81.92	7.84	7.00
22	53	2217-05-789-193-1103-7260-नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान	4.82	1.93	2.89	2.95
23		2853-02-789-800-0103-7611-गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय स्थानीय निकायों के लिए अंतरण	4.00	3.74	0.26	3.53
24	55	2236-02-101-0101-7747-महतारी जतन योजना	12.50	11.60	0.90	7.05
25		2236-02-101-0101-7765-मुख्यमंत्री अमृत योजना	12.50	6.01	6.49	4.90
26		2236-02-101-0101-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम - विशेष पोषण आहार योजना	22.90	16.66	6.24	1.13

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	4	5	6	7	8
27	64	2202-01-789-111-0703-5396-सर्व शिक्षा अभियान	264.00	234.78	29.22	36.00
28		2202-02-789-109-0103-3673-राज्य छात्रवृत्ति	74.20	55.99	18.21	10.00
29		2202-03-789-103-0103-798- कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय	32.67	27.20	5.47	2.00
30		2225-01-789-102-0603-7626-विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	19.90	9.02	10.88	2.67
31		2236-02-789-101-0103-7747- महतारी जतन योजना	3.00	2.62	0.38	1.69
32		2236-02-789-101-0103-7765- मुख्यमंत्री अमृत योजना	3.00	1.03	1.97	1.18
33	66	2202-02-109-0101-5551-हाईस्कूल छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	6.00	4.40	1.60	7.99
34	67	4059-01-051-0801-5558-उपभोक्ता मंच भवनों का निर्माण	2.00	0.00	2.00	2.00
35		4216-01-106-0101-5640-उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण	2.00	0.93	1.07	1.00
36	80	2202-02-196-0101-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	185.00	156.96	28.04	5.46
37	81	2202-01-192-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	42.52	41.46	1.06	8.25
38		2217-05-191-1101-7260-नगरीय निकायों के बुनियादी सेवायें हेतु अनुदान	21.47	8.59	12.88	4.00
39		2217-05-192-1101-7260-नगरीय निकायों के बुनियादी सेवायें हेतु अनुदान	7.72	3.09	4.63	6.12
40		2217-05-193-1101-7260-नगरीय निकायों के बुनियादी सेवायें हेतु अनुदान	6.95	2.78	4.17	5.59
41		4217-60-191-1101-7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	150.20	142.39	7.81	60.00
42		4217-60-192-1101-7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	50.77	47.21	3.56	34.00
43	82	2202-01-796-197-0702-5169-विद्यालय में मध्यान्न भोजन कार्यक्रम	130.00	122.90	7.10	5.16
44		2202-02-796-197-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	390.00	315.27	74.73	31.10
<b>योग</b>			<b>5,436.93</b>	<b>4,439.06</b>	<b>1,005.87</b>	<b>628.51</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

## परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: कंडिका-2.2.8(ब), पृष्ठ 37)

## अनुदानों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	योजना का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता	किया गया अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7
1	01	2013-105-9064-मंत्रियों द्वारा वैकैकिक अनुदान	13.25	24.98	11.73	14.25
2	03	2055-001-7811-डायल 100 / 112	0.00	0.10	0.10	10.00
3	08	2029-103-1472-जिला प्रभार	207.97	210.15	2.18	5.00
4		2029-103-0701-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	0.00	3.56	3.56	5.25
5	13	2401-800-0101-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा	0.00	1.07	1.07	4.00
6	15	2853-02-789-800-0103-6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	53.50	53.71	0.21	37.00
7	17	2425-107-0101-5628-कृषक ऋण ब्याज दर के युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान	70.00	88.14	18.14	37.00
8	19	2210-06-101-0701-5026-छत्तीसगढ़ राज्य रोग सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता / अनुदान	12.50	18.75	6.25	7.50
9	24	5054-04-337-0101-1826-डामरीकरण	0.00	2.02	2.02	14.00
10	27	2202-02-109-0101-5551-हाई स्कूल छात्राओं के लिए निःशुल्क सायकल वितरण	18.00	36.13	18.13	22.00
11		2202-02-109-0101-7367-मॉडल स्कूल योजना	5.76	8.28	2.52	15.00
12		4202-01-201-0101-9005-इमारतों का अनुरक्षण-लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	0.00	133.97	133.97	135.00
13	30	2216-03-105-0701-7807-प्रधान मंत्री आवास योजना	0.00	432.18	432.18	582.56
14		2501-06-102-0701-7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान	100.00	112.17	12.17	14.67
15	32	2220-01-001-2320-निर्देशन और प्रशासन	39.24	50.00	10.76	13.15
16		2220-60-106-1479-जिला प्रसार एवं चल ईकाई की स्थापना	18.84	25.66	6.82	9.00
17	37	3452-80-001-0101-7323-भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान	3.35	8.73	5.38	638
18		5452-01-101-0701-7009-पर्यटन केन्द्रों का विकास	7.00	19.99	12.99	14.99
19	39	2408-01-003-0701-8919-लोक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	0.99	2.11	1.12	3.10
20	41	2202-02-796-109-0102-5551-हाईस्कूल छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण	25.00	44.54	19.54	28.00
21		2202-02-796-109-0102-7367-मॉडल स्कूल योजना	0.00	6.00	6.00	11.00
22		2202-02-796-109-0102-7592-खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	0.01	8.98	8.97	11.22
23		2210-06-796-101-0702-5026-छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता / अनुदान	9.50	14.05	4.55	5.70
24		2216-03-796-105-0702-7807-प्रधानमंत्री आवास योजना	0.00	496.94	496.94	572.39

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7
25	41	2236-02-796-101-0702-7361-सबला योजना	58.80	63.01	4.21	5.88
26		2401-796-119-0702-7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	6.84	7.23	0.39	3.23
27		2408-01-796-003-0702-8919-लोक वितरण प्रणाली का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण	0.75	1.60	0.85	2.36
28		4215-01-796-102-0312-7858-सौरऊर्जा ग्रामीण पेयजल वितरण	0.00	44.54	44.54	50.00
29		4225-02-796-102-0602-7626-विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	37.95	66.45	28.50	59.97
30		4225-02-796-102-0802-7672-वन बंधु कल्याण योजना	5.00	8.57	3.57	10.73
31		5054-04-796-337-0312-7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	35.00	58.68	23.68	25.00
32	47	2203-001-0101-7745-छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना	80.00	86.83	6.83	40.00
33		2203-112-0101-7341-आई.आई.आई.टी. की स्थापना	10.00	14.00	4.00	6.00
34		2230-03-003-0101-7700-केन्द्रीय प्लास्टिक यांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान	0.00	1.21	1.21	2.43
35	55	2236-02-101-0701-7361-सबला योजना	73.20	77.55	4.35	7.32
36	64	2202-02-789-109-0103-5551-हाई स्कूल छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	12.00	21.10	9.10	14.00
37		2202-02-789-109-0103-7367-मॉडल स्कूल योजना	0.00	2.62	2.62	4.00
38		2216-03-789-105-0703-7807-प्रधानमंत्री आवास योजना	0.00	157.39	157.39	181.05
39		2236-02-789-101-0703-7361-सबला योजना	18.00	18.17	0.17	1.80
40		6408-02-789-190-0313-8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	4.90	9.82	4.92	7.80
41	65	2052-091-4043-विमानन संचालनालय	25.47	28.67	3.20	5.00
42	66	2202-02-109-0801-8050-छात्रवृत्ति	19.00	29.23	10.23	12.23
43	69	2217-80-191-0101-7685-स्मार्ट सिटी	50.00	194.50	144.50	327.00
44	79	2210-01-110-1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	0.00	1.05	1.05	5.25
45	80	2202-01-197-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	580.64	671.58	90.94	156.86
46		2202-01-197-0101-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	355.00	377.91	22.91	73.63
47		2853-02-800-0101-6299-ग्रामीण क्षेत्र के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	135.85	169.72	33.87	78.90
48		4515-198-1101-8555-छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का विकास	52.00	60.28	8.28	9.92
49	81	3604-191-8018- प्रवेश कर से प्राप्त आगम के शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	555.06	592.98	37.92	57.93
50	82	2202-01-796-197-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	558.89	659.24	100.35	239.16
51		2202-01-796-197-0702-6933-माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्न भोजन योजना	80.00	80.17	0.17	5.79
52		2853-02-796-800-0102-6299-ग्रामीण क्षेत्र के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	46.00	57.13	11.13	37.18
<b>योग</b>			<b>3,385.26</b>	<b>5,363.44</b>	<b>1,978.18</b>	<b>3,008.58</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)



**परिशिष्ट 2.12**  
(संदर्भ: कडिका-2.2.8(स), पृष्ठ 37)  
**उपशीर्ष के अंतर्गत अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पूनर्विनियोग	व्यय	अंतिम अतिरेक (+)/बचत(-)
1	2	4	5	6	7	8
1		2401-110-0101-8792-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	100.00	134.85	34.85	3.10
2		2401-110-0101-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	0.00	40.52	40.52	14.79
3		2401-108-0701-7267-एन.एम.एस.ए. भूमि स्वास्थ्य प्रबंधन योजना	8.74	11.78	3.04	2.03
4	13	2401-102-0701-7350-एकीकृत जल विभाजन प्रबंधन कार्यक्रम	50.00	64.61	14.61	11.40
5	16	2405-101-0701-7814-नील क्रांति के अंतर्गत मत्स्य विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम	0.00	8.20	8.20	2.58
6	21	4217-01-051-0101-7416-तेरहवें वित्त आयोग अनुदान	0.01	70.31	70.30	43.15
7	27	2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय (बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिये)	89.82	103.47	13.65	0.06
8	29	2015-105-4311-संसदीय निर्वाचन प्रभार	0.77	4.88	4.11	2.92
9	30	2215-02-107-0701-7610-स्वच्छ भारत अभियान	200.00	571.99	371.99	230.84
10		2215-02-796-107-0702-7610-स्वच्छ भारत अभियान	152.00	233.84	81.84	7.14
11		2401-796-110-0102-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	0.00	30.99	30.99	11.25
12		2401-108-0701-7267-एन.एम.एस.ए. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना	3.84	7.18	3.34	1.60
13	41	2405-796-101-0702-7814-नील क्रांति के अंतर्गत मत्स्य विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम	0.00	5.32	5.32	3.29
14		2215-02-789-107-0703-7610-स्वच्छ भारत अभियान	48.00	163.27	115.27	62.02
15	64	2401-789-110-0103-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	0.00	10.00	10.00	3.55
16	67	4059-01-051-0101-5918-जिला प्रशासन विभाग	6.00	7.98	1.98	0.30
17	79	4210-03-105-0701-8939-चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव	5.00	58.03	53.03	40.00
18	81	3604-193-8018-प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	159.89	180.73	20.84	0.84
<b>योग</b>			<b>824.07</b>	<b>1,707.95</b>	<b>883.88</b>	<b>440.86</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: कंडिका-2.2.9, पृष्ठ 37)

अत्याधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुनर्विनियोजन  
(जहाँ आधिक्य/बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक हो)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	व्यय	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत(-)
1	2	3	4	5	6	7
<b>अ- अत्याधिक</b>						
1	3	2055-003-195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय	55.02	0.20	35.12	-20.11
2	24	5054-03-337-0101-8716-केन्द्रीय सड़क निधि	60.12	-55.58	21.86	17.32
3	27	2202-02-109-0101-578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	443.53	-85.22	386.14	27.83
4	33	2202-02-109-583-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	285.54	-93.12	238.46	46.04
5	82	2202-01-796-197-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	798.05	-192.05	659.24	53.23
<b>योग - अ</b>			<b>1,642.26</b>	<b>-425.77</b>	<b>1,340.82</b>	<b>124.31</b>
<b>ब- अनावश्यक</b>						
6	3	2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1,650.66	9.00	1,427.30	-232.36
7	19	2210-03-198-0101-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	24.06	-0.25	47.01	23.21
8	21	4217-01-050-0101-5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण	240.00	-189.54	223.05	172.58
9	24	3054-03-797- 8716-केन्द्रीय सड़क निधि	150.00	-150.00	97.12	97.12
10	24	3054-80-001-2301-निदेशन एवं प्रशासन (मांग सं.-67-2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)	160.61	-160.61	104.01	104.01
11	64	2202-02-789-106-0103-5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	10.70	-2.21	25.49	17.00
<b>योग-ब</b>			<b>2,236.03</b>	<b>-493.61</b>	<b>1,923.98</b>	<b>181.56</b>
<b>स- अपर्याप्त</b>						
12	3	2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1,050.57	-1.19	854.67	-194.70
13	3	2055-800-7506-नक्सल क्षेत्र में नवीन थाना चौकी निर्माण एवं सुदृढीकरण	25.00	-2.61	0.00	-22.39
14	8	2053-093-1510-जिला स्थापना	250.19	-27.22	204.95	-18.02
15	10	2406-01-101-3877-क्षेत्रीय वन मंडल	378.80	-0.49	305.05	-73.25
16	10	2406-01-203-535-इमारती लकड़ी	94.85	-1.02	54.38	-39.45
17	21	4217-01-051-0101-5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण	269.00	-121.53	127.47	-20.00

1	2	3	4	5	6	7
18	30	2515-001-1033-विकास खण्ड कार्यालय	33.73	-0.96	19.51	-13.26
19		5054-04-337-0311-8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	87.50	-0.33	68.68	-18.49
20	41	2210-03-796-198-0102-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	24.54	-0.40	44.54	20.40
21	41	4215-01-796-102-0312-5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	45.12	-1.50	33.54	-10.09
22	41	5054-04-796-337-0312-8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	66.50	-3.03	48.94	-14.53
23	55	2235-02-103-0101-8957-नोनी सुरक्षा योजना	30.00	-19.00	0.00	-11.00
24	64	2202-01-789-108-0103-5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	31.00	-9.50	4.50	-17.00
25	67	2059-80-001-0101-2418-निष्पादन	108.39	-0.40	78.54	-29.45
26	82	2202-01-796-196-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	200.00	-47.14	105.92	-46.94
27	82	2202-02-796-197-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	421.10	-25.30	315.27	-80.53
योग-स			3,116.29	-261.62	2,265.96	-588.70
महायोग (अ+ब+स)			6,994.58	-1,181.00	5,530.76	-282.83

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: कंडिका-2.2.10, पृष्ठ 37)

वास्तविक बचत से अधिक सर्म्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	सर्म्पण	अधिक्य राशि का सर्म्पण
1	2	3	4	5	6	7
<b>अ- राजस्व दत्तमत</b>						
1	1	सामान्य प्रशासन	174.26	30.68	31.15	0.47
2	9	राजस्व विभाग	16.08	6.15	6.17	0.02
3	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	199.71	50.43	50.46	0.03
4	13	कृषि	1,266.78	194.48	194.61	0.13
5	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	152.46	44.74	44.83	0.09
6	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,707.24	288.37	314.22	25.85
7	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	359.43	83.39	86.48	3.09
8	22	नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय निकाय	28.97	5.65	5.76	0.11
9	23	जल संसाधन विभाग	528.62	115.43	115.49	0.06
10	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	931.68	354.80	556.10	201.30
11	25	खनिज साधन विभाग	204.88	12.12	12.32	0.20
12	27	स्कूल शिक्षा	4,537.28	997.73	1,033.07	35.34
13	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग	53.99	31.48	31.52	0.04
14	33	आदिम जाति कल्याण	1,960.04	373.65	419.44	45.79
15	40	आयाकट विभाग	4.15	0.85	1.01	0.16
16	43	खेल और युवक कल्याण	95.59	73.95	73.99	0.04
17	44	उच्च शिक्षा	662.63	222.87	223.60	0.73
18	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	514.88	175.41	176.54	1.13
19	50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग	1.87	0.00	0.60	0.60
20	55	महिला एवं बाल कल्याण	964.32	318.72	324.40	5.68
21	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	885.62	81.94	103.73	21.79
22	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,807.58	61.59	86.40	24.81
<b>योग- अ</b>			<b>17,058.06</b>	<b>3,524.43</b>	<b>3,891.89</b>	<b>367.46</b>
<b>ब- पूँजीगत दत्तमत</b>						
23	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	237.34	43.40	45.50	2.10
24	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	657.21	178.88	331.47	152.59
25	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	1,720.67	804.95	834.40	29.45
26	40	आयाकट विभाग	28.50	10.91	12.39	1.48
27	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1,156.23	574.36	580.10	5.74
28	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	511.30	94.59	95.19	0.60
29	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	100.82	67.82	67.88	0.06
30	55	महिला एवं बाल कल्याण	62.52	13.85	15.23	1.38
31	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	1,324.58	492.52	504.97	12.45
32	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	643.71	251.27	263.02	11.75

1	2	3	4	5	6	7
33	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	239.65	36.35	37.26	0.91
<b>योग - ब</b>			<b>6,682.53</b>	<b>2,568.90</b>	<b>2,787.41</b>	<b>218.51</b>
<b>स- राजस्व भारित</b>						
34	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	53.36	15.26	15.30	0.04
<b>योग-स</b>			<b>53.36</b>	<b>15.26</b>	<b>15.30</b>	<b>0.04</b>
<b>द- पूंजीगत भारित</b>						
35	23	जल संसाधन विभाग	0.25	0.11	0.12	0.01
36	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	9.20	3.65	3.70	0.05
<b>योग - द</b>			<b>9.45</b>	<b>3.76</b>	<b>3.82</b>	<b>0.06</b>
<b>महायोग (अ+ब+स+द)</b>			<b>23,803.40</b>	<b>6,112.35</b>	<b>6,698.42</b>	<b>586.07</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

## परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: कंडिका-2.2.11, पृष्ठ 37)

बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) घटित हुई परन्तु राशि समर्पण का हिस्सा नहीं है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल प्रावधान	बचत	समर्पण	राशि जो समर्पित नहीं कि गयी
<b>अ - राजस्व दत्तमत</b>						
1	16	मछली पालन	54.64	7.19	0	7.19
2	34	समाज कल्याण	78.70	21.82	0	21.82
3	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,111.35	456.75	0	456.75
<b>योग- अ</b>			<b>2,244.69</b>	<b>485.76</b>	<b>0</b>	<b>485.76</b>
<b>ब - पूंजीगत दत्तमत</b>						
4	3	पुलिस	35.89	7.17	0	7.17
5	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	40.51	39.82	0	39.82
6	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	40.04	17.99	0	17.99
<b>योग- ब</b>			<b>116.44</b>	<b>64.98</b>	<b>0</b>	<b>64.98</b>
<b>स - राजस्व भारित</b>						
7	10	वन	23.13	2.04	0	2.04
8	12	ऊर्जा विभाग	257.75	16.86	0	16.86
9	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	69	39.38	0	39.38
<b>योग- स</b>			<b>349.88</b>	<b>58.28</b>	<b>0</b>	<b>58.28</b>
<b>महायोग (अ+ब+स)</b>			<b>2,711.01</b>	<b>609.02</b>	<b>0</b>	<b>609.02</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: कंडिका-2.2.11, पृष्ठ 37)

समर्पण नहीं किये गये ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक का बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल प्रावधान	बचत	समर्पण	राशि जो समर्पित नहीं हुई
1	2	3	4	5	6	7
<b>अ- राजस्व दत्तमत</b>						
1	3	पुलिस	3,321.91	588.00	23.25	564.75
2	6	वित्त विभाग	5,309.27	1,743.99	88.05	1,655.94
3	7	वाणिज्यिक कर विभाग	358.91	69.96	32.07	37.89
4	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,005.11	195.65	175.74	19.91
5	10	वन	974.85	228.09	26.29	201.80
6	12	ऊर्जा विभाग	794.24	292.56	290.06	2.50
7	16	मछली पालन	54.64	7.19	0.00	7.19
8	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	177.07	88.78	84.26	4.52
9	28	राज्य विधान मंडल	56.90	22.41	1.11	21.30
10	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3,412.73	669.16	618.48	50.68
11	34	समाज कल्याण	78.70	21.82	0.00	21.82
12	36	परिवहन	62.46	27.51	21.79	5.72
13	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,111.35	456.75	0.00	456.75
14	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	10,222.29	2,807.58	1979.40	828.18
15	49	अनुसूचित जाति कल्याण	40.25	12.07	8.01	4.06
16	53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	33.35	19.19	18.18	1.01
17	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	3,506.69	794.37	603.03	191.34
18	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	296.82	42.22	38.93	3.29
19	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	663.36	236.80	147.62	89.18
20	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	1,146.83	417.45	415.35	2.10
21	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	548.23	145.59	93.56	52.03
22	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,833.14	270.46	261.03	9.43
23	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,902.68	418.14	352.96	65.18
24	83	अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	47.08	9.41	7.92	1.49
<b>योग-अ</b>			<b>39,958.86</b>	<b>9,585.15</b>	<b>5,287.09</b>	<b>4,298.06</b>
<b>ब - पूंजीगत दत्तमत</b>						
25	3	पुलिस	35.89	7.17	0.00	7.17
26	10	वन	24.58	21.65	20.22	1.43
27	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	74.40	47.06	45.05	2.01
28	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	41.28	13.68	8.49	5.19
29	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	40.51	39.82	0.00	39.82
30	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	707.99	158.31	146.71	11.60

1	2	3	4	5	6	7
31	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	40.04	17.99	0.00	17.99
32	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	2,789.62	575.76	542.72	33.04
33	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	137.83	27.14	25.13	2.01
34	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	235.60	184.08	181.57	2.51
<b>योग- ब</b>			<b>4,127.74</b>	<b>1,092.66</b>	<b>969.89</b>	<b>122.77</b>
<b>स- राजस्व भारित</b>						
35	10	वन	23.13	2.04	0.00	2.04
36	12	ऊर्जा विभाग	257.75	16.86	0.00	16.86
37	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	69.00	39.38	0.00	39.38
<b>योग- स</b>			<b>349.88</b>	<b>58.28</b>	<b>0.00</b>	<b>58.28</b>
<b>महायोग (अ+ब+स)</b>			<b>44,436.48</b>	<b>10,736.09</b>	<b>6,256.98</b>	<b>4,479.11</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

## परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: कडिका-2.2.12, पृष्ठ 38)

वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय की अतिवेग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष का नाम	कुल व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय	मार्च 2017 में व्यय	व्यय की प्रतिशतता	
						अंतिम तिमाही	मार्च 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2039	राज्य उत्पाद शुल्क	166.61	99.28	86.45	59.59	51.89
2	2048	ऋण में कमी अथवा उससे बचाव के लिए विनियोग	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00
3	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	0.27	0.25	0.24	92.59	88.89
4	2203	तकनीकी शिक्षा	193.29	122.79	33.62	63.53	17.39
5	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यकों का कल्याण	196.36	107.64	76.15	54.82	38.78
6	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	9.41	7.64	1.14	81.19	12.11
7	2405	मीन उद्योग	74.44	37.43	24.74	50.28	33.23
8	2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	16.96	16.96	11.70	100.00	68.99
9	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,715.95	944.74	451.61	55.06	26.32
10	2711	बाढ़ नियंत्रण एवं जलनिकास	12.90	12.90	0.00	100.00	0.00
11	2801	विद्युत	1,009.77	620.27	90.00	61.43	8.91
12	2810	नयी एवं नविकरणीय ऊर्जा	39.22	33.38	17.26	85.11	44.01
13	2853	अलौह धातु खनन एवं धातुभर्म उद्योग	477.60	294.17	128.53	61.59	26.91
14	2885	उद्योग एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	5.50	3.00	0.50	54.55	9.09
15	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	12.48	10.38	5.97	83.17	47.84
16	3452	पर्यटन	22.85	16.43	16.43	71.90	71.90
17	3604	स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	1,207.76	645.43	296.93	53.44	24.59
18	4055	पुलिस पर पूंजी परिव्यय	28.74	26.97	22.03	93.84	76.65

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8
19	4202	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजी परिव्यय	516.95	302.23	131.37	58.46	25.41
20	4215	जल पूर्ति और स्वच्छता पर पूँजी परिव्यय	334.13	205.93	144.59	61.63	43.27
21	4220	सूचना एवं प्रचार पर पूँजी परिव्यय	0.02	0.02	0.02	100.00	100.00
22	4225	अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्प संख्यकों पर पूँजी परिव्यय	366.88	301.85	228.90	82.27	62.39
23	4235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजी परिव्यय	77.07	50.80	43.42	65.91	56.34
24	4401	कृषि पर पूँजी परिव्यय	3.65	2.27	2.09	62.19	57.26
25	4402	भूमि एवं जल संरक्षण पर पूँजी परिव्यय	19.37	11.71	4.76	60.45	24.57
26	4406	वनिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजी परिव्यय	16.79	13.14	8.43	78.26	50.21
27	4415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर पूँजी परिव्यय	1.00	0.50	0.00	50.00	0.00
28	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय	820.02	538.01	420.00	65.61	51.22
29	4810	नयी एवं नविकरणीय उर्जा पर पूँजी परिव्यय	315.23	228.03	228.03	72.34	72.34
30	4851	ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजी परिव्यय	84.51	66.41	2.83	78.58	3.35
31	4853	अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग पर पूँजी परिव्यय	475.75	370.08	167.07	77.79	35.12
32	5053	नगर विमानन पर पूँजी परिव्यय	14.86	13.72	1.41	92.33	9.49
33	5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	7.18	4.82	0.00	67.13	0.00
34	5452	पर्यटन पर पूँजी परिव्यय	26.61	14.99	0.00	56.33	0.00
35	6215	जल पूर्ति एवं स्वच्छता के लिए ऋण	63.07	51.58	0.00	81.78	0.00
36	6217	नगरीय विकास के लिए ऋण	107.50	78.50	35.00	73.02	32.56
37	6425	सहकारिता के लिए ऋण	55.40	55.40	35.40	100.00	63.90
38	7810	अन्तरराज्यीय निपटारा	0.44	0.26	0.05	59.09	11.36
39	7999	आकस्मिकता निधि में विनियोजन	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00
<b>योग</b>			<b>8,756.54</b>	<b>5,569.91</b>	<b>2,776.67</b>	<b>63.61</b>	<b>31.71</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)





वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

1	2	3	4	5	6	7	8
2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	163	19,490.12	160	18,700.39	3	789.73
2885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	6	170.00	6	170.00	0	0.00
3054	सड़क तथा सेतु	15	44,047.00	15	44,047.00	0	0.00
3275	अन्य संचार सेवाएँ	50	16,514.16	50	16,514.16	0	0.00
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	85	4,578.06	85	4,578.06	0	0.00
3452	पर्यटन	74	22,930.85	74	22,930.85	0	0.00
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	1	910.00	1	910.00	0	0.00
3604	स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	1,481	6,70,279.22	838	3,56,620.30	643	3,13,658.89
4202	शिक्षण, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	7	6,216.42	7	6,216.42	0	0.00
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1	1,200.00	1	1,200.00	0	0.00
4225	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	308	4,239.39	308	4,239.39	0	0.00
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	100	10,387.85	100	10,387.85	0	0.00
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5	0.16	5	0.16	0	0.00
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	7	3,027.03	7	3,027.03	0	0.00
5054	सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	3	4,412.10	3	4,412.10	0	0.00
	<b>योग</b>	<b>91,46</b>	<b>36,40,030.50</b>	<b>90,058</b>	<b>31,38,351.95</b>	<b>1407</b>	<b>5,01,678.46</b>

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट -3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.1.2; पृष्ठ 39)

वित्त आयोग के अनुपयोगी अनुदान की डी.डी.ओ. वार सूची की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	योजना	राशि	माह से शेष
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिलरा पंचायत जशपुर	बारहवें वित्त आयोग	103.96	फरवरी 2016
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बिल्हा	बारहवें वित्त आयोग	7.55	अगस्त 2016
		तेरहवें वित्त आयोग	59.47	अगस्त 2016
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वमनार	तेरहवें वित्त आयोग	67.10	अगस्त 2016
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तिल्दा	तेरहवें वित्त आयोग	11.70	सितम्बर 2016
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर	ग्यारहवें वित्त आयोग	241.42	मार्च 2016
		बारहवें वित्त आयोग	278.90	मार्च 2016
		तेरहवें वित्त आयोग	344.34	मार्च 2016
6.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहसपुर, लोहारा	बारहवें वित्त आयोग	4.32	सितम्बर 2016
		तेरहवें वित्त आयोग	73.05	नवम्बर 2016
7.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बरमकेला	तेरहवें वित्त आयोग	83.69	मार्च 2016
8.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी	दसवें वित्त आयोग	0.10	सितम्बर 2016
		ग्यारहवें वित्त आयोग	1.68	मार्च 2017
		बारहवें वित्त आयोग	2.30	मार्च 2017
		तेरहवें वित्त आयोग	57.03	मार्च 2017
9.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग	ग्यारहवें वित्त आयोग	5.15	मार्च 2016
		बारहवें वित्त आयोग	101.67	मार्च 2016
	<b>योग</b>		<b>1,443.43</b>	

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)





## परिशिष्ट -3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 44)

(31 मार्च 2016 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण)

(₹ लाख में)

स. क्र.	विभाग/इकाई का नाम	प्रकरण संख्या एवं राशि						योग
		पाँच वर्ष तक	05 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से उपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्चशिक्षा	6 (1.80)	5 (8.50)	2 (2.51)	1 (0.12)	2 (0.11)	1 (0.50)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	1 (0.00)	0	0	0	0	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	0	0	2 (0.40)	0	1 (0.16)	5 (3.96)	8 (4.52)
4	कोष एवं लेखा प्रशासन	0	0	3 (7.34)		1 (11.77)	3 (0.16)	7 (19.27)
5	तकनिकी शिक्षा	1 (0.00)	7 (49.91)	2 (1.91)	0	0	1 (0.25)	11 (52.07)
6	आदिम जाति	1 (4.00)	2 (0.91)	2 (0.71)	6 (13.67)	2 (0.93)	8 (1.96)	21 (22.18)
7	विक्रय पर व्यापार	0	0	0	0	0	1 (0.02)	1 (0.02)
8	महिला एवं बाल विकास	0	0	0	0	2 (3.50)	1 (0.32)	3 (3.82)
9	शिक्षा	9 (181.13)	1 (0.70)	8 (14.92)	3 (17.76)	4 (2.38)	36 (15.95)	61 (232.85)
10	पुलिस	86 (2.88)	62 (8.20)	27 (3.21)	7 (11.71)	5 (14.04)	2 (2.35)	189 (42.39)
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	0	0	0	0	22 (2.52)	22 (2.52)
12	तहसील	0	1 (0.49)	2 (0.50)	0	0	12 (1.57)	15 (2.55)
13	राज्य आबकारी	0	0	1 (2.37)	0	0	0	1 (2.37)
14	पशुपालन	42 (2.52)	75 (6.48)	31 (2.13)	0	0	5 (0.69)	153 (11.83)
15	लोक सेवा आयोग	0	0	1 (3.16)	0	0	0	1 (3.16)
16	सहकारिता	0	0	0	0	1 (96.26)	0	1 (96.26)
17	पंचायत एवं समाज कल्याण	1 (1.00)	1 (0.00)	0	0	0	0	2 (1.00)
18	डेयरी विकास	0	0	0	1 (0.20)	0	1 (0.02)	2 (0.22)
19	रेशम	1 (0.00)	1 (0.10)	0	0	0	0	2 (0.10)
20	जिला एवं सत्र न्यायालय	3 (0.20)	3 (1.04)	2 (1.48)	1 (7.79)	0	0	9 (10.48)
21	श्रम एवं रोजगार	0	2 (0.50)	3 (2.19)	2 (0.52)	1 (0.05)	4 (0.37)	12 (3.64)

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

११

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0	1 (0.10)	0	0	3 (0.13)	4 (0.23)
23	आदिम जाति/ आदिम जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	0	1 (0.00)	1 (19.58)	0	2 (0.30)	11 (2.93)	15 (22.80)
24	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ	1 (0.00)	1 (9.85)	1 (0.06)	6 (33.02)	0	11 (3.15)	20 (46.08)
25	फसल कृषि कर्म	1 (0.00)	2 (0.16)	5 (5.83)	0	0	0	8 (5.99)
26	वन	22 (55.39)	31 (80.05)	116 (164.92)	179 (381.06)	239 (176.27)	352 (135.12)	939 (992.80)
27	लोक निर्माण	105 (4,438.35)	266 (6,556.76)	97 (1,115.55)	0	0	0	468 (12,110.65)
28	जन संसाधन विभाग	5 (6.61)	12 (185.71)	5 (6.72)	0	0	0	22 (199.05)
29	वित्त और सांख्यिकी निदेशालय	0	1 (0.05)	0	0	0	0	1 (0.05)
30	कलेक्ट्रेट	0	0	0	0	0	2 (0.38)	2 (0.38)
31	परिवहन विभाग	0	0	0	0	0	1 (0.04)	1 (0.04)
32	उद्योग	0	0	0	0	0	1 (0.15)	1 (0.15)
33	शहरी विकास	1 (0.09)	0	0	0	0		1 (0.09)
	<b>योग</b>	<b>286 (4,693.95)</b>	<b>474 (6,909.41)</b>	<b>312 (1,355.59)</b>	<b>206 (465.86)</b>	<b>260 (305.76)</b>	<b>484 (173.32)</b>	<b>2022 (13,903.89)</b>

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)



परिशिष्ट -3.8

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)

पूँजीगत के तहत बजट राजस्व प्रकृति के व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	प्रयोग्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4202	शिक्षण, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	28.75
2	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			12.88
3	4217	नगरीय विकास पर पूँजीगत व्यय			292.70
4	4225	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			188.47
5	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			269.45
6	4801	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			330.00
7	4810	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पूँजीगत व्यय			271.65
8	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय			1.00
9	4852	लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए पूँजीगत व्यय			26.30
10	5275	अन्य संचार सेवाएँ के लिए पूँजीगत व्यय			4.82
11	5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय के लिए पूँजीगत			0.30
12	5452	पर्यटन के लिए पूँजीगत व्यय			6.62
13	4810	नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा के लिए पूँजीगत व्यय	14	निर्माण के लिए अनुदान	43.58
14	5275	अन्य संचार सेवाएँ के लिए पूँजीगत व्यय			2.36
15	4700	वृहद दीर्घ सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय	01	वेतन एवं भत्ते	74.53
16	4701	मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय			9.94
17	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग कल्याण के लिए पूँजीगत व्यय	24	विविध कार्य	0.50
18	4851	ग्राम एवं लघु उद्योग के लिए पूँजीगत व्यय			0.45
19	4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए पूँजीगत व्यय	04	कार्यालयीन व्यय	0.33
20	4700	वृहद सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय			0.25
21	4701	मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय			0.19
22	4801	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			0.02
23	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म के लिए पूँजीगत व्यय			0.06
24	4700	वृहद दीर्घ सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय			0.06
25	4701	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	07	स्थापना एवं कार्यभारित आकस्मिक व्यय के लिए	38.69
			07		2.44
26	4700	वृहद दीर्घ सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय	10	वेतन, व्यावसायिक नौकरी के लिए	0.06
27	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म के लिए पूँजीगत व्यय	10	वेतन, व्यावसायिक नौकरी के लिए	2.85
28	4700	वृहद दीर्घ सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय	03	भत्ता	1.77
29	4701	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			0.22
30	4700	वृहद दीर्घ सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय	33	औजार एवं यंत्र	0.01
<b>योग</b>					<b>1,611.19</b>

(स्रोत: वित्त लेख से प्राप्त जानकारी)



**परिशिष्ट-3.9**  
(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)  
**अनियमित स्वीकृति का विवरण**

(₹ लाख में)

स. क्र.	विभाग	स्वीकृति तिथि	वर्गीकरण	कार्य विवरण	राशि
1	2	3	4	5	6
<b>भाग-अ- पूँजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य</b>					
1	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर, छ.ग.	06/04/2016	मोंग संख्या-45/47 02, लघु सिंचाई आदिवासी	वर्ष 2016-17 हेतु झिटकापारा मोड़ के नहर मुहान का मरम्मत कार्य	2.45
2	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर, छ.ग.	06/02/2016	मोंग संख्या-45/47 02, लघु सिंचाई आदिवासी	वर्ष 2016-17 हेतु पलाचुर टैंक की वार्षिक मरम्मत कार्य	2.49
3	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर, छ.ग.	06/04/2016	मोंग संख्या-45/47 02, लघु सिंचाई आदिवासी	वर्ष 2016-17 का पलाचुर टैंक (डीसमैटलींग) का वार्षिक मरम्मत कार्य	2.49
4	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	01/06/2016	मोंग संख्या-23/4700	एस.डी.ओ. बी.बी.सी. उपसंभाग सं.-1 आरंग का उष्ण मौसम प्रतिवदेन का आकंलन	0.39
5	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	02/02/2016	मोंग संख्या-23/4700	निर्माण विभाग, रायपुर फेस-2 का उष्ण मौसम प्रतिवदेन का आकंलन	1.58
6	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	06/04/2016	मोंग संख्या-23/4700	उपसंभाग सं.-4, पलारी एम.आर. पी. बांध का उष्ण मौसम प्रतिवदेन का आकंलन	0.39
7	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	02/03/2016	मोंग संख्या-23/4700	उपसंभाग, आरंग एम.बी.सी. का उष्ण मौसम प्रतिवदेन का आकंलन	0.34
8	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	04/04/2016	मोंग संख्या-23/4700	उपसंभाग कार्यालय सिंचाई परियोजना आरंग का उष्ण मौसम प्रतिवदेन का आकंलन	0.43
9	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	01/06/2016	मोंग संख्या-23/4700	उपसंभाग सं.-10, आरंग एम.आर. पी. बांध का उष्ण मौसम प्रतिवदेन का आकंलन	0.43
10	कार्यपालन अभियंता, कैलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़, छ.ग.	13/12/2016	मोंग संख्या-23/4700	केलो मुख्य बांध 2080 मी. से 2095 मी. का अनुरक्षण कार्य	0.25
11	कार्यपालन अभियंता, कैलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़, छ.ग.	13/12/2016	मोंग संख्या-23/4700	केलो मुख्य बांध 2110 मी. से 2125 मी. का अनुरक्षण कार्य	0.25
12	कार्यपालन अभियंता, कैलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़, छ.ग.	13/12/2016	मोंग संख्या-23/4700	केलो मुख्य बांध 2125 मी. से 2140 मी. का अनुरक्षण कार्य	0.25
13	कार्यपालन अभियंता, कैलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़, छ.ग.	13/12/2016	मोंग संख्या-23/4700	केलो मुख्य बांध 2065 मी. से 2080 मी. का अनुरक्षण कार्य	0.25

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1 2 3 4 5 6

1	2	3	4	5	6
14	कार्यपालन अभियंता, कैलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़, छ.ग.	13/12/2016	मांग संख्या— 23/4700	केलो मुख्य बांध 2050 मी. से 2065 मी. का अनुरक्षण कार्य	0.25
15	कार्यपालन अभियंता, कैलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़, छ.ग.	13/12/2016	मांग संख्या— 23/4700	केलो मुख्य बांध 2095 मी. से 2110 मी. का अनुरक्षण कार्य	0.25
16	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	12/07/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.65
17	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	12/07/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.78
18	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	18/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.40
19	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	28/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.80
20	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	28/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.57
21	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	28/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.19
22	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	28/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.80
23	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	28/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.67
24	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	28/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.5
25	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्दा (तुलसी) कोड नं.-291 जिला रायपुर छ.ग.	03/06/2016	मांग संख्या— 23/4700-08-8 00-0101-2888 -26-005	लोक सूरज अभियान के पेयजल मुद्रण प्रबंधन हेतु वर्ष 2016 में एम.आर.पी. बांध, उप संभाग संख्या 04 पलारी प्लैक्स बैनर तथा पैम्पलेट का आंकलन	1.09



वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

१ २ ३ ४ ५ ६

1	2	3	4	5	6
38	मुख्य अभियंता महानदी वृत्त डब्ल्यू.आर.डी. रायगढ़ छ.ग.	06/02/2016	मोंग संख्या- 64/4700	लवण बांध संख्या 06 का संरचना के विधटन का आकंलन	2.32
39	मुख्य अभियंता महानदी वृत्त डब्ल्यू.आर.डी. रायगढ़ छ.ग.	02/01/2017	मोंग संख्या- 23/4700-02-8 00-0101-2898 -26-005-	20.01.2017 से स्वदेशी मेला 2017 जल श्रोत विभाग स्टौल का आकंलन	9.98
40	मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगों परियोजना बिलासपुर छ.ग.	13/0/2016	मोंग संख्या- 23/4700	वाहन संख्या सी.जी. 02- 1683 का मरम्मत एवं अनुरक्षण का आकंलन	1.48
41	मुख्य अभियंता महानदी परियोजना डब्ल्यू.आर.डी. रायपुर छ.ग.	02/03/2017	मोंग संख्या- 41/4700-03-8 00-0102-5685 -26-005-v	महिन्द्रा मारशल जीप सी.जी. 02/1676 का मरम्मत का आकंलन	1.02
42	मुख्य अभियंता महानदी परियोजना डब्ल्यू.आर.डी. रायपुर छ.ग.	02/03/2017	मोंग संख्या- 41/4700-03-8 00-0102-5685 -26-005-v	टाटा सोमो सी.जी. 02- 0888 का मरम्मत का आकंलन	0.97
43	मुख्य अभियंता महानदी परियोजना डब्ल्यू.आर.डी. रायपुर छ.ग.	25/02/2017	मोंग संख्या- 41/4700-03-8 00-0102-5685 -26-005-v	टाटा सोमो सी.जी. 02- 3455 का मरम्मत का आकंलन	1.00
44	कार्यपालन अभियंता केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा टी.एच.क्यू खरसिया जिला रायगढ़ छ.ग.	23/01/2017	मोंग संख्या- 23/4700	रायगढ़ स्टेडियम के निकट नगर एवं खेलो विहार तथा खेलो सिंचाई कॉलोनी लोचन नगर का आवसीय भवन के मरम्मत एवं अनुरक्षण का आकंलन	5.74
45	वरिष्ठ भू सर्वेक्षण संभागीय भूतल जल सर्वेक्षण इकाई नं. 9 बिलासपुर छ.ग.	19/01/2017	मोंग संख्या- 23/4701	वर्ष 2016-17 के वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक, संभागीय भू तल जल सर्वेक्षण इकाई संख्या 09 बिलासपुर एवं शासकीय वाहन संख्या सी.जी. 02- 0495 का मरम्मत कार्य	0.30
46	अधीक्षण अभियंता इंद्रावती परियोजना वृत्त जगदलपुर छ.ग.	25/10/2016	मोंग संख्या- 41/4702	वर्ष 2016 के बस्तर दशहरा के प्रदर्शित मॉडल एवं स्टौल जगदलपुर जिला बस्तर की तैयारी का आकंलन	2.72
47	अधीक्षण अभियंता इंद्रावती परियोजना वृत्त जगदलपुर छ.ग.	28/01/2017	मोंग संख्या- 41/4702	बस्तर जिला के जगदलपुर में गणतंत्र दिवस महोत्सव की झांकी एवं परियोजना मॉडल	1.54
48	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना पेस - II कार्य संभाग रायपुर छ.ग.	01/02/2017	मोंग संख्या- 4700-08-800-01 01-2884-26-005 -v	शासकीय वाहन संख्या सी.जी. 02- 3449 का मरम्मत का आकंलन	0.30
<b>भाग-ब- राजस्व शीर्ष में दर्ज पूंजीगत कार्य</b>					
1	अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग रायपुर वृत्त- 1 रायपुर	02/05/2016	मोंग संख्या- 44/2202-798	नागाअर्जून विज्ञान कॉलेज भवन रायपुर के अतिरिक्त आठ कमरे का निर्माण	133.86

1	2	3	4	5	6
2	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना पेस – II कार्य संभाग रायपुर छ.ग.	26/09/2016	मांग संख्या— 23/2700-02-1 01-0000-2894- 24-006-v	शोमडा निसरा परिवर्तित योजना फेज 2 65.29 कि.मी. से 69.28 कि.मी. बांध का निरीक्षण कार्य का आकंलन	1.00
3	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना पेस – II कार्य संभाग रायपुर छ.ग.	26/09/2016	मांग संख्या— 23/2700-02-1 01-0000-2894- 24-006-v	शोमडा निसरा परिवर्तित योजना फेज 2 31.30 कि.मी. से 65.29 कि.मी. बांध का निरीक्षण कार्य का आकंलन	1.00
4	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना पेस – II कार्य संभाग रायपुर छ.ग.	26/09/2016	मांग संख्या— 23/2700-02-1 01-0000-2894- 24-006-v	शोमडा निसरा परिवर्तित योजना फेज 2 12.25 कि.मी. से 17.02 कि.मी. बांध का निरीक्षण कार्य का आकंलन	1.00
<b>योग</b>					<b>136.86</b>



## परिशिष्ट –3.11

(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 46)

वर्ष 2016–17 में लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत अन्य व्यय के तहत आरक्षित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	वर्ष 2016–17 के दौरान व्यय	प्रतिशत
1	2075-विविध सामान्य सेवाएं	0.27	0.27	100
2	3275-अन्य संचार सेवाएं	59.09	59.09	100
3	5275- अन्य संचार सेवा पर पूंजीगत व्यय	7.18	7.18	100
4	4701-मध्यम सिंचाई	118.08	104.47	88.47
5	4700-मुख्य सिंचाई	691.85	575.84	83.23
6	2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	477.60	284.83	59.64
7	2039-राज्य उत्पाद शुल्क	166.61	35.09	21.06
8	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	9.41	1.89	20.09
9	2852-उद्योग	118.62	21.87	18.44
10	4801- पूंजीगत व्यय के साथ ऊर्जा परियोजना	820.02	100.00	12.19
11	2245- आपदा एवं प्राकृतिक जलवायु राहत लेखा	803.68	90.41	11.25

(स्रोत: वित्त लेखे से प्राप्त जानकारी)

## परिशिष्ट –3.12

(संदर्भ: कंडिका 3.8.1; पृष्ठ 46)

31.03.2017 को सरकारी खाता से बाहर निधि की पार्किंग की स्थिति

क्र. सं.	लेखापरीक्षित कार्यालय का नाम	योजना का नाम	राशि	संबंधित वर्ष से
1	जिला शिक्षा अधिकारी, दंतेवाड़ा	मध्यान्ह भोजन योजना	322.38	2011–12
2	जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर चांपा	मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत किचन शेड का निर्माण	106.01	2013–14
3	विकास खंड शिक्षा अधिकारी, मुंगेली	मध्यान्ह भोजन योजना	51.54	2015–16
4	समाहरणालय, सुकमा	आपदा प्रबंधन एवं अन्य योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य	145.14	2012–13 एवं 2015–16
5	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, कोरबा	विभिन्न योजना	785.18	2014–15 एवं 2015–16
6	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अम्बिकापुर	स्टोर एवं अन्य में आपूर्ति	29.56	
7	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, बैकुण्ठपुर	संचार, नर्सिंग प्रशिक्षण विशेष कोचिंग मानदेय, खेल मैदान का अनुरक्षण	42.74	2014–15 एवं 2015–16
8	संचालन, महिला एवं बाल कल्याण	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना महिला सशक्तिकरण, एकीकृत बाल संरक्षण योजना	1659.57	
9	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, महासमुन्द	छात्रावास का निर्माण एवं अन्य योजना	190.39	
10	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, बिलासपुर	छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रीक छात्रवृत्ति	267.77	2014–15
योग			3,600.28	

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

**परिशिष्ट-3.13**  
(संदर्भ: कंडिका 3.8.2; पृष्ठ 47)  
**विभागवार और वार्षिक अस्थाई अग्रिम की स्थिति**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रकरणों की संख्या	अग्रिम राशि
1	2	3	4	5
1	कार्यालय संयुक्त संचालन, पशु चिकित्सा सेवायें जिला रायपुर	2014-15	15	20.16
		2015-16	13	26.43
2	सहायक, भूमि संरक्षण अधिकारी, कोण्डागांव	2012-13	1	0.05
		2013-14	2	34.89
		2015-16	6	81.53
3	उप संचालक, कृषि, जगदलपुर	2012-13	10	2.99
		2014-15	5	1.44
		2015-16	37	16.85
4	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, उप संभाग, अम्बिकापुर	2012-13	3	5.29
		2013-14	1	10.00
		2015-16	22	221.55
5	कार्यालय समाहरणालय जिला निर्वाचन, गरियाबंद	2014-15	5	23.92
6	अधीक्षक शासकीय विकलांक शिशु आवास माना कैंप रायपुर	2009-10	4	0.85
		2010-11	8	8.40
		2011-12	6	1.20
7	प्राचार्य शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर	2011-12	1	0.10
		2013-14	1	0.18
		2014-15	12	2.21
		2015-16	33	3.04
8	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, नारायणपुर	2008-09	1	0.03
		2012-13	1	0.57
		2013-14	4	23.65
		2014-15	1	0.25
9	कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, अम्बिकापुर	1988 से 1994	1	3.90
		2007-08	1	0.02
10	कार्यालय कलेक्टर, धमतरी	2010-11	2	0.40
		2011-12	1	0.71
		2012-13	3	6.32
		2013-14	16	70.57
		2014-15	7	4.63
		2015-16	6	13.94
11	नगर पंचायत कोरबा	2014-15	7	7.63
		2015-16	20	54.13
12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बेमेतरा	2008-09	6	5.55
		2011-12	1	1.65
13	मुख्य नगर पालिका अधिकारी कर्वधा जिला कर्वधा	2007-08	2	2.48
		2010-11	2	0.14
		2012-13	1	0.08
		2015-16	4	0.85
14	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, महासमुन्द जिला महासमुन्द	2011-12	1	0.30
		2013-14	12	2.12
		2014-15	13	2.96
		2015-16	7	1.06
15	आयुक्त नगर पालिका निगम, धमतरी	2013-14	11	2.77
		2014-15	19	3.92
		2015-16	15	7.64



1	2	3	4	5
16	उप संचालक, समाज सेवा, रायगढ़	2008-09	9	0.39
		2009-10	4	1.50
		2010-11	7	1.03
		2011-12	1	0.55
17	जिला निर्वाचन, समाहरणालय कार्यालय, दुर्ग	1999 एवं 2000	35	1.95
		2000-2001	16	1.18
		2003-04	7	0.22
		2004-05	24	1.04
		2005-06	13	1.09
		2006-07	11	0.10
		2007-08	6	0.23
		2008-09	5	0.26
		2009-10	17	1.52
		2010-11	7	0.03
		2011-12	6	0.29
		2012-13	5	0.39
		2015-16	1	0.10
18	मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बलौदा बाजार	1980-81	6	0.60
		1981-82	3	0.11
		1982-83	3	0.66
		1985-86	1	0.05
		1987-88	3	0.33
		1988-89	2	0.41
		1994-95	1	0.65
		1999-00	1	0.22
		2002-03	1	0.11
		2003-04	1	0.18
		2004-05	2	0.46
		2005-06	1	1.20
		2006-07	9	6.26
		2007-08	14	7.74
		2008-09	26	13.86
		2009-10	38	18.53
		2010-11	2	2.62
2011-12	9	7.23		
2012-13	4	3.57		
2013-14	4	4.49		
2014-15	1	0.60		
<b>योग</b>			<b>658</b>	<b>761.96</b>

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

परिशिष्ट -3.14

(संदर्भ: कंडिका 3.8.3; पृष्ठ 47)

राशि ₹ 79.44 करोड़ की केशबुक के अनुचित रखरखाव को दिखते हुए विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित ईकाई का नाम	क्षेत्र	आक्षेप का प्रकृति	राशि
1	2	3	4	5
1	सहायक क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, अम्बिकापुर	राजस्व क्षेत्र	राशि ₹ 1,28,512.00 कोषालय बिल नं 91 से संबंधित वेतन देयक रोकड़ पुस्तिका में इंद्राज न किया जाना	1.29
2	उप आयुक्त (आबकारी), रायपुर	राजस्व क्षेत्र	राशि ₹ 54,905.00 बिल नं 284 दिनांक 16.03.2016 का कोषालय व्हाउचर का रोकड़ पुस्तिका एवं देयक पुस्तिका में इंद्राज न किया जाना।	0.55
3	जिला खनिज अधिकारी, दुर्ग (खनिज विभाग)	राजस्व क्षेत्र	i. कुल राशि ₹ 1,69,058.00 राशि का केश बुक के निर्धारित स्थान में इंद्राज न किया जाना ii. रोकड़ पुस्तिका के लिए उत्तरदायी अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी से रोकड़ पुस्तिका में योग का जाँच न किया जाना।	1.69
4	कलेक्टर, कोरिया	सामान्य क्षेत्र	i. स्टेट बैंक से प्राप्त ब्याज की राशि ₹ 45,05,998 प्राप्त कर केश बैंक में इंद्राज न किया जाना	45.06
5	जिला शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, पेण्ड्रा	समाजिक क्षेत्र	राशि ₹ 85,500 का केश बुक में इंद्राज न किया जाना	0.86
6	जिला शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर	समाजिक क्षेत्र	राशि ₹ 65.31 का इंद्राज न किया जाना	65.31
7	पं. रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय, रायपुर	समाजिक क्षेत्र	(i) वर्ष 2011-12, में बैंक जमा राशि ₹ 3,26,87,694 के स्थान पर राशि ₹ 322,30,420 जमा किया जाना अल्प जमा राशि ₹ 4,57,274	4.57
			(ii) परीक्षा शुल्क ₹ 5,32,674 का बैंक में अल्प जमा	5.32
8	प्राचार्य, शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उत्तरई, दुर्ग	समाजिक क्षेत्र	व्यय राशि ₹ 4,59,576 केश बुक में इंद्राज न किया जाना	4.6
9	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव	समाजिक क्षेत्र	वर्ष मार्च 2015 की अवधि में एन.आर.एच.एम रोकड़ पुस्तिका में राशि ₹ 98,44,100 को ₹ 1,05,00,100 दिखाया जाना	6.56
10	श्रम अधिकारी, अम्बिकापुर	समाजिक क्षेत्र	कोषालय से आहरित राशि ₹ 2.43 लाख को केशबुक में इंद्राज न किया	2.43
11	विकास खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरा, गरियाबंद	समाजिक क्षेत्र	रोकड़ बही का अनियमित रख रखाव ₹ 61310 शेष का समायोजन न किया जाना	0.61
12	विकास खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरसीवा	समाजिक क्षेत्र	(i) राशि ₹ 14.06 लाख ₹ 13.58 लाख और ₹ 10.68 लाख रोकड़ पुस्तिका में न लिया जाना	38.32
13	यंत्री ग्रामिण यांत्रिकी सेवा, जांजगीर	समाजिक क्षेत्र	प्रमाणक के साथ केशबुक की राशि ₹ 10,872 मिलान न किया जाना	0.11
14	उप संचालक, समाज कल्याण, दुर्ग	समाजिक क्षेत्र	(i) मार्च 2014 से सितम्बर 2016 तक राशि ₹ 58,38,85,950 का केशबुक में संधारण न किया जाना	5,838.86
			(ii) राशि ₹ 2,50,000 निस्तार जन शिविर मेला की निकासी कर से बाहर	2.5
1	2	3	4	5

15	जिला खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण, महासमुन्द	समाजिक क्षेत्र	रोकड़ पुस्तिका में कुल राशि ₹ 7,00,706 दिनांक 30.08.2016 के बाद न लिखा जाना लेकिन उसी अवधि में ₹ 748296 की निकासी	7.48
16	कलेक्टर, कोरिया	सामान्य क्षेत्र	पासबुक एवं केशबुक में अन्तर राशि ₹ 5,76,663	5.77
17	शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय, सेजबहार, रायपुर	समाजिक क्षेत्र	पासबुक एवं केशबुक में अन्तर राशि ₹ 7,14,70,174	714.7
18	विकास खंड शिक्षा अधिकारी, गुरुर	समाजिक क्षेत्र	बैंक पासबुक एवं केशबुक में अन्त शेष राशि में अन्तर ₹ 15,51,186	15.51
19	विकास खंड शिक्षा अधिकारी, गुण्डरदेही, बालोद	समाजिक क्षेत्र	पासबुक एवं केशबुक में अन्तर राशि ₹ 34 लाख	34.00
20	मुख्य अभियंता, जिला पंचायत, जांजगीर चांपा	स्थानीय निकाय	पासबुक एवं केशबुक में अन्तर राशि ₹ 8,93,37,373.16.	893.37
21	मुख्य अभियंता जिला पंचायत, रायगढ़	स्थानीय निकाय	पासबुक एवं केशबुक में अन्तर राशि ₹ 2,06,866	2.06
22	ग्राम पंचायत सहसपुर, लोहारा	स्थानीय निकाय	बैंक पासबुक से केशबुक का अन्त शेष का मिलान न किया जाना	4.65
23	कलेक्टर, कोरिया	सामान्य क्षेत्र	अंतशेष राशि का ओपनिंग बैलेंस का मिलान न किया जाना राशि ₹ 2,46,43,804	246.44
24	विकास खंड चिकित्सा अधिकारी बागबहरा, महासमुन्द	समाजिक क्षेत्र	अंतशेष की राशि को गलत अग्रेषण करना जिससे राशि ₹ 1,57,412 की लेखा में कमी	1.57
<b>योग</b>				<b>7,944.19</b>

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट -3.15

(संदर्भ: कंडिका 3.8.3; पृष्ठ 47)

रोकड़ पुस्तिका का अनियमित संधारण

क्र. सं.	लेखापरीक्षित ईकाई का नाम	आलोचना की प्रकृति
<b>राजस्व क्षेत्र</b>		
1	2	3
01	वाणिज्य कर अधिकारी अम्बिकापुर	दिनांक 14.10.2014 से 4/2016 तक केशबुक में लेनदेन का इंद्राज किया जाना
02	सहायक आयुक्त, आबकारी, राजनांदगांव	केशबुक में सफेदा का उपयोग किया जाना
03	सहायक आयुक्त, आबकारी, कोरबा	केशबुक में सफेदा का उपयोग किया जाना
04	जिला आबकारी अधिकारी, बालोद	आहरण एवं संवितरण अधिकारी से सत्यापन न कराया जाना एवं केशबुक में सफेदा को उपयोग किया जाना
05	संचालक, भूमि एवं खनन विभाग, रायपुर	(i) अवधि 29.02.2016 से 11/2016 केशबुक में पेंसील से इंद्राज किया जाना (ii) केशबुक में सुधार को आहरण एवं संवितरण अधिकारी से सत्यापन न कराया जाना
06	उप संचालक, खनिज विभाग, रायपुर	(i) केशबुक में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का हस्ताक्षर न होना (ii) केशबुक में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अलावा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर न पाया जाना (iii) प्रारंभिक राशि अंतशेष राशि प्राप्ति एवं महायोग को पेंसिल से लिखना (iv) उपरी लेखन को सत्यापन न किया जाना।
07	जिला खनिज अधिकारी, राजनांदगांव	(i) अवधि 24.12.2016 से 04.03.2017 केशबुक का इंद्राज न किया जाना (ii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अलावा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाया गया (iii) रोकड़ भौतिक सत्यापन प्रमाण एवं शेष बैंकशेष राशि का प्रमाण न किया जाना
08	जिला खनिज अधिकारी, बालोद	(i) दिनांक 06.06.2016 के बाद केशबुक का संधारण न किया जाना (ii) दिनांक 01.09.2014 के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इंद्राज को प्रमाणित न किया जाना (iii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अलावा इंद्राज कर्ता आद्य हस्ताक्षर न किया जाना। (iv) रोकड़ भौतिक सत्यापन प्रमाण एवं शेष बैंकशेष राशि का प्रमाण न किया जाना
09	तहसीलदार कुरुद (भू राजस्व)	(i) प्राप्ति का उचित स्थान पर इंद्राज न किया जाना (ii) उचित प्राधिकारी का हस्ताक्षर न पाया जाना (iii) मासिक विवरण का न बनाया जाना
<b>सामान्य क्षेत्र</b>		
10	कलेक्टर, कबीरधाम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा राशि 58.52 लेनदेन का प्रमाण न पाया जाना। राशि 18,49,800 का वर्गीकरण बिना सत्यापन का किया जाना
11	संचालक, राज्य फोरेसिक प्रयोगशाला रायपुर	(i) 12/2014 से लेखापरीक्षा अवधि तक अपूर्ण इंद्राज (ii) रोकड़ पुस्तिका लिखने वाले कम/अधिक का आद्यक्षर न होना (iii) नियमित अंतराल पर रोकड़ पुस्तिका को संवरन न किया जाना
12	संचालक, जिला योजना एवं सांख्यिकी बलौदा बाजार	(i) अवधि 1/2013 से 1/2016 केशबुक में हस्ताक्षर नहीं है। (ii) नियमित अंतराल पर रोकड़ पुस्तिका को संवरन न किया जाना (iii) केशबुक भौतिक सत्यापन न किया जाना (iv) 3/2016 से प्राप्ति एवं व्यय का इंद्राज न किया जाना
13	संचालक, जिला योजना एवं सांख्यिकी, बलौदा बाजार	(i) केशबुक का संधारण न किया जाना (ii) अवधि 2/2013 से 4/2016 तक 2,19,042 पासबुक में प्राप्ति एवं व्यय, केशबुक के मिलान न होना जिस कारण संबंधित शीर्ष का सुनिश्चित नहीं कर पाना।

आर्थिक क्षेत्र		
14	संयुक्त संचालक, पशुपालन, बिलासपुर	(i) व्यय राशि 52.75 करोड़ अवधि 2/2013 से 3/2016 उचित रूप से इंड्राज न किया जाना (ii) केशबुक में पेंसिल से इंड्राज किया जाना (iii) अवधि 2/13 से 3/16 तक दिये गये अस्थायी/अग्रिम केशबुक में इंड्राज न किया जाना न ही अलग रजिस्टर का संधारण न किया जाना
15	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण (सड़क एवं सेतु) संभाग, कोंडागांव	(i) केशबुक का उचित रूप से संधारण न किया। (ii) केशबुक का भौतिक सत्यापन न किया जाना। (iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा केशबुक में सत्यापन न ही किया जाना।
सामाजिक क्षेत्र		
1 6	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सीतापुर	सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर न किया जाना
1 7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्वधा	अवधि 2015-16 से केशबुक का संधारण न किया जाना केशबुक का संधारण टैली साफ्टवेयर में किया जाना
1 8	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग रायगढ़	केशबुक के सफेदा का उपयोग भौतिक सत्यापन न किया जाना व्यय, वेतन, कर्मचारियों के अग्रिम एवं भत्ते आदि केशबुक में इंड्राज न करना
1 9	ग्रामिण यांत्रिकी सेवा संभाग, गरियाबंद	केशबुक के सफेदा का उपयोग केशबुक में भौतिक सत्यापन का प्रमाण अंकित न किया जाना।
2 0	सहायक अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, बिलासपुर	प्रारंभिक शेष पेंसिल से लिखा जाना तिथिवार इंड्राज न किया जाना गलती सुधार में सक्षम प्रवधिकारी द्वारा हस्ताक्षर न होना
2 1	ग्रामिण यांत्रिक सेवा संभाग, कोरिया	केशबुक के सफेदा का उपयोग केशबुक में भौतिक सत्यापन का प्रमाण अंकित न किया जाना।
2 2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नारायणपुर	केशबुक के एम.आर.सी. संधारण न किया जाना
2 3	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बागबहरा, महासमुन्द	(i) अवधि 8/2016 से 3/2017 तक रोकड़ पुस्तिका संधारण न किया जाना (ii) पासबुक एवं रोकड़ पुस्तिका के शेष में अंतर (iii) व्यय किये गये राशि में व्यय पक्ष पर नाम उल्लेख न किया जाना
2 4	सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, दुर्ग	केशबुक के सफेदा का उपयोग केशबुक में भौतिक सत्यापन का प्रमाण अंकित न किया जाना।
2 5	संचालक, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर	रोकड़ पुस्तिका का संधारण न किया जाना।
स्थानिय निकाय		
2 6	ग्राम पंचायत, खरसिया, रायगढ़	i. केशबुक का भौतिक सत्यापन न पाया जाना। ii. 10,000 से अधिक भुगतान नगदी में किया गया। iii. सभी योजनाओं से संबंधित एक ही रोकड़ पुस्तिका संधारण किया जाना।
2 7	ग्राम पंचायत, गौरपार, खरसिया, रायगढ़	
2 8	ग्राम पंचायत, कुरु, खरसिया, रायगढ़	
2 9	ग्राम पंचायत, बुरा, खरसिया, रायगढ़	
3 0	ग्राम पंचायत, छाल, धरमजयगढ़, खरसिया, रायगढ़	
3 1	ग्राम पंचायत, चंद्रशेखरपुर, धरमजयगढ़, रायगढ़	
3 2	ग्राम पंचायत, खोदापाली, धरमजयगढ़, रायगढ़	
3 3	ग्राम पंचायत, लात, धरमजयगढ़, रायगढ़	
3 4	ग्राम पंचायत, पुशलदा, धरमजयगढ़, रायगढ़	
3 5	ग्राम पंचायत, खम्हार, खरसिया, रायगढ़	
3 6	ग्राम पंचायत, अर्जूनी, शक्ति,	

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

११

6	जांजगीर-चांपा		
3	ग्राम पंचायत, पोस्था, शक्ति,		
7	जांजगीर-चांपा		
3	ग्राम पंचायत, तेदुटोहा,		
8	जांजगीर-चांपा		
3	ग्राम पंचायत, पटोरापाली कला,		
9	शक्ति, जांजगीर-चांपा		
4	ग्राम पंचायत, सकरेली, शक्ति,		
0	जांजगीर-चांपा		
4	ग्राम पंचायत, कडरो जनपद		
1	पंचायत, पत्थलगांव		
4	ग्राम पंचायत, खरकटा, जनपद		
2	पंचायत, पत्थलगांव		
4	ग्राम पंचायत, चिकनीपानी, जनपद		
3	पंचायत, पत्थलगांव		
4	ग्राम पंचायत, लुनडेग, जनपद		
4	पंचायत, पत्थलगांव		
4	ग्राम पंचायत, कीलकीला, जनपद		iv. केशबुक का भौतिक सत्यापन न पाया जाना। v. 10,000 से अधिक भुगतान नगदी में किया गया। vi. सभी योजनाओं से संबंधित एक ही रोकड़ पुस्तिका संधारण किया जाना।
5	पंचायत, पत्थलगांव		
4	ग्राम पंचायत, कुण्डा जनपद		
6	पंचायत, पंडरीया		
4	ग्राम पंचायत, मेहली, जनपद		
7	पंचायत, पंडरीया		
4	ग्राम पंचायत, कोडवागोदान,		
8	जनपद पंचायत, पंडरीया		
4	ग्राम पंचायत, कुन, जनपद		
9	पंचायत, पंडरीया		
5	ग्राम पंचायत, चीलफी, जनपद		
0	पंचायत, बोदला		
5	ग्राम पंचायत, मदमदा, जनपद		
1	पंचायत, बोदला		
5	ग्राम पंचायत, खैरीबनकला, जनपद		
2	पंचायत, बोदला		
5	ग्राम पंचायत, पोण्डी, जनपद		
3	पंचायत, बोदला		

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

Email: [agauchhattisgarh@cag.gov.in](mailto:agauchhattisgarh@cag.gov.in)